खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) अंक-75

सोमवार 02 अप्रैल, 2018 12 चैत्र, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 से अंक 81 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–01)	सोमवार, 02 अप्रैल, 2018 / 12 चैत्र, 1940 (शक)	अंक–75
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	निधन संबंधी उल्लेख	3–5
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	6–21
4.	ध्यानाकर्षण (नियम–54) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर	22–77
6.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधिकारियों विशेषकर आई.ए.एस. / दानिक्स कैडर के अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों तथा विधायकों के सरकारी मामलों से संबंधित मीटिंग / फोन कॉल / मैसेज को अटेंड न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में)	78–143
7.	संकल्पः (माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा)	144–146
8.	प्रस्तावः (माननीय सदस्य श्री विशेष रवि द्वारा)	147–157

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) सोमवार, 02 अप्रैल, 2018 / 12 चैत्र, 1940 (शक) अंक–75

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री रामचंद्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्रीमती बंदना कुमारी
11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान

19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
21. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
22. श्री राजेश ऋषि
23. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री नरेश बाल्यान
25. श्री आदर्श शास्त्री
26. श्री गुलाब सिंह
27. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रोमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री अमानतुल्लाह खान
43. श्री राजू धिंगान
44. श्री मनोज कुमार
45. श्री नितिन त्यागी
46. श्री ओमप्रकाश शर्मा
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. मो. इशराक
50. श्री श्रीदत्त शर्मा
51. चौ. फतेह सिंह
52. श्री जगदीश प्रधान
53. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र–7 (भाग–01) सोमवार, 02 अप्रैल, 2018 / 12 चैत्र, 1940 (शक) अंक–75

Lknu vijkgu 2-09 ct: leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः जम्मू–कश्मीर में शहीद जवानों के प्रति शोक संवेदना।

माननीय सदस्यगण, यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि कल 01 अप्रैल, 2018 को जम्मू–कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के तीन जवान शहीद हो गये और चार नागरिक मारे गये। भारतीय सुरक्षा बलों ने बहादुरी दिखाते हुए बारह आतंकियों को भी मार गिराया।

हाल के वर्षों में एक ही दिन में सबसे ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की यह उल्लेखनीय घटना है। इसके लिए भारतीय सेना तथा जम्मू–कश्मीर पुलिस प्रशंसा की पात्र है।

---

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इन जवानों की शहादत को मैं नमन करता हूँ। भारतीय सुरक्षा बल जिस मुस्तैदी से देश की रक्षा कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है।

जम्मू–कश्मीर में शहीद जवानों तथा मारे गये नागरिकों को मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन)

ओम शान्ति–शान्ति।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उनके साथ न्याय हो, ये बड़ा आवश्यक है, इस पर चर्चा हो। क्योंकि चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे जहाँ पर झुग्गी हो, वहीं मकान का मामला हो।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, नियम–54 के अन्तर्गत मैं एक ही स्वीकार कर सकता हूँ और मेरे पास... मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको किसी भी तरह से अगर आप नियम–54 में नहीं...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सुश्री राखी बिड़ला, माननीय उपाध्यक्षा तथा श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम–54 के

अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज की कार्यसूची में सुश्री राखी बिड़ला से प्राप्त 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति' के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचीबद्ध है, जिसका विषय अत्यधिक लोकमहत्व का है। इसलिए मैं श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरी सूचना तो पढ़ दीजिए, सूचना क्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदयः हाँ, मैने बोला ना सूचना।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या सूचना है, वो तो पढ़ दीजिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब ये नहीं पढ़ना आवश्यक होता। आपको मैंने आधा मिनट दिया आपने पढ़ कर खुद सुना दिया, मैंने रोका नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपने रोका नहीं। लेकिन यह महत्वपूर्ण मामला है झुग्गी बस्ती का।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इनके बारे में या तो आप कल के लिए रख लीजिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं, जिससे आज पूरा भारत जल रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो कल के लिए रख दीजिए।

माननीय अध्यक्षः कल का कल देखेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, इसको कमिट करिए। क्या झुग्गी वालों की चर्चा इस सदन में नहीं हो सकती क्योंकि वो गरीब लोग हैं।

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, फिर आप ये पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप कोई तो समय तय करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी करिए। लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार इसमें जवाब दे। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के साथ जो अन्याय हो रहा है। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं हम। न पानी मिल रहा है और न... हर झुग्गी में नल लगाने की बात कर रहे थे आप। आप उनको घर देने की बात कर रहे थे। एक घर आज तक नहीं दिया। किसी प्रकार का उनको राशन नहीं मिल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय को कभी भी करें, इसको अध्यक्ष जी, इसको कल के लिए रख दीजिए। आप ऐश्योर तो कर दीजिए।

माननीय अध्यक्षः कल का मैं कल देख लूँगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप एश्योरेंस तो दे दीजिए।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं इसमें कोई ऐश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं। 280 अखिलेश पति त्रिपाठी जी। अखिलेशपति त्रिपाठी। श्री एसके बग्गा जी।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री एस के बग्गाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विकलाँग पेन्शन की ओर दिलाना चाहता हूँ कि विकलाँग व्यक्ति 60 वर्ष के कम उम्र के ही विकलाँग पेन्शन के लिए आवेदन कर सकता है। साठ वर्ष के बाद विकलाँग पेन्शन का फार्म नहीं

भर सकता। क्या वह व्यक्ति साठ वर्ष के बाद विकलाँग नहीं रहता। सरकार ने पहले विधवा पेन्शन में भी साठ वर्ष के बाद पेन्शन देनी शुरू की है। यदि शुरू की है, इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विकँलाग पेन्शन साठ वर्ष के बाद भी मिलनी चाहिए। इसके लिए आप सरकार को निर्देश दें ताकि विकलाँग लोग साठ वर्ष के बाद भी इसका फायदा उठा सकें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमती बन्दना कुमारी जी।

श्रीमती बन्दना कुमारीः अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में प्रश्न लगाया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, 280 में जो हमारा आज प्रश्न है; झुग्गी बस्तियों में लाइट का मुद्दा है, लाइट नहीं लगी हुई हैं। लाइट लगी भी हुई हैं, वो सारी खराब पड़ी हुई हैं। एक भी लाइट नहीं जल रही है। एनडीपीएल से बात करो तो वो कहते हैं चूंकि एमसीडी ने हमें पैसा नहीं दिया, मीटर का जो बिल आया, उसका पैसा पेमेंट नहीं किया। इसलिए एनडीपीएल नहीं करती। एमसीडी के इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट से बात की है तो वो कहते हैं, हमारे पास न तार है, कुछ भी सामान नहीं है जो हम उसको जोड़ सकें और ठीक कर सकें। डूसिब डिपार्टमेंट से बात की है, वो कहते हैं, नहीं, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। डार्क स्पॉट का मामला चारों तरफ पूरी झुग्गियों में फैला हुआ है और झुग्गियों में इतना वहाँ के लोग, वहाँ की लडकियां, वहाँ की बहुएं, बेटियाँ इतनी डरी हुई, भयभीत अपने आप को महसूस कर रही हैं और न वो वहाँ पर घूम सकती हैं। शाम होते उनका निकलना मुश्किल है। ये लिक्कर शॉप जगह–जगह खुले हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारी छेड़खानी होती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से निवेदन

करती हूँ कि वो कोई न कोई सुनिश्चित करें। इसकी जिम्मेदारी कौन सा डिपार्टमेंट के पास है, कौन डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है और जल्द से जल्द उन झुग्गी वासियों को लाइट मुहैया कराई जाए।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी असेम्बली से रिलेटिड एक समस्या रखना चाह रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि पीडब्ल्युडी विभाग जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, इसको असेम्बली वाइज रि–स्ट्रक्चर किया जाए। इसमें वर्किंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेरी असेम्बली में छः एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं पीडब्ल्युडी के। अब सोचिए! पता ही नहीं चलता कि किस जगह का कौन एक्जी. इन्जी. है। इतने सारे डिपार्टमेंट! डूसिब है, एक एक्जी. इन्जी. है, इजीली हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एमसीडी का एक एक्जी. इन्जी. है, आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इरिगेशन फ्लड, डीजेबी एक एक्जी. इन्जी. है, आराम से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। पीडब्ल्युडी के छः एक्जी. इन्जी. हैं। रोशनआरा रोड का अलग है, पहाड़ी धीरज का अलग है, आनंद पर्वत का अलग है, किशन गंज का अलग है, गुलाबी बाग का अलग है, इन्द्रलोक का अलग है। छः तो सिविल के हो गए और छः इलैक्ट्रिकल के। पीडब्ल्यूडी विभाग में ये ही पता नहीं चलता। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको असेम्बली वाइज रि–स्ट्रक्चर करें ताकि हम एक सिंगल आदमी से कोऑर्डिनेट कर सकें और पीडब्ल्युडी की समस्याओं का समाधान हो पाए। बहुत प्रॉब्लम होती है। पता ही नहीं चलता, कौन सी सड़क किसी पीडब्ल्युडी के एक्सईन के अंडर आती है। ये असम्बली वाइज रिस्ट्रक्चर करवा दीजिए, ये ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया, आपका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली छावनी में कई महीनों से सीलिंग लगातार दिल्ली कैंट बोर्ड के माध्यम से चल रही है और वहाँ पर जो दिल्ली छावनी के क्षेत्र में जो बोर्ड के सदस्य काँग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता मिलकर ये कार्रवाई करवा रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली कैंट का क्षेत्र है, वो मास्टर प्लान–2021 के तहत नहीं आता है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ किसी भी प्रकार का, कोई उस क्षेत्र के लिए कोई आदेश वहाँ लागू किया है। इसके बाद वहाँ पर लोगों से डराकर पैसे इकट्ठे किये जाते हैं। लोगों को उनका मकान, दुकान सील करवाने के बाद उसको खुलवाकर उसका सामान बाहर निकालने के लिए लोगों से पाँच–पाँच लाख रुपये इकट्ठे किये जा रहे हैं।

इसके साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी का ये बिल्कुल पास में लगता हुआ क्षेत्र है। उसी विधान सभा में रहते हैं। इस क्षेत्र की लगातार हम रक्षा मंत्री को भी कम्पलेंट कर चुके हैं पर वो सब मौन हैं। व्यापारी कर्जा लेकर छोटी–छोटी दुकानें... वहाँ पर उन्होंने काम जो शुरू किये थे, वहाँ पर रहने वाले रेहड़ी पटरी वाले, चाय वाला जिनकी उसी के माध्यम से रोटी रोजगार चलता था, उन सबकी मजदूरी बन्द हो गई है और पूरा जो क्षेत्र जो है, ठप्प पड़ा है सीवी नारायणा का। परंतु इन भ्रष्ट नेताओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। ये खुद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में लग रहे हैं और इनकी अपनी कंपनियाँ वहाँ पर खुली हैं, चल रही हैं और गरीब आदमी जो मजबूर हो के कहीं से किराये भाड़े के ऊपर ले के

चला रहा था, उन सबकी इन्होंने सील करा दी हैं दुकानें। जमीन पर जो है ना, इन्होंने कब्जे करके जो बिल्डिंगें बनाई हैं, उन कब्जे की हुई बिल्डिंगों के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं हो रहा। किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बोर्ड के अंदर जितनी दुकानें सील हुई हैं या आम जनता को जो नेताओं ने जो राजनीतिक दुर्भावना जो आपस में केन्द्र वहाँ सील करवाए गए हैं, आप यहाँ से उनको ऑर्डर दें, यहाँ से विधान सभा के माध्यम से लिखें कि आप किस कानून के तहत यहाँ पर जो है सीलिंग का जो है, कार्य करने में लगे हुए हैं और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा जी कि फ्लड एण्ड इरीगेशन विभाग से वहाँ पर गाँव के अंदर एक बारात घर बनना था, स्कूल बनना था, एक तालाब का सौंदर्यकरण होना था, जिसके लिए फण्ड भी अलॉट कर दिया गया था और आज तक वहाँ पर जो है ना, न तो वो बारात घर बना है, न ही उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से जो है ना, नारायणा गांव के अंदर ये बनने का भी काम जल्दी से जल्दी करवाया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी, अनुपस्थित, श्री नारायण दत्त शर्मा जी, अनुपस्थित, श्री नितिन त्यागी जी,

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो 280 पे जो आज मुद्दा है सर, ये बड़ा बहुत डिसएप्वाएंटेड फील कर रहा हूँ सर। ये 17/1/2018 को भी मैंने यही मुद्दा उठाया था। सेम मुद्दा नियम 280 के तहत, कोई कार्रवाई अभी तक

नहीं हुई है। ***and I think it is really bad*** जिसकी भी गलती हो, पूरे विभाग की, ऊपर से लेके नीचे तक। सर, डिसिल्टिंग के लिए हम लोग बरसात के दौरान पता नहीं, कितनी डिबेट टेलीविजन पे होती हैं, एक दूसरे पे हम लोग न जाने कितने आरोप–प्रत्यारोप करते हैं। आज की तारीख में विकास मार्ग का ये हाल है कि थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो पीडब्ल्युडी के नाले जाम रहें, वहीं पे पटपड़गंज रोड है जो मधुबन चौक से आगे जाती है, गीता कालोनी की तरफ, वहाँ पे महाराजा बैंक्वेट हाल वगैरह सब हैं, वहाँ का भी नाला पीडब्ल्युडी का जाम है। कई बार बोलने के बाद पीडब्ल्युडी कहते हैं, जो हैं, हम लोग आगे किसी ठेकेदार को दे नहीं पा रहे इसका ठेका, क्योंकि वो जब तक जा के इस सिल्ट को डंप करके और एमसीडी के डंप से पर्ची नहीं लेके आयेंगे, तब तक उन्हें पेमेंट नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी ठेकेदार वहाँ से सिल्ट हटाने के लिए, नाले की डिसिल्टिंग के लिए तैयार नहीं है। अब इससे सर, पब्लिक का क्या लेना देना कि ठेकेदार क्या करेगा और पीडब्ल्युडी वाला क्या करेगा, इंजीनियर क्या करेगा, इससे पब्लिक का क्या लेना देना? इससे सर, एमएलए का क्या लेना देना? सर ये सॉल्यूशन तो उन्होंने निकालना है? अगर ये जनवरी का डिस्कशन किया हुआ, ये प्वाइंट उठाया हुआ, तीन महीने से मेरे यहाँ के अगर पीडब्ल्युडी के नाले जाम हैं तो अंदर एमसीडी के भी नाले जाम होंगे जो जाके उसमें गिरते हैं। किसको दोष दूं? पार्षद को दोष दूँ कि भई तू बीजेपी वाला है, तू नहीं कर रहा। जब मुझे पता है कि ये गलती है और ये कमी है तो ये साल्व क्यों नहीं हो रहा? बार बार कहने के बाद, बार बार रिक्वेस्ट के बाद! हर बार ये कहने के बाद के सर, ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर आज की तारीख में जब धूप इतनी तेज पड़ रही है, रिकार्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तब ये हालत है पानी जाम

होने की, तो हम लोग बरसातों में क्या करेंगे वहाँ पे? इसके ऊपर सर, आप भी संज्ञान लीजिए और आप सर, इसके ऊपर बहुत सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं 17/1/ का सर, आपको दिखा रहा हूँ। 17/1 का मेरा उठाया हुआ यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसका जवाब भी आया हुआ है कि हमारे को एमसीडी से डिस्कशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कितने दिन लगते हैं डिस्कशन में! और ये पूरे ईस्ट दिल्ली की प्रॉब्लम है क्योंकि ईडीएमसी का एक डंप था, वो गाजीपुर पे, जहाँ पे डलना बंद हो गया है। दूसरी जगह जहाँ पे भी दी है, वो बन नहीं सकता क्योंकि एकदम शहर के बीच में है, सब लोगों के रेजीडेंस के बीच में है, वहाँ कैसे बनेगा? कोई और जगह मिलेगी, इसके ऊपर तो सर, अर्जेंटली काम... महामारी फैल जाएगी, लोग मरने लगेंगे, मच्छर पैदा होने लगेंगे वो जमा पानी से, तब हम लोग कुछ करेंगे। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम थोप रहे होंगे। सर, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी नितिन त्यागी जी ने जो कहा, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से जल मंत्री जी का ध्यान हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई की ओर दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो पूरी दिल्ली और विशेष रूप से विश्वास नगर विधान सभा में पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं की जा रही जिसके कारण जनता में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पानी का प्रैशर बहुत कम है तथा बहुत कम समय के लिए आता है। इसके अतिरिक्त जो पानी आता भी है तो कंटेमिनेटिड वाटर होता है जो लोगों के पीने के काम नहीं आ पाता

जिसके कारण जनता अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की समस्या के कारण भी क्षेत्र की जनता बहुत दुःखी है और ओवरफ्लो का एकमात्र कारण पीडब्ल्युडी के जो नाले गाद भरे हैं, वो साफ नहीं होना एक इसका बहुत बड़ा कारण है और सीवर ओवरफलो के कारण सीवर व पानी गलियों में भरा है, वहाँ से निकलना भी दूभर हो गया है। पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई का कार्य न होने के कारण दिल्ली में कभी भी हैजा, मलेरिया, डेंगू और अन्य जलजनित महामारी फैल सकती हैं। नालों की सफाई नहीं हुई है जिसके कारण मानसून में दिल्ली की सड़कों और इलाकों का पानी में डूब जाना तय है। दिल्ली के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री नौकरशाही पर उनके आदेशों का पालन न करने का आरोप लगा रहे हैं और नौकरशाही नियमों का हवाला देकर सरकार के अनावश्यक आदेशों से त्रस्त है। आम आदमी पार्टी की सरकार हर समस्या का राजनीतिकरण कर अपनी नाकामियों के लिए अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, केन्द्र सरकार और उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहरा कर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से बच रही है। ... 280 ही है। बरसाती नालों से गाद न निकलने के कारण जल भराव का डर है, अनाधिकृत बस्तियों में न पीने का साफ पानी उपलब्ध है, जलभराव व जलजनित बीमारियों के कारण झुग्गी झोपड़ियों के निवासी त्रस्त हैं। इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों को शिकायत की गयी, परंतु विभागों के अनुसार आवश्यक फण्ड जारी न होने के कारण सभी कार्य रुके हुए हैं, पानी एवं सीवर जैसी मूलभूत आवश्यकता, सुविधाओं की कमी के कारण जनता बहुत परेशान है। मेरी... अरे! परेशान हैं। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, ये भी परेशान हैं। चलो। मेरी अरे भाई! रुक जाओ। अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना है कि सरकार से आपके द्वारा अरे भाई! जो लिखा है, वही तो पढ़ रहा हूँ, क्या हो गया?

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, आप जारी रखिए। आप जारी रखिए। ओम प्रकाश जी, आप जारी रखिए, प्लीज। प्लीज मानिए।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे भाई! थोड़ा बहुत झेल लो। नहीं झेलोगे? मत झेलो, तुम्हारी मर्जी।

माननीय अध्यक्षः झा साहब, प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः मेरी सरकार से प्रार्थना है, आपके द्वारा कि जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में जल्द से जल्द पानी, सीवर और गाद की समस्या को दूर करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, वह की जाए तथा जनता को इस परेशानी से मुक्ति दिलाई जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद। जो विधायक नहीं आये थे, मैं नाम पढ़ रहा हूँ। श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी नहीं आये, इसके बाद नारायण दत्त शर्मा जी... हाँ, 280 पर।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। मैं 280 में आज मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से फ्लड डिपार्टमेंट का एक रोड है हमारे क्षेत्र में, जमुना पुश्ता रोड कहते हैं जिसको, वो बहुत नैरो है, रोज की हजारों की तादाद में वहाँ से लोग रोजी रोटी कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए निकलते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। न कोई लाइट है... मैं एक दो बार पहले भी मीटिंग कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस रोड को कम से कम डबल किया जाए, मीटिंग भी हो चुकी हैं, सारी चीज का एस्टीमेट बन चुका है और मंत्री जी तक पहुँच चुका है वो। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस रोड को चौड़ा कर दिया जाए जिससे कि लाखों लोग बदरपुर विधानसभा के

जैतपुर–खड्डा कालोनी के लोगों को एक राहत मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार और मंत्री इसको गंभीरता से लेंगे और ये आपके माध्यम से जितनी जल्दी हो सके, ये काम हो। जय हिन्द, आपको नमस्कार।

माननीय अध्यक्षः श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 280 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान पुश्ता रोड जो पुराने पुल से गीता कालोनी लक्ष्मी नगर होते हुए आईटीओ से टच करता है, यहाँ सर, पुराने पुल से और गीता कालोनी के शमशान घाट तक पूरी की पूरी एनक्रोचमेंट कर रखी है। माननीय मंत्री आदरणीय जैन साहब यहाँ उपस्थित हैं, कई बार, कई बार कई अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ आपके कार्यालय में मेरी उच्च स्तरीय मीटिंग हुई और सर, हर बार ये कहा गया कि हम इसका समाधान निकाल देगें। सर्विस रोड पर पूरी एनक्रोचमेंट है, सारी है और हमने कई बार अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के सामने भी कहा था कि हम सर्विस रोड को उस पूरे रोड के साथ मिला देंगे जिससे सारी एनक्रोचमेंट खत्म हो जायेगी सर, आज तक कोई एनक्रोचमेंट नहीं उठी। माननीय लेफ्टिनेंट गर्वनर साहब यहाँ से मैसेज आया, मैंने वहाँ भी शिकायत एक बार कर रखी थी। उनका मॉर्निंग में दौरा था दौरे में हम लोग भी गये, उन्होंने आर्डर किये। उस दिन तो पूरी रोड साफ हो गई कि जैसे कोई एनक्रोचमेंट नहीं था लेकिन माननीय लेफिटनेंट गर्वनर साहब के दौरे के 15 दिन बाद आज वहाँ पर ये हालत है कि वहाँ पर न तो व्यापारी निकल सकता है और अगर कोई कैजुअल्टी हो जाये तो आदमी मर जाये। वो अलग बात है रोड साफ नहीं होगी। दूसरा, सर, ये है कि वहाँ पर एक हमारा फुटओवर ब्रिज है। माननीय मंत्री जी के सामने अधिकारियों ने

कहा था, पीडब्ल्युडी के अधिकारियों ने कि हर हालत में 15 जनवरी से पहले पहले या तो एक्सीलेटर लगा देंगे वहाँ पर या वहाँ लिफ्ट का इंतजाम कर देंगे। सर, न तो एक्सीलेटर लगा, न ही वहाँ पर लिफ्ट लगाई गई जिससे... और पूरे जो उसका कॉरीडोर है और जो उसके ऊपर जो प्रक्रिया बनी हुई है, उसके ऊपर सारी एनक्रोचमेंट है। सबने साइकिलें... और वहाँ पर सर, मोटरसाइकिलें भी खड़ी कर रखी हैं। हमारा जो अंदर वाला सर, रोड है, गवर्नमेंट का स्कूल है, गर्वनमेंट के स्कूल के बाहर एक आदमी ने प्राइवेट... जो पहले दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने चेले को दुकान वहाँ पर डलवा दी, उसके ऊपर बिजली का मीटर लगवा दिया। बिजली का मीटर... खैर! मैंने बीएससीएस के लोगों से कह के हटवाया। स्कूल के साथ दीवार है और उस पर आज भी वो आदमी काम नहीं कर रहा है, जब भी बात होती है, अधिकारियों से कहते हैं; हमने एसटीएफ को दे दिया। एसटीएफ वालों ने सर, कोई काम नहीं किया। अगर हम लोग भी अगर पीडब्ल्युडी में न करें तो सर, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से कि जवाबदेही किसकी बनती है? मेरा अनुरोध है, क्योंकि ये मामला बहुत हमारा... परेशान हैं और एशिया की बिगेस्ट मार्केट है सर, लोग परेशान हैं, मैसेज हम लोगों का गलत जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कल के सैशन के बाद एक बार पीडब्ल्युडी के उच्च अधिकारियों को बुलाकर, हम लोगो को भी बुला लें, वहाँ की आरडब्ल्युए को भी बुला लें, एमटीए को बुला लें। कम से कम सर, इसका समाधान जरूर निकाल लेंगे और मैं मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि मानवीय पक्ष के आधार पर हमारी बात सुनके कम से कम हमारा समाधान जरूर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद**,** श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत अपना मुददा उठाने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये कुत्तों के कारण मेरे क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और मुश्किल ये है कि साउथ एमसीडी के पास जो डेटा है, उस पर करोड़ो रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है, किसका नसबंदी हो रहा है, कुत्तों का हो रहा है, आदमियों का हो रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो रिपोर्टस हैं, उसके अनुसार करीब करीब 1,14587 अनस्ट्रेलाईज मेल डॉगस और 75 हजार फिमेल डॉगस साउथ डेली में दिसंबर 2016 तक हैं और उसके ऊपर 35 करोड़ रुपया खर्च किया गया नसबंदी के ऊपर। उसके बावजूद करीब 54298 कुत्तों ने 2016 में 49 हजार बच्चों को पैदा किया। तो जब नसबंदी हो गया, तो बच्चे कहां से आ गये! अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है, हमारे साथियों को भी इसका अंदाजा होगा, सभी साथी इससे पीड़ित होंगे कि हर क्षेत्र के अंदर, हर विधानसभा में, पूरे दिल्ली में ये मुसीबत पड़ी हुई है और म्युनिस्पेलिटी के इन्टेनशंस पर, उनकी ईमानदारी पर इतना ज्यादा शक उठ गया कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्ट्रेलाईजेशन आफ स्टेट डॉगस को विडियोग्राफी किया जाये। न तो हाईकोर्ट को विश्वास है, न जनता को विश्वास है और ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं कि आज बुजुर्ग, बच्चे, महिलायें घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनको कुत्ते से कटने का डर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस बात को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आप इस बात को उचित अधिकारियों के पास पहुँचायें कि आज आम आदमी घर से बाहर निकलने से डर रहा है, बुजुर्ग घर से बाहर निकलने

से डर रहे हैं, महिलायें घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। पार्कों में लोग जाने से डर रहे हैं और जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर जिस तरह से और भी शहरों के अंदर वहाँ के हाई कोर्टस ने एक फैसला निकाला है कि भई, जब भी कोई किसी भी सिटीजन को कुत्ता काटेगा तो कॉरसपॉन्डिंग म्युनिसपैलिटी उसको कंपनसेट करेगी।

अगर ये कर दिया जाये कि जिस किसी को भी कुत्ता काटता है तो कम से कम एक लाख रुपया का कंपनसेट मिलना चाहिए... बिल्कुल बना सकते हैं कानून, अगर ये सदन चाहे, कानून बन सकता है कि भई, जो कोई भी कुत्ते काटने का विक्टिम है, उसको कॉरसपॉन्डिंग म्युनिसपैलिटी कंपनसेट करे। जिस दिन आपने कानून सदन से बना दिया कि भई जिस किसी को भी कुत्ते ने काटा और म्युनिसपैलिटी की निष्क्रियता से कुत्ते ने काटा है... वैसे तो ओमप्रकाश जी हँस रहे हैं, पता नहीं किस कुत्ते के बारे में सोच रहे हैं वो, तो ये चूँकि म्युनिसपैलिटी भाजपा के पास है, मैं उनके जरिये कहना चाहता हूँ कि वो अपने साथियों के पास पहुँचा दें और सदन भी पहुँचाये ऑथैंटिक तरीके से, आप सदन के जरिये बिल पास कराकर के या जिस तरह से हो सके इस बात को पहुँचायें कि म्युनिसपैलिटी का दायित्व है कि दिल्ली का नागरिक, चाहे मेरी विधान सभा का हो या किसी और विधान सभा का हो, वो इस आतंक से अपने आप को महफूज करे। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को ढंग से पहुँचायें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ भारती जी ने जो समस्या उठाई है, दिल्ली के नागरिक इससे बहुत परेशान हैं। कोई भी विधायक ऐसा नहीं होगा जहाँ एक दो शिकायतें डेली न आती हों और सभी विधायक...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं इसलिए भई...

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं। दिल्ली के नागरिक त्रस्त हैं, इस बात से।

माननीय अध्यक्षः विषय अलग हो जायेगा ये, प्लीज, अंतिम श्री नरेश यादव जी।

नरेश कुमार यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने नियम 280 के तहत मुझे अपनी क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, महरौली एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें हमारे दिल्ली सरकार के पाँच स्कूल्स हैं और स्कूल में काफी अच्छा रेनोवेशन का काम कराया है माननीय मंत्री जी को मैं इस बात की बधाई देता हूँ और इसके अलावा भी मेरे क्षेत्र में तीन नई बिल्डिंग भी बनाई हैं जो रजोकरी में, साकेत में और एक यहाँ बसंत कुंज में... उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी, मेरे महरौली शहर में जहाँ पाँच स्कूल हैं, वहाँ पर साईंस सब्जेक्ट नहीं है और ये बहुत पुराने स्कूल्स हैं। मेरे ख्याल से सौ–सौ साल पुराने स्कूल्स होगें। वहाँ पर आसपास के देहात के सारे लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे लेकिन अब वहाँ पर जो बच्चे साईंस लेना चाहते हैं, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है दूरदराज के क्षेत्र में जाकर सब्जेक्ट लेना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर वहाँ आस–पास जैसे लड़कियाँ हैं, अगर आस–पास साईंस सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाती और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इसी सेशन से दो स्कूल्स में बॉयज और गर्ल्स में अगर

साईंस सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाये तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और महरौली की जनता इसके लिये आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करेगी, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, हमारे माननीय सदस्य श्री सोमदत्त जी ने विधानसभा अनुसार निरीक्षण, पीडब्ल्यूडी के एक रिस्ट्रकचर की बात रखी है और एक नितिन जी ने नालों की सफाई जिसका ओमप्रकाश जी ने भी कहा, सिल्ट नहीं उठ रही है, ये बहुत भारी समस्या है। मैं प्रार्थना करूँगा माननीय मंत्री जी दोनों समस्याओं पर उत्तर देंगे तो जरा उचित रहेगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं...

...(व्यवधान)

मननीय माननीय अध्यक्ष महोदयः दो मिनट रुकिये।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः पीडब्ल्यूडी रिस्ट्रकचरिंग की बात बताता हूँ। ये जो आदरणीय सोमदत्त जी ने बात बताई है, इस आधार पर मैंने बहुत पहले कर दिया था। रिस्ट्रकचर पिछले साल अगस्त से जब से आर्डर आये कि भई सर्विसिस एलजी साहब के अंडर है तो उन्होंने उस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया है। अब जो, हमने ऐसे किया था कि एक एक्सईएन को दो–दो विधान सभा दे दी जाए और किसी को भी ये नहीं हो कि... या एक विधान सभा जहाँ पर ज्यादा काम है, एक दे दो या दो दे दो। आज पुराने सिस्टम से फिर वो ही चल रहा है कि भई, जैसे इन्होंने बताया ये तो बहुत ही पर्टीकूलर वाइज छः जो एक्सईएन हैं, अब 6 एक्सईन के पीछे कौन घूमेगा और ये बिल्कुल सही है। दुबारा से मैं उनको लिख देता हूँ कि भई एक बार इसको देख लीजिएगा परंतु ये मतलब अति है, जिसे

कहते हैं कि काम मुझे कराना है... पब्लिक को मुझे फेस करना है, असेम्बली में मैंने जवाब देना है और मेरे आदेशों की अवहेलना हो रही है। इस तरह से कि भई ये होना ही चाहिए। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लिखित में दे दिया और कोई गलत हो तो बताओ कि तुमने इसमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहते हो, काम करने के तीन तरीके हैं; आप कर लो, मुझे कर लेने दो या मिलकर कर लो। न तो खुद करेंगे, न करने देंगे, मिलकर करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मंत्री कहते हैं, कम से कम एलजी साहब को उस बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दें। हम कहेंगे, ऐसे नही ऐसे कर लो, इसमें क्या दिक्कत है।

दूसरी बात, जहाँ तक ये है, डिसिल्टिंग की बात है, एलजी साहब से मैं मिला था इसके बारे में। जगह जो यहाँ पर है, साईट है जहाँ पर कूड़ा डालते है...

माननीय अध्यक्षः गाजीपुर, गाजीपुर...

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः गाजीपुर साइड पर बंद कर दिया था एमसीडी ने, तो उनसे काफी रिकवेस्ट की तो डीडीए ने 10 एकड़ जमीन दी। वो जो 10 एकड़ जमीन दी गई, वो बताते है कि कॉलोनियों के बीच में दे दी। नितिन जी से भी बात हुई थी शायद। अब वो 10 एकड़ जमीन जो दी गई, उस पर जैसे ही डालना चालू किया, अगले दिन वो उस पर स्टे ले आए हाई कोर्ट से। अब मैंने पिछले हफ्ते, एक हफ्ता हो गया है, एलजी साहब को पत्र लिखा कि आप दूसरी जगह दीजिएगा। डीडीए लैंड, सारी लैंड तो दिल्ली सरकार के पास है नहीं। अब ये कहते हैं, लैंड हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है। लैंड के लिए

तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा। तो हमने रिकवेस्ट करी है उनसे। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि जी, मुझे मिलने का समय दे दो। अब बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने लिखित में उनसे समय माँगा है, एक हफ्ता हो गया है, ना तो समय दिया, न ही जगह दी। अभी उस जगह की कोशिश हो रही है और पीडब्लुडी जहाँ तक है, अपने किसी भी स्कूल के अंदर नहीं डाल सकते, अस्पताल में नहीं डाल सकते। वो मिट्टी, गंदगी निकल रही है ना, उसको डालने के लिए कोई जगह चाहिए, डेजिग्नेटेड स्पेस चाहिए और उसको मेन्टेन करने का मैन्डेट सिर्फ एमसीडी के पास है। सिल्ट की जो साइड को मेन्टेन करेगी, वो एमसीडी करेगी, पीडब्लुडी मेन्टेन नहीं कर सकती है। और उसके पैसे लेते हैं वो लोग। पैसे तो दे ही रहे हैं। डीडीए उसको... एमसीडी को लैंड दे दे और हम अपना तुरंत सफाई करायें। हमारे जो टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। टेंडर ऑलमोस्ट तैयार हैं, वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि ठेकेदार निकालकर डालेगा कहाँ, जब डालेगा नहीं तो उसको पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट नहीं होगी तो वो निकालेगा ही नहीं तो ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन हो गई। दोनों सिचुएशंस के लिए अभी तो खेद ही व्यक्त किया जा सकता है।

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

माननीय अध्यक्षः ध्यानाकर्षण में... हाँ, एक सैकेंड बग्गा जी ने एक पेन्शन का विषय उठाया था। मैं, माननीय मंत्री जी से परमिशन मिल गई है, वो कह रहे हैं मैं उत्तर दूँगा, माननीय मंत्री राजेन्द्र गौतम जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष महोदय, एक इसमें प्रश्न जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो पेन्शन के लिए जा रहे हैं, वहाँ डिपार्टमेंट में जो अफसर बैठा हुआ है, वहाँ पर वो बोलता है कि ये विधायक सस्पेंडिड है, इसका

हम कुछ नहीं करेंगे। आज भी यही हुआ है। मैंने फोन किया और आज फोन कोई उठा नहीं रहा वहाँ पर। वो आज भी हमें विधायक मानने को तैयार नहीं हैं...

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि: पेन्शन के विषय पर चर्चा कराएंगे, आपने कहा था। सर कल करा ले आप, कल करा ले प्लीज।

माननीय अध्यक्ष: आज मैं चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता हूँ कि सभी विधायक वापस हो गए हैं हाई कोर्ट के निर्णय द्वारा। सभी विभागों को डायरेक्शंस दें कि उन विधायकों को उचित ध्यान दिया जाए, उनकी सुनवाई की जाए...

श्री विशेष रवि: सर, चर्चा के लिए आपने कहा था कि चर्चा कराएंगे सर, पेन्शन के विषय पर। बहुत सारे... सर कल आप रख लें ना, कल रख लें।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: डूडा का आप देखिए ना, अगर जहाँ पर विधायक फंड खर्च ही नहीं होगा, हम लोग काम कैसे करवाएंगे?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, ये तो एक सबका कॉमन इशू है। अगर इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे दे तो वो हल हो जाएंगी चीजें।

माननीय अध्यक्ष: सरकार तो पूरा ध्यान दे रही है विजेन्द्र जी, एलजी दे दें तो मेहरबानी हो जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, इस पर राजनीति न हो, मैं समझता हूँ...

माननीय अध्यक्षः एलजी ध्यान दे दें, राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ऐसे विषय पर राजनीति नहीं चाहिए।

माननीय अध्यक्षः राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े दुःख के साथ ये बात कह रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ये एकाउंट ही तो भेजना है डूडा को। वो एकाउंट क्यों नहीं भेज रही मतलब... समझ में नहीं आ रहा मेरे को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिलवाया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कौन सा**?**

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किसका, कौन सा है? ...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: वो जो राशन वाला।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी चर्चा में आएगा, आप रख लीजिएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, न तो आप ये... आपको क्या दिक्कत है डूडा को कहने में?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी चर्चा शुरू होगी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हद हो गई! जानबूझकर के...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, उनको उत्तर तो देने दो।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हर चीज पर राजनीति करते हैं आप!

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा साहब, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, विशेष जी।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः पेन्शन पर चर्चा कराइए सर। कल करा लें सर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पेन्शन का दे रहे हैं ना, उत्तर।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि: एक उसका दे रहे हैं सर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, तो फिर और किसका देंगे?

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि: बहुत सारे सवाल हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वो कोई लिखित में देगा कोई, तभी तो करवाऊँगा। आप हर बार सदन में बोलते हैं। किसी सदस्य...

श्री विशेष रवि: सर, आपने कहा था।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, तो मैंने कहा था। लिखित में दें तो मैं चर्चा करवाऊँ।

श्री विशेष रवि: सर, आपने कहा था कि करा लेंगे वैसे ही...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चलिए। ऐसे कैसे हो जाएगा!

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो हमारे साथी विधायक एस.के.बग्गा जी ने जो मुद्दा उठाया कि विकलाँग पेन्शन में 60 साल पूरे हो जाने के बाद, विकलाँगता पेन्शन बंद होकर सीनियर सिटीजन वाली बनती है। मैं सदन को, सभी सम्मानित सदस्यों को ऐश्योर करता हूँ कि जिस तरह विडो के केसिज में किया गया,

उसी तरह बहुत जल्दी ही सीनियर सिटीजन जो हो जाते हैं, विकलाँग.. . उनको विकलाँगता वाली पेंशन कन्टीन्यू रहेगी, ये बहुत जल्दी ही लागू करवा दिया जाएगा, शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अब इस पर क्वेश्चन आन्सर नहीं। देखिए, ये 280 है, मैंने उत्तर दिलवा दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं आप, लिखित में नोटिस आ जाएगा, मैं चर्चा करवाऊँगा। फतेह सिंह जी। आज लिखित में नोटिस दीजिए, मैं इस पर चर्चा करवा दूँगा। कल चर्चा करवा...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं, प्लीज। अभी बहुत सदस्य खड़े हैं अपनी बात रखने के लिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये सीवर...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप नहीं थे, मैंने उत्तर दिलवाया है मंत्री जी से। आप चले गए थे। मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैंने दिलवाया है। चलिए। अब सुश्री राखी बिड़ला, माननीय उपाध्यक्ष एवं श्री अजय दत्त जी 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम' के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था से उत्पन्न स्थितियों के संबंध में माननीय समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। राखी जी।

सुश्री राखी बिड़ला: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, आज 2 अप्रैल, 2018 देश के इतिहास में मुझे लगता है एक सबसे ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज पूरा भारत बंद है और पूरे भारत के अंदर दलित सड़कों पर हैं। जगह–जगह चक्का जाम कर रहे हैं। रेलें रोकी जा रही हैं। काम बंद करवाए जा रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे देश के अंदर। वो वर्ग जो हमेशा से दबा कुचला रहा, वो वर्ग जो हमेशा अपने अधिकारों के लिए, अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को सही लालन पोषण देने के लिए सुबह निकलता और मजदूरी करके रात को अपने घर में घुसता है, आज वो मजदूर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग आज संघर्ष के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर है। अध्यक्ष जी, अगर मैं अपने शब्दों को इस तरह से कहूँ कि आज दलित समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है तो मुझे लगता है कि ये कोई असमंजस्य या कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि पिछले दिनों 20 मार्च को जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 'अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों को अपने एक फैसले के मुताबिक कमजोर करने की ओर धकेला है, ये बेहद दुखद है। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अब 20 मार्च से एससी/एसटी के तहत कोई भी दलित व्यक्ति जिसके ऊपर कोई बाहुबली या सवर्ण व्यक्ति उसको जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, अगर वो एफआईआर लिखवाने जाएगा तो उसे पहले वो साबित करना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे, सबूत पेश करने पड़ेंगे। अब अध्यक्ष जी, यहाँ सोचने वाली बात है कि जो समाज का 85 प्रतिशत, इस पूरे देश की आबादी का 80 से 85 प्रतिशत जो आबादी हैं, वो दलित, पिछड़े वर्ग लोगों की हैं, दबे कुचले

लोगों की हैं, जिन पर लगातार सालों से नहीं, दशकों से नहीं, कई शताब्दियों से अत्याचार होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं। अभी ये 30 मार्च, 2018 की ही घटना है, गुजरात के भावनगर जिले में एक दलित समाज का लड़का घोड़े की घुड़सवारी कर रहा था। वहाँ पर ऊंची जाति के लोगों को वो नागवार गुजरा और उस लड़के की ही नहीं, उस घोड़े की भी हत्या कर दी, उस घोड़े को भी मार डाला और इस लड़के को भी मार डाला। ऐसे में क्या हम सोच सकते है कि किसी गली में कोई सफाई कर रहा है, कोई मोची जो किसी का जूता बना रहा है, कोई बढ़ई जो लकड़ी का काम कर रहा है, कोई नाई जो किसी के बाल काट रहा है, उसको अगर कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति, उँची जाति का व्यक्ति जाति सूचक शब्दों से अगर संबोधित करता है तो क्या इस बात का प्रमाण या इस बात की उसके पास हिम्मत होगी कि वो उसकी रिकॉर्डिंग कर ले और उसके सबूत पेश कर सके। ये मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, बहुत अजीब सी स्थिति है कि समाज के दबे–कुचले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाबासाहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उस संविधान में जो उनको एक मजबूती बनाये रखने के लिए 1989 के प्रावधान के तहत कानून दिया गया, उस कानून को कमजोर करने की ये कहीं न कहीं साजिश है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में कहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हूँ। उसकी एक–एक जजमेंट का सम्मान करती हूँ। लेकिन आज ये दलितों की जो सुरक्षा के साथ, जाने में या अनजाने में आज फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये बेहद दुःखद है। दलितों की जो ये सुरक्षा है, दलितों की जो भावना है, उसे कमजोर करने का कहीं न कहीं से प्रयास है। अध्यक्ष जी, ये सोच, ये फैसला ऐसे

ही नहीं आया। आपने देखा होगा, पिछले एक–दो महीने से कहीं पर पेरियार की मूर्ति तोड़ दी जाती है, कहीं पर लेनिन की मूर्ति तोड़ दी जाती है। पिछले कुछ दिनों के अंदर, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, यूपी हो, बंगाल हो, बाबा साहब की मूर्तियों को लगातार... ठेस जो है तोड़ा गया, नुकसान पहुँचाया गया। ये मनुवादी सोच है जिस पर हमारे देश के कुछ लोग और मैं कहूंगी आरएसएस के लोग कब्जा करकर बैठे हैं और आज दलितों को गुलामों और गुलामी भरी जिंदगी में जीने के लिए धकेल रहे हैं। ये एक सोची समझी जो है, साजिश है।

अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है; हर तीन मिनट के अंदर देश में किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी कोने के अंदर, किसी न किसी दलित को शिकार बनाया जाता है। चाहे वो अपनी हवस का शिकार हो या वो बाहुबलियों के तहत उसके ऊपर मारपीट का केस करने की बात हो या फिर वो अगर इज्जत से, सम्मान से अपनी जिदंगी जीने की कोशिश करे तो उन्हें नीचा दिखाने की बात की जाये। तो अध्यक्ष जी, चारों ओर देश में आज अराजकता का माहौल है और आज तो सिर्फ आगाज हुआ है, अभी तो इसका अंजाम क्या होगा हम लोग सोचकर भी घबरा रहे हैं। क्योंकि मैं स्वयं आज अपनी विधानसभा के अंदर पूरा पद यात्रा शांतिपूर्ण मार्च करके आयी हूँ, शांति पूर्ण तरीके से और उसमें एक दिन के आह्वान पर तकरीबन डेढ़ से दो हजार लोग शामिल थे, और सोचिये ये संख्या दिन प्रतिदिन... अगर मंगोलपुरी जैसे इलाके में इक्कठी हुई है तो ये देश के अलग–अलग राज्यों के अंदर, अलग–अलग इलाकों के अंदर चिन्गारी की तरह फैलेगी।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्ययम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब इस देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था इस तरह की होती है कि जब

बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर जज लोया जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनकी सुनवाई के लिए पूरा मन बनाते हैं, किसी तरह की बात नहीं मानते, विधान का, न्यायपालिका का अनुसरण करते हुए अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो उसी जज लोया की रातों रात मौत हो जाती है। मीडिया उसको नहीं उठाता है। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ऐसे में अध्यक्ष जी, हम कैसे सोच लें कि एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला आदमी, एक मोची, एक बाल काटने वाला, एक खाट बनाने वाला आदमी किस तरह से सबूत पेश करेगा और क्या बाहुबली लोग उसके सबूत पेश करने देंगे! अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट, अपने फैसले में कहा है कि एसटीएसटी केस तभी रजिस्टर्ड होगा जब सबूत होंगे। सबूत कैसे होंगे, कहां से होंगे! आपको पता है कि किस तरह से आज इस देश की न्यायपालिका में सबूतों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया जाता है और अपराधी बहुत ही शान के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ वहाँ से बरी हो जाते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो दबे–कुचले लोगों के खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट का जाने–अनजाने में जजमेंट आया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस पर पूर्ण विचार करे। मैं और मेरी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं पुनः यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से जो है, पुनर्विचार करना चाहिए और एक बार इसके हित में, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस पर जो है, चर्चा करते हुए इस ऐक्ट को जो है, कुछ भी बदलाव न हो, जैसा था जस का तस बनाये रखे और सिर्फ अध्यक्ष जी, मैं नहीं खुद सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद हैं, सत्ताधारी पार्टी केन्द्र में जो बीजेपी सरकार है, उसकी खुद उत्तर प्रदेश बहराइच की एमपी सावित्री बाई फूले ने इसके

खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी समेत बिहार में, पंजाब में, देश के अलग–अलग राज्यों में हम लोग विधायक, एमपी, एमएलएज, पार्षद किसी भी पार्टी से चुनकर आते हैं, किसी भी पद पर बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिये, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि वोट डालने का भी अधिकार हमें उनकी वजह से मिला, हम लोगों को चुनाव लड़ने का, बड़े–बड़े पदों पर आसीन होकर अपनी योग्यता के हिसाब से काम करने का मौका भी हमें...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिये राखी जी, अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

सुश्री राखी बिडलाः इन सब चीजों के माध्यम से मिला तो अध्यक्ष जी, मेरी बात बार–बार आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और आप लोगों से बस यही गुहार है कि आप इस सदन की आवाज को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुँचायें और एक बार उनसे जरूर करबद्ध प्रार्थना करें कि अपने इस फैसले को, जो 20 मार्च को उन्होंने सुनाया है, उस पर पुनर्विचार करें और एक बार दलितों के संरक्षण के लिए, दलितों के हित के लिए इस कानून को जैसे है, वैसा ही रहने दें। बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

श्री नितिन त्यागीः एक चीज सुनाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः एक सेंकेड अजय जी, बैठिये। क्या है बताइये?

श्री नितिन त्यागीः ये एक मैसेज है, मैं इस मैसेज के बारे में बाद में... पहले मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ। ये एक भारतीय जनता पार्टी के

पदाधिकारी का है और जिस तरीके से इनकी मशीनरी वर्क करती है सोशल मीडिया पे किसी भी मैसेज को फैलाने की, उसी तरीके से ये आया है मैसेज। नाम बता दूँगा मैं बाद में।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नाम रहने दीजिए।

श्री नितिन त्यागीः मैं बता देता हूँ। सर, मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सभी सवर्ण समाज से मेरा अनुरोध है, अपने घर व अपने सभी कार्य जैसे घर का राशन, मोबाईल रिचार्ज, डीटीएएच रिचार्ज, परिवार के साथ बाहर खाना–खाने और कोई भी कार्य न हो तो कम से कम एक बिस्कुट का पैकेट ही लेकर आयें परंतु 2 अप्रैल को अपने घर के बाहर अवश्य निकलें ताकि एससीएसटी ऐक्ट के लिए किये जा रहे भारत बंद को असफल बनाया जा सके और देश हित में साहसिक फैसले लेने वाले न्यायधीश दीपेश मिश्रा को नैतिक बल प्रदान किया जा सके ताकि कुछ सवर्ण बहादुर राजनेता आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखा सकें। इस सूचना को अधिक से अधिक स्वर्ण समाज तक पहुंचायें। सर ये मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा तो ओवयसली भाजपा के हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मनोज जी मेरे पास जो नाम आये हैं मैं उनको लागू कर रहा हूँ। दो–मिनट बैठिये, दो मिनट बैठिये। मनोज जी बैठिए प्लीज। नितिन जी, मैं इसीलिये इसको एन्वॉल्व नहीं कर रहा था। मैं इसीलिये इसको एन्वॉल्व नहीं कर रहा था। सदन की कार्यवाही अब डिस्टर्ब हो गयी टोटल। टोटल कार्यवाही डिस्टर्ब हो गयी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये प्लीज। झा साहब, बैठिये। राखी जी बैठिये, बैठिए प्लीज। मनोज जी बैठिए। बैठिए, ओम प्रकाश जी। नहीं, बैठिये। मेरे पास जो नाम आये हैं, मैं उन... बैठिए प्लीज। श्री अजय दत्त जी, श्री अजय दत्त जी। सोमनाथ जी। सोमनाथ जी बैठ जाइए।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद सर। मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि चर्चा होने दें इससे पहले।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। बैठिए प्लीज, सोमनाथ जी, राखी जी ने यह विषय रखा है और इस पर चर्चा नहीं कराके इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप लोग घुमा फिराके... नहीं, तो इसको ले रहा हूँ मैं। आप बैठेंगे तभी तो लूंगा।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, ये सदन के माहौल में इस विषय पर चर्चा होना जरूरी है। सदन का माहौल खराब करना जरूरी नहीं है। श्री अजय दत्त जी। बैठिए, प्लीज बैठ जाइये। भई मेरे पास नाम आयेंगे, चिंता... हाँ तो आप नाम भेजिये चर्चा में।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः आप चर्चा में भाग लेके भेजिये मुझे, मैं समय दूँगा।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी प्लीज।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर आज आपने चर्चा करने के लिए दिया और 20 मार्च को जब ये सुप्रीम

कोर्ट का आदेश मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने आपसे भी कई बार इस विषय में बार–बार लगातार कहा कि इसपे चर्चा की जाए और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिरकार आपने चर्चा कराई इसपे।

अध्यक्ष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें समानता दी, सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को समानता दी और पाँच हजार वर्षों से पीड़ित, शोषित, दलित समाज जो इस देश का निर्माण कर रहा है, जो इस देश के लिए काम कर रहा है, जो इस देश की मजदूरी कर रहा है, जो इस देश को बना रहा है, उसके लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ कानून बनाए और कानून बनाने के बाद भी 40 वर्ष तक इस देश में मनुवादी संस्कृति के कुछ लोगों ने अपना प्रपंच रचा हुआ था और 40 वर्ष तक कहीं भी संविधान के समानता को लागू नहीं करने दिया गया और 40 वर्ष बाद 1989 में एक संविधान बना, एक कानून बनाया गया, इस संसद ने पास किया, उस कानून को पास, वो ऐट्रोसिटी ऐक्ट के तहत इस कानून को पास किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि 40 साल बीत जाने के बाद भी, आजाद लोकतंत्र देश में बहुत सारे लोग, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत करते थे, बहुत सारे लोग, उन लोगों को, जो गरीब हैं, उनको उनके अधिकार से वंचित रखते थे। बहुत सारे लोग, जातिसूचक शब्द से लोगों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खेलते थे, इसलिए ये जरूरत पड़ी, इसलिए ये कानून बना और इस देश की संसद ने, इस कानून को बनाया और इस कानून को बनाने के बाद अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं 1975 में जन्मा और 1989 के बाद का जो देखा हमने माहौल, वो बहुत कम हमने देखा कि यहाँ पर छुआछूत या कोई ऐट्रोसिटी या कोई अत्याचार दलितों पे है, लेकिन उसकी संख्या रिकॉर्ड में बहुत कम थी। मैं आपको डेटा भी बताने जाऊँगा

और उससे क्या हुआ देश में एक माहौल बनने लगा कि सभी लोग समान है। सभी लोग, अगर कोई किसी को गाली देगा, अगर कोई किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करेगा तो उसको 15 दिन की कम से कम जेल और उसको बाद में पूछा जाएगा कि उसके ऊपर कार्रवाई... बाद में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी पहले उसको जेल जाना पड़ेगा तो ये एक बहुत बड़ा कानून था और इस कानून के तहत क्योंकि देश में जब कानून है तो उसको लागू करने के बाद लोगों को समझ में आया कि भइया अब कानून बहुत सख्त है और इन गरीबों को, हम दलितों को समानता का अधिकार मिलना शुरू हो गया। अब मैं कुछ आँकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जब ये कानून बनाया गया और उससे आज तक ये एक क्राईम इनवैस्टिगेसन नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा है 2017 का। इसमें बताया गया है कि ऐट्रोसिटी एससीएसटी ऐक्ट–1989 के तहत सिर्फ 2.4 परसेंट लोगों को जेल में जाना पड़ा और हजारों लाखों की संख्या में जो जिन लोगों के ऊपर ये ऐक्ट लगाने की कोशिश की, उनको दर्ज भी नहीं किया गया और उसके बाद बहुत सारे केस इस 2.4 परसेंट में से भी विदड्रॉ करा लिए गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय लिया तो उसके आधार क्या थे? क्या आधार सिर्फ ये था कि सरकारी अधिकारियों के ऊपर अगर कोई ऐट्रोसिटी ऐक्ट लगा रहा है, उसको रोकने के लिए ये बात कही गई या अगर कोई गैर सरकारी लोग हैं तो उसको चेंज डीसीपी या एसएसपी करेगा कि इसपे ऐट्रोसिटी ऐक्ट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये निर्णय लिया तो उस निर्णय में उनकी सोच क्या थी... क्या ये सोच है? वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पूरा समाज, पूरे देश में आज 2 अप्रैल के दिन पूरे देश में दलित समाज के लोग रोड पे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। मैं भी तीन जगह

अभी प्रोटेस्ट में से आया हूँ, हजारों की संख्या में लोग रोड पे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन है। हमारे साथ वैसे ही अभद्रता दुबारा होगी, हमारे साथ वैसे ही छुआछूत दुबारा होगी। इस देश में दलितों को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा और कहीं न कहीं ये मनुवादिता की तरफ इस देश को ले जाने का पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी... पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि बाबा साहेब का संविधान जो इस पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान है, उसपे भी आघात लगाने की कोशिश की जा रही है और जब ये ऐक्ट लागू था, जब ये ऐक्ट लगाया गया, उस ऐक्ट में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज ये थी कि किसी भी दलित समाज से, गरीब समाज से कुचले समाज के व्यक्ति को अगर कोई काम कर रहा है तो उसका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। तो उसका आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा, इस ऐक्ट का ये नियम है। इस ऐक्ट का नियम है कि उसका अब सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, अगर वो कहीं भी बैठे, किसी के साथ भी बैठे, कोई भी, कैसा भी संबंध बनाए उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा। ये ऐक्ट लगाने का ये कारण था लेकिन उसकी जो मूल भावना है, उसका दरकिनार रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उससे पूरा दलित समाज बहुत आहत है और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहते हैं कि आप इस देश का कानून, आपके हाथ में है, इस देश की व्यवस्था आपके हाथ में है तो आप इसपे पुनर्विचार कीजिए क्योंकि इस देश में बीजेपी की सरकार है और कानून बनाने का अधिकार बीजेपी को है और अगर इस कानून में वो दुबारा से संशोधन लाके इस ऐक्ट को दुबारा लगवाएं क्योंकि ये इस देश की सरकार का अधिकार भी है और ये कानून देश की सरकार ने पहले भी बनाया था कि सबको समानता मिले, सबको सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता मिले और इस देश में जाति, धर्म से ऊपर उठकर सब

एक समान होके काम करें। तो मेरा आपके माध्यम से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर इस तरीके की भावनाओं से और अगर सुप्रीम कोर्ट...

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए अजय दत्त जी, कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्तः अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की भावनाओं को सामने लाते तो आज अगर रोड पे देखा जाए, कितना रोश है लोगों में और पूरा दलित समाज बहुत दुःख में है और ये दुख कहीं पूरे देश में किसी ओर तरफ ना चला जाए। क्योंकि हम किसी से डरते या कुचलते नहीं, हम सारे के सारे लोग इस देश में समानता के साथ हैं हमारे को अगर रोका गया और हमें कुचला गया तो हम बैठेंगे नहीं। तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट इसपे पुनर्विचार याचिका लगाए और दुबारा से इस कानून को लाए और दलितों के लिए कुछ ओर कानून लाए, अगर दलितों के लाएंगे तो भइया, तुम्हारा जो नैचुरल रिसोर्स है...

माननीय अध्यक्ष महोदयः पुनर्विचार याचिका, अजय दत्त जी एक सैकंड।

श्री अजय दत्तः उसमें हमारा अधिकार दिलवाओ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ पर हमारा आरक्षण दिया जाए, वहाँ पर हमें आरक्षित किया जाए अगर ऐसा कानून लाता है तो हम कहते हैं, वो बात करता है दलितों की, तो अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर अच्छे कानून बनाए, तो हम साथ हैं। नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि वो दुबारा से पुनर्विचार करे और इसपे काम करे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदयः चौ. फतेह सिंह जी।

श्री चौ. फतेह सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद, 20 मार्च को जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया गया है, निश्चित रूप से दलितों के खिलाफ है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से आज इसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कानून मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, उस याचिका के तहत जो नियम है, संविधानिक परम्परा है, उसके मुताबिक वो याचिका उसी खंडपीठ के सम्मुख विचाराधीन की गई है, जिसने ये निर्णय सुनाया।

मैं मानता हूँ कि अगर निर्णय उसी खंडपीठ को देना है जिसने ये निर्णय सुनाया है तो ये कहाँ तक वाजिब है कि वो इस निर्णय को वापिस लेगी तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है अध्यक्ष जी, कि इस पर ऐसा कोई ठोस कानून बने और केन्द्र सरकार द्वारा और जो भी हिन्दुस्तान के अंदर जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसकी निमित ऐसी व्यवस्था निश्चित की जाए जो कि यह फैसला पुनर्विचार याचिका के माध्यम से उन जजों पर जाए जो जज दुबारा इस पर पुनर्विचार कर सकें।

मेरा अध्यक्ष जी इतना ही कहना था और देश में जिस प्रकार से आज आग लगी हुई है, जिस प्रकार से मैंने मेरठ का टीवी के माध्यम से देखा, किस प्रकार से लाठियों से लोगों को पीटा जा रहा था। उस अत्याचार की हम निंदा करते हैं और आपके माध्यम से यह विचार करने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर पुनर्विचार याचिका ऐसी डाली जाए जिससे उस पर पुनर्विचार हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद फतेह सिंह जी। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमारः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले आज सदन में हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उनका ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर हम जितने भी बहुजन समाज से आते हैं, आपके हर मुद्दे पर खड़े होकर के आपका साथ देते हैं। तो आज अगर दलित समाज के ऊपर ऐसा संकट दिखाई दे रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे वो साथी भी हमारा साथ दें। सभी सदस्यों का बहुत–बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो आप... जिन्होंने बार–बार जब–जब देश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, चाहे वो दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, युवा पीढ़ी हो, महिला हो किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।

आज मैं कोंडली से विधायक चुनकर आता हूँ। अगर मैं जनता की बात करूं तो मैं तो खुद को भी सुरक्षित महसूस नहीं करता कि न जाने कब किस माहौल में वो उठाकर के हमें ले जाएं। आज पूरे देश भर में, 2 अप्रैल पर मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद इतना बड़ा जनसमूह सड़कों पर उतरा है। देश का कोई भी कोना हो, कोई भी राज्य हो, दिल्ली का कोई भी विधानसभा का चौराहा हो, आज सारी जगह पर बहुजन समाज के लोग एकत्रित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हों के अधिकारों हनन हो रहा है। बार–बार किसी न किसी रूप में बहन–बेटियों के साथ बलात्कार, अगर पढ़ने लिखने में हमारे छात्र सक्षम हैं तो उन्हें मार–पीट के बिठाया जाता है, कहीं न कहीं ये आगे न बढ़ जाए। आज हर जगह ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। पहले प्रमोशन... इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया। ये हम किसी से मांग नहीं रहे हैं कि आप हमें दे दो। हमें मिल रहा है। ये अधिकार है हमार। जब देश आजाद हुआ बाबा साहब ने जो संविधान रचा, तब उन्होंने

मांग करी थी कि मेरे इस समाज को अलग राज्य दे दो, अलग जगह दे दो, जहाँ पर ये सुरक्षित रहें। क्योंकि उन्होंने वो परंपराएं, वो पीड़ा, वो दर्द सहे हैं, वो अत्याचार सहे हैं, वो छुआछूत का भेद सहा है। इसलिए उन्होंने माँग करी थी कि हमें अपने इस समाज के लिए अलग जगह दे दो। परंतु हमने सभी समाज की बात को मानते हुए एक साथ रहना पसंद किया। पर आज जब हमें अधिकार दिए गए, आज वो धीरे–धीरे छीने जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बैठकर के लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप दिल्ली से बाहर निकल कर हरियाणा में जाकर देखिए, अध्यक्ष जी, राजस्थान में जाकर देखें, मध्यप्रदेश में जाकर देखें, उत्तर प्रदेश में जाकर के देखें कि दलितों के साथ कितना घोर अत्याचार हो रहा है। जगह–जगह पे नौएडा के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया। हरियाणा के अंदर मैं, राखी, माननीय मंत्री महोदया जी, विशेष हम बहुत सारे साथी गए। जहाँ 14 साल के बच्चे को सिर्फ एक कबूतर चुराने के ऊपर झूठे आरोप में नाखून उखाड़कर मार दिया गया, जो एक विधवा का बेटा था। ये अत्याचार वहाँ का लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ। मैं अपनी पीड़ा आज व्यक्त करना चाहूँगा सदन में अपने, इसी समाज से आता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में बहुत धार्मिक पवित्र स्थान है और मैक्सिमम साथी वहाँ गए हैं पर वहाँ से साढ़े तीन किलोमीटर दूर एक गाँव है, लंगड़ा बालाजी। मेरे कुछ साथी जो त्रिलोकपुरी में रहते हैं, उस दोस्त का विवाह था। यहाँ हमने खूब ढोल बाजे से नाचते गाते उसकी बारात निकाली। जब उस गाँव में पहुंचे ना कोई ढोल बजा, ना कोई घोड़ी चढ़ा। गाड़ी से उतरे सीधा घर में। मैं पूछ बैठा, ऐसे ही कि भई यहाँ ढोल वोल नहीं मंगाया तूने? कह रहा भाई, यहाँ बजा नहीं सकते। सर, ये स्थिति है इस देश में हम दलितों की। जैसा अभी राखी ने बताया कि सिर्फ उसको घुड़सवारी करने पर मार दिया गया। क्या हम इंसान नहीं है! अगर हम एक दिन

अपना काम रोजगार बंद कर दें बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग तो जितने भी समाज यहाँ बैठे हुए हैं। वो घर में अपने मूक बनकर रह जायेंगे। घर में चौका–बासन नहीं होगा, उनके काम–काज नहीं होंगे, अफसरों के ताले लग जायेंगे। हम वो हेल्पर्स हैं जो सदियों से ये अत्याचार सहते आ रहे हैं। ये आज की विडम्बना नहीं है लेकिन आज समाज शिक्षित हुआ है, पढ़ा–लिखा हुआ है। देश भर में नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब ने अपना शिक्षा का डंका बजाया है कि अगर इस पूरे देश... विश्व में कोई सबसे शिक्षित एक अच्छा छात्र रहा तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर रहे। जो पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। आज हम उस समाज की हम लोग जो जगह–जगह अत्याचार सह रहे हैं, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए मनोज जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, ये कन्क्लूड करने का तो विषय है ही नहीं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूँ यहां पर। लेकिन पीड़ा इतनी ज्यादा है कि मैं सुबह कोंडली से निकला हूँ, 6:00 बजे से यहाँ धूप में पहुंचे हैं। मेरठ के अंदर मेरे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है वो वहाँ पर पीड़ा से तड़प रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर चर्चाएं करते हैं। लेकिन कहीं पे कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। जो अधिकार है, वो छीने जा रहे हैं हमारे। मैं अपनी व्यथा अपनी रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी की बात यहाँ ना रखूँ तो कहाँ रखूँ! मैक्सिमम लोग वहाँ पर दलित हैं। आज उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जाकर के 30 साल से रह रहा हूँ, अब पानी की लाइनें डली हैं, अब सीवर की लाइनें डली हैं। यही हाल काँग्रेस की सरकार में रहा और यही हाल आज भाजपा की सरकार में है। मेरा निवेदन यही है इस सदन से... अभी जो दिखा रहे हैं कि एमपी के अंदर चार लोग मरे हैं। सिर्फ हम बड़े शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कहीं पर कोई

हल्ला–गुल्ला नहीं किया, हमने कोई ऐसा वॉयलेंस नहीं किया जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो। सारी सड़कों पर हम घूमें हैं, माननीय मंत्री जी घूमें हैं, हमारे सदस्य घूमें हैं। लेकिन कहीं भी हमने ऐसा नहीं करा कि किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। किसी ने दुकान बंद करी है तो बहुतों ने खोली भी है। हमने उनसे नहीं कहा कि तुम दुकानें बंद करो। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे ऊपर अत्याचार हैं तो आप हमारे साथ आओ। लेकिन ये देश के अंदर विडम्बना है अध्यक्ष जी, जो बार–बार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जब–जब भाजपा सरकार आई है, तब–तब दलितों का शोषण हो रहा है, तब–तब उन पर अत्याचार हुआ है। इन्हें ये समझ नहीं आता कि इसी वर्ग ने इन्हें मेंडेट दिया, वोट दिया, तब इनकी सरकार पहुँची। आज ये सड़क पर उतरी है। मैं दावे से कहता हूँ कि 2019 के अंदर इन्हें ढूंढने से अपना सांसद नहीं मिलेगा कि भाजपा का कोई सांसद है। मुझे शर्म आती है उन सांसदों को कहते हुए जो हमारे दलित समाज से आते हैं और आज कोई संसद में आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी भाजपा का पदाधिकारी पूरे देश भर में, पूरी दिल्ली के अंदर रोड पर उतरे दलित वर्ग के साथ खड़ा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी पुरजोर अपने इन संगठनों को जिन्होंने प्रदर्शन किए, पूरा सपोर्ट करती है और पूरे तन–मन–धन के साथ मेरे जितने साथी दलित समाज से आते हैं, सब उनके साथ में हैं।

एक अनुरोध आपसे है मेरा यहाँ पर... जी बहुत–बहुत धन्यवाद मेरे सभी साथी जो यहाँ पे हैं, वो हमारे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबकी वजह से मैं बोल भी पा रहा हूँ। जो ऐक्ट के ऊपर इन्होंने तलवार लटकाई, जो खत्म किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करता हूँ कि उस पर पुनर्विचार किया जाए। दलितों के हकों को न छीना जाए बल्कि उनके

जो अधिकार दिए बाबा साहब ने संविधान के द्वारा, उनको पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि ये वर्ग भी पढ़–लिखकर के आपके साथ खड़ा होकर इस देश का निर्माण करने में सहायक हो, जय भीम जय भारत।

माननीय अध्यक्षः संदीप कुमार जी।

श्री संदीप कुमारः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जैसे कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है, आज पूरे देश में और इस सदन ने इस बात पर चर्चा करने का ये जो कदम उठाया है, सराहनीय है। आज हम राजघाट पर गए थे तो वहाँ पर एक अद्भुत सा आश्चर्य हुआ और यहाँ पर भी मुझे देखने को मिला। मदन लाल जी बार बार कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। ये अच्छी बात है जब इस देश के बहुजन को ये पता चल जाएगा कि हम तथाकथित हिन्दू नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर सताए हुए लोग हैं और जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, हमारे अधिकारों का ऐसे ही हनन होता रहेगा। इस देश में जब जब जरूरत पड़ी अगर देश को चरित्र की जरूरत पड़ी, रामायण की जरूरत पड़ी, भगवान वाल्मिकी से लिखवा ली और महाभारत की जरूरत पड़ी तो वेदव्यास से लिखवा ली और जब देश में अच्छे–अच्छे स्कॉलर थे, बुहत सारे लोग थे, कुछ लोग कहते हैं, बाबा साहब ने कॉपी करके लिख दिया। संविधान वो लोग भी लिख सकते थे। लेकिन एक दलित से ही क्यों लिखवाया गया? हमारी काबिलियत की अगर बात करें तो उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस देश में हमारे एकलव्य भी हुए हैं, शम्भुग्रेसी हुए हैं। लेकिन हमेशा षड़यंत्रों के माध्यम से उन लोगों का संहार किया गया है और ये सदन आज इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहा है। 75 परसेंट जो मामले हैं, देश में जो ऐट्रोसिटी के दर्ज हुए, वो खारिज कर दिए गए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। 15 परसेंट ऐसे मामले हैं जिनमें उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया और 10 परसेंट

मामलों में कार्रवाई चल रही है और अध्यक्ष साहब, सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ आपके सामने। मैं जब मंत्री था। मैंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, कपिल गुप्ता एक एक्सईएन होता था एमसीडी में और वो अधिकारी हमने कहा कि भई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, विधान सभा में आप सफाई व्यवस्था ठीक से करिए। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल मुँह के सामने कहा कि सफाई का काम तो आपके ही लोग करते हैं। ये आपके लोगों की ही गलती है। आप लोगों को विधान सभा और लोकसभा में नहीं, आपको इसी काम में होना चाहिए। ये तो एक मूर्ख व्यक्ति आया था जिसकी वजह से आप लोग हमारे सिर पर बैठ गए। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ जो सावित्री बाई फुले जो एमपी हैं बीजेपी की, उन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी से और इन लोगों को चेताया। मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष साहब, ये जो आरएसएस है, ये एक तरह से जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं, उनका एक टॉरगेट होता है। उनका जैसे लादेन अमेरिका में एक हैलिकाप्टर में पायलेट बिठाकर के एक बिल्डिंग में घुसा दिया था। उन्हें कोई मृत्यु का भय नहीं था, कुछ नहीं था। उन लोगों का एक टॉरगेट था। ये ईवीएम हैक करके या जो भी करके जैसे भी तिकड़म बाजी करके ये सरकार में ये लोग आए और इन लोगों का एक उद्देश्य है कि यहाँ के गरीब को, दलित को, पिछड़े को एक उसी जगह खड़ा कर दिया जाए ला करके, जहाँ से इनके पूर्वज आते थे और हमें एक ऐसी दृष्टि से यहाँ पर देखा जाता था कि हम लोग मानव के रूप में हैं ही नहीं। वो होता है और मैं तो ये कहूँगा जितने भी लोग... हमारे लोग बहुजन समाज के इन विधान सभा में और लोकसभा में बैठे हैं, वो मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते की तरह हैं। अपने आप को सोचते हैं, हमारी प्रवृत्ति बदल गई। लेकिन हमारी औकात वही है, कोई भी जो भी यहाँ पर बैठा है, आप अपनी औकात न भूलें भाई। ये जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये लोग ऐसे ही उत्पीड़न करेंगे। ये लोग ऐसे ही प्रहार

करेंगे। फिर मैं वहाँ पर गया अपने यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर प्रोफेसर्स बैठे हुए थे हमने पूरा यूनिवर्सिटी का मार्च निकाला। वहाँ पर इतना ज्यादा गलत डिसीजन लिया जा रहा है यूजीसी में, एचआरडी मिनिस्टरी की तरफ से। बच्चों की फीसें एक दम बढ़ा दी, कोटे खत्म कर दिए, मतलब ये लोग चाहते क्या हैं कि ये दलित और बहुजन लोग रोड पर आएं और उत्पात मचाएं। मैंने अध्यक्ष साहब, जब मैं मंत्री था तो दो चार लाइने लिखी थी बड़ा गंभीरता से मैं सोचता था बाबा साहब को पढ़ा है। हमने चार लाइने लिखी थी हो सकता है आप लोगों को गलत लगे। लेकिन आज के इस समय में वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उसमें लिखा था मैंने कि अगर संविधान सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है। इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, अगर हमारे लोगों पर, अगर हमारे समाज पर, अगर किसी भी तरह का उत्पीड़न होगा तो हम लोग सड़कों पर भी आएंगे और जब तक बात संवाद से बनेगी, संवाद से भी करेंगे। अगर हमें कुछ ओर भी करना पड़े। समाज को बचाने के लिए क्योंकि लोगों से देश है। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं न भई पुल देश नहीं है, सड़क देश नहीं है, बिल्डिंगे देश नहीं है। लोग जो हैं, वो देश है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो जंगलराज है ये। अगर जंगल ही है तो फिर जंगल में तो जानवर एक दूसरे को मार के खाता है। फिर हमें कोई भी हथियार अपनाना पड़े, कोई भी काम करना पड़े समाज का, सारी चीजें छोड़के राजनीति और सारी चीजें भूल करके हम लोग समाज के साथ खड़े होंगे और हमें उम्मीद है जब इस विधान सभा में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और बीजेपी के लोग ऐसे सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से आ गये ये लोग! ये सबकी सोचते हैं अजीब से लोग हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो पार्टी है और ये जो यहाँ पर विधान सभा है, ये अजीब से ही लोगों की है! पता नहीं,

कौन कहाँ से आ गया! तो ये मिक्सअप है। धर्म निरपेक्ष, जातिवादी इन चीजों में विश्वास नहीं रखती है ये देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है और हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब, ये जो निर्णय आया है, ये निंदनीय है और इस देश में दुर्भाग्य हमारा ये है कि और भी चीजों में बहुत सारी चीजों में गलत इस्तेमाल होता है कानून का। दहेज में चले जाओ आप, रेप केस में चलो जाओ, बहुत सारी चीजों में दुरुपयोग होता है। इसका तो उपयोग ही नहीं हो रहा। जो जो बाबा साहब ने लिखा दलितों के लिए, बहुजनों के लिए जो भी कानून इंप्लीमेंट होता है, उसपे हथोड़ा चलता है। चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे किसी भी तरीके का देख लो आप। हर चीज में बात होती है, अब लोग कहते हैं आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए अरे भाई, रिजर्वेशन! गरीबी हटाओ उन्मूलन थोड़ी न है। ये सामाजिक समरसता की, समानता की बात है। वो समझ में आएगी जब... अब दो लोग कहते हैं दलित राष्ट्रपति है जी। भई दलित तुम लोग फिर किस समरसता की बात करते हो? भाजपा के लोग ही कहते हैं, दलित राष्ट्रपति है। क्या पहले राष्ट्रपति नहीं हुए? जब तो उनकी जाति से संबोधित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्षः संदीप जी कन्क्लूड करिए।

श्री संदीप कुमारः अध्यक्ष साहब, धन्यवाद आपने इस सेंसिटिव मुद्दे पे बोलने का मौका दिया और मैं तो ये चाहूंगा कि इसपे कल जो है न, मैं बाहर बैठूंगा ही काली पट्टी मुँह में बाँध करके बाहर बैठूँगा विधान सभा के... कुछ लोग साथी हैं जो हमारा साथ दें जिसको दर्द हो। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा... अगर आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे नहीं आएंगे... और तो किसी से उम्मीद है नहीं। ये तो सारे चाचा, ताऊ के बच्चे

हैं अपने मिल–जुलके खेलते हैं तो धन्यवाद अध्यक्ष साहब आपने, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। देश के हालात, देश सड़को पे जो भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है, ये अपने आप बता रहा है कि इस विषय से कितने लोगों को आहत पहुँची है।

अध्यक्ष जी 20 तारीख को, 20 मार्च को ऑनरेबल जस्टिस ए.के. गोयल और यू.यू. ललित जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हैं उन्होंने एक मैटर के अन्दर रूलिंग दी की एससी/एसटी निवारण अधिनियम 1989 जो 11 सिम्बर को संसद में आया था और 1990 में लागू हुआ था, उसमें बदलाव किए जाएंगे और बदलाव वो ये है कि अब इस तरह की शिकायत में एफआईआर दर्ज नहीं होंगी और कोई सरकारी अधिकारी अगर कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है या इस ऐक्ट के हिसाब से कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसमें उसके जो सीनियर अधिकारी हैं, उससे बात कर कर, उससे पूछ कर फिर उस अधिकारी पे केस रजिस्टर्ड होगा। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना बताना चाहूँगा आपको कि दुनिया में कोई ऐसा ऐक्ट नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता है। अगर एक माचिस घर में खाना पकाने के लिए काम में आती है तो वो ही माचिस जो है, किसी का घर जलाने के लिए काम आती है। लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। तो दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका दुरूपयोग नहीं होता है। जिसका मिसयूज नहीं होता। लेकिन जब मिसयूज होता है, दुरूपयोग होता है तो उस नियम को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। उस नियम के इम्प्लीमेंट को

ठीक करने में प्रयास किया जाता है। उस नियम में बदलाव नहीं किया जाता है। अगर थाने के अन्दर हम देखें दुनिया पूरे देश के हम थाने के रजिस्टरों को उठा के देखें तो आधी से ज्यादा एफआईआर जो हैं, वो फर्जी होती हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि पुलिस अब जो है, एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहेगी। अगर कुछ ठीक करना होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ठीक करना होगा। उसमें हो रही कार्रवाई को ठीक करना होगा। अध्यक्ष जी, जो लीगल एड एक्टिविस्ट हैं, जो लीगल एड देने का काम करते हैं लोगों को, उनका ये कहना है कि 70 परसेंट से ज्यादा मामलों के अन्दर एससी/एसटी ऐक्ट के तहत एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। पुलिस केस ही रजिस्टर्ड नहीं करती है, कार्रवाई की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं आपके सामने... जब ये नियम लाया गया था, ये अधिनियम जब लाया गया था 1990 में जब ये लागू हुआ। 1990 के अन्दर अभी 28 साल का ही फर्क है और किसी कुँए पर पानी न पीने देना, किसी मन्दिर के अन्दर पूजा न करने देना, किसी नदी तालाब के अन्दर पानी न पीने देना, ऐसे ऐसे लोगों को... ये घटना सब जानते हैं। लेकिन 1990 के अन्दर जो सिर्फ 28 साल पुरानी बात है, जब इस नियम को लाया गया था, उस समय कौन से ऐसे विषय थे। कौन से ऐसे गंभीर विषय थे। देश में क्या हालात थे, जिनकी व्याख्या की गई है। बताया गया है कि इन इन विषयों पे ये कानून लागू होगा। मैं सदन के आगे रखना चाहूँगा तो उससे हमें अंदाजा होगा कि कितना बड़ा अत्याचार एससी/एसटी लोगों के साथ हो रहा था। इसमें पहला बिन्दु है; 5–6 ही मैं इसमें रखना चाहूँगा, बिन्दु बहुत सारे हैं। इसमें ये बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक मल–मूत्र इत्यादि प्रदार्थ खिलाना या पिलाना

उसपे इस ऐक्ट को लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुँचाना, उसके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करके उनकी नीयत, गलत नीयत से कूड़ा करकट, मल–मूत्र, पशु का भाव फेंक देना, तब इस कानून का पालन किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति के किसी सदस्य के शारीरिक बलपूर्वक कपड़ा उतारना। उसे नंगा करके चेहरे पर पेंट पोत देना, काला पेंट पोत कर सार्वजनिक रूप से घुमाना, इसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य होगा तो वो उसपे एससी/एसटी ऐक्ट कानून लागू होगा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को गैर कानूनी ढंग से उसकी भूमि से बेदखल कर देना, कब्जा कर लेना, यहाँ पर उस कानून को लागू होगा और आखिरी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भीख माँगने के लिए मजबूर करना, वहाँ पर इस कानून का लागू होगा। तो ये नियम 28 साल पहले बनाये गये थे सर और ये नियम की व्याख्या इस कानून के बनाते समय करना, ये बताता है कि देश में एससीएसटी समाज के लोगों की क्या हालत है। किस तरह की अत्याचार उनपे हो रहे थे, जिसमें ये व्याख्या की गयी है। बताया गया है कानून के अंदर कि इन इन बिंदुओं पे, स्पेसिफिक बिंदुओं पे भी ये कानून लागू होता है, सर।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिय विशेष जी, अब।

श्री विशेष रविः कन्क्लूड कर रहा हूँ, सर। सर, दो मिनट दे दीजिए प्लीज। सर, कोई भी कानून जो है, उसका मकसद जो है, वो भय बनाना होता है। किसी भी कानून को जब कोई सरकार बनाती है, तो उसका एक ही मकसद होता है कि नागरिकों में उसके पालन करने का भय बने, उसके जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनपे उसका भय पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा,

ये समझा कि इसका दुरूपयोग हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मैं सम्मान करते हुए उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने इस बदलाव को करने से पहले कोई सर्वे कराया। क्या इस बदलाव को करने से पहले उन्होंने कोई वाइट पेपर लागू किया, कोई स्टडी करवाई, क्या उन्होंने ये देखा कि कितने मामलों के अंदर ये केस रजिस्टर्ड हो रहा है और कितने मामलों के अंदर वो सजा हो रही है और क्या वो सही थे या गलत थे मामले? क्या इस तरह की कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? सर, मैं ये अभी हाल ही का मामला जो गुजरात में हुआ है, गुजरात के भावनगर में हुआ है। एक युवक जिसको घुड़सवारी और घुड़सवारी करने का शौक था, उसको मार दिया क्योंकि उसने अपने घर के अंदर घोड़े पाल रखे थे और उसको घुड़सवारी का शौक था। ये तीन दिन पहले की बात, क्या सुप्रीम कोर्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है कि इस समाज के साथ क्या हालात है, किन पीड़ा में ये समाज जी रहा है। सर, मेरा ये कहना है सिर्फ आखिरी में ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पूरे दलित समाज का मनोबल टूटा है, उनके अंदर असुरक्षा की भावना जगी है और आज पूरा दलित समाज जो है त्राहि–त्राहि कर रहा है, पीड़ा से रो रहा है और इस सदन के माध्यम से क्योंकि इस सदन के अंदर ये मामला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुझे दुःख है कि इस मामले को भी आने में हमारे सदन में समय लगा, तो मेरी ये प्रार्थना है आज आपसे और अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी कि वो इस मामले पर चुप्पी न साधें, पूरे देश के लोग सड़क पे हैं, वो इस मामले में बोले और मेरी अपने अपने हमारे, हमारे दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल से ये प्रार्थना है कि वो भी जरूर जो है, इस मामले पे अपनी बात रखें क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, वोलंटियर हैं, जो नागरिक हैं, जिन्होंने हमारी सरकार को वोट दिया है,

वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि इस मुद्दे पे हमारी पार्टी का क्या स्टेंड हैं, क्या क्या है, तो अंत में सिर्फ इस प्रार्थना के साथ कि इस–उस मुद्दे पे तुरंत पुनर्विचार किया जाये। सुप्रीम कोर्ट इस बदलाव को वापस ले और देश में पहले से ही शोषित और दबे कुचले, दलित समाज को अधिकार से जीने का हक मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भीम।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी। सर, मैं इसमें इतने ही कहूँगा कि जो भाइयों ने यहाँ और बहन कुमारी राखी बिड़ला ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, हम उसका विरोध करते हैं और जहाँ ये कहना कि भाजपा के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हैं। भाजपा के लोगों ने भी इसका विरोध किया है और मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि हम राखी बिड़ला के इस प्रस्ताव के साथ में हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, ऐसा, ऐसे नहीं बैठ जाइये आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी आप बैठ जाइये नीचे, अजय दत्त जी। अजय दत्त जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयः इनको बैठाइये इनको। अजय दत्त जी, आप बैठ जाइये। ये तरीका ठीक नहीं है, आपने कोई बात करनी है, मुझसे संबोधित हो के कहिये, आप बैठिए अब।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं आपको दो तीन साल हो गये, इतना समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझसे बात करिये न। आप किसलिए बात कर रहे हैं, प्रधान जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं बैठिये, आप बैठ जाइये। हाँ बात पूरी हो गयी।

श्री जगदीश प्रधानः राखी बिड़ला जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसपे दोबारा से कोई निर्णय लें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने आज बहुत दिल को छूने वाले एक ऐसे सब्जेक्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया।

हमारे तो संविधान का मूल मंत्र है, ***'No person shall be deprived of his fundamental rights except according to the procedure established by law.'***

इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राइट ऑफ इक्वेलिटी का जो प्रिंसिपल देश के कॉन्स्टीट्यूशन ने लागू किया, समानता का अधिकार सबको दिया और उस समय जब कॉन्स्टीट्यूशन बन रहा था, उसका हैड किसी दलित

को बना देना हमारे इस देश की मानसिकता, हमारे उस धर्म की मानसिकता को दर्शाता है। जब हम इक्विेलिटी की बात करते थे, अगर उस समय इक्वेलिटी की बात नहीं होती, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस कमेटी के चैयरमेन न होते। थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, जब वो एजुकेशन में पढ़ रहे थे, तो मेधावी छात्र थे। उस समय के तत्कालीन महाराष्ट्रा के शासक साहूजी महाराज ने उन्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा और सारा खर्च उनकी स्टेट ने दिया। ये शिक्षा या बुद्धि किसी की बपौती नहीं है। वो क्षत्रिय में भी हो सकती है, ब्राह्मण में भी और किसी शूद्र में भी।

एक रेल में दो महानुभाव आमने सामने के सीट पर बैठे जा रहे थे। ये बहुत इंपोर्टेंट है भाई शेयर करो। एक महानुभाव कुछ खाना खाने चाह रहे थे, परंतु सामने वाले की जाति के बारे में सोच कर उन्हें संदेह था कि कहीं मुझे खाना किसी शूद्र के साथ शेयर न करना पड़ जाये। उस मानसिकता की वजह से उन्होंने सामने वाले को पूछा कि महानुभाव अगर आप बुरा न माने तो आपकी जात पूछ लूँ। सामने वाले ने बड़ा हँस कर कहा कि अरे भाई, क्या पूछकर करोगे? मेरी तो जात क्षण क्षण में बदलती है। वो कहा, वो कैसे? उससे कहा कि जब सबसे पहले मैं अपने आप को निवृत्त करता हूँ और अपना मैला साफ करता हूँ तो मैं वो हो जाता हूँ और उन्होंने वो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जो मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। ये महानुभाव थोड़ा सा सकपकाये, उसके बाद उन्होंने कहा जब मैं अपने जूते साफ करता हूं, पालिश करता हूँ तो फिर एक जाति शब्द इस्तेमाल किया, उसके बाद मैं वो हो जाता हूँ। थोड़ी सी और असमंजस में रहे वो महानुभाव और उसके बाद उन महानुभाव ने कहा और जब मैं नहा लेता हूँ और विद्या पढ़ाने स्कूल चला जाता हूँ, विद्या पढ़ाता हूँ तो मैं ब्राह्मण हो जाता हूँ और उसके बाद अगर कोई छात्र उद्दंड हो तो मैं

उसे सजा देते हुए क्षत्रिय हो जाता हूँ और उस स्कूल से मिलने वाली पगार जब मेरे हाथ में आती है, तो मैं उसको अपने परिवार के लालन–पालन के लिए, भविष्य के लिए जब उसका डिविजन करता हूँ, तो मैं वैश्य हो जाता हूँ। अब महानुभाव आप ही अंदाजा लगा लो मेरी जात का। हम सब काम करते हैं, परंतु अपने ही किसी भाई की जात के बारे चिंता करते हैं क्योंकि हमें लगता है शायद ये मुझसे अलग है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं।

हमारे तो वाल्मीकि समाज वाल्मीकि ऋषि के नाम से जानते हैं हम और कानून आज का नहीं है। कानून इसी देश के लोगों ने बनाया। हमारे साथियों ने बहुत अच्छी तरह इसको वर्णन किया। 1990 में जब ये कानून बना, उससे बहुत पहले छुआछूत को खत्म करने के लिए मैला ढोने की प्रथा इसी देश के, इसी समाज के, इन्हीं लोंगों... यहाँ के ही लोगों ने खत्म की थी।

मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा सा अपने दूर के नानी के घर गया, तो शायद उस की गलती रही होगी, आज तो मैं गलती नहीं मानता। मैं किसी जो घर में सेविका जो झाड़ू पोछा... झाड़ू लगाने आती थी, घर का मैला उठाती थी, उसके टोकरे को उसके सिर पर रखवा दिया। मैं सातवीं आठवीं का छात्र रहा हूँगा। मेरी वो दूर की नानी बड़ी नाराज हुई और नाराजगी में मुझसे कहा, जब तक नहायेगा नहीं, तब घर में नहीं घुसने दूँगी।

अध्यक्ष महोदय, वहाँ मेरा घर भी नहीं था। मैं था भी अकेला, मुझे ठण्ड में नहाना पड़ा। ये हमारी मानसिकता थी। आज समय बदल रहा है। विशेष रवि जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही, कानून का दुरुपयोग कहीं कहीं

हो सकता है, वो दुरुपयोग हमने अपने कमांडर सुरेन्द्र सिंह के मामले में होता देखा, जब एनडीएमसी के कर्मचारियों से रिश्वत लेते हुए सरकारी अधिकारियों को, उन्होंने बीच में रोकना चाहा तो उनमें से एक आदमी ने कह दिया कि मुझे जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल किया। जबकि कमांडो सुरेन्द्र सिंह उस आदमी को जानते ही नहीं थे वो कौन सी जाति का है। दुरुपयोग होता है परंतु दुरुपयोग रोकने के लिए किसी कानून में आप ऐसे बदलाव नहीं कर सकते कि आप कानून की मूल भावना को ही खत्म दें।

महोदय, इसमें जरूर सोची हुई साजिश है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला लेता है, कोई भी अदालत वो फैसला लेती है, जो उसके सामने खड़े हुए वकील उस तरह की दलील देकर कोर्ट को, उस तरफ, उस न्याय की तरफ ले जाते हैं, मैं इसमें ये देखता हूँ कि जरूर बीजेपी के लगाये हुए वो लोग, जो सरकारी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहस करते हुए जरूर कहीं कमी छोड़ी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद कानून का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको भी इन्टरवीनर बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और हम सब लोगों को पुरजोर एक आवाज उठाकर करना चाहिए कि हम सब एक हैं। मैं खुद पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। कभी–कभी मैंने भी वो दर्द सहा है।

1981 में मैंने वकालत शुरू की। मुझे पटियाला हाउस में खड़े हुए एक और सो–कॉल्ड बड़ी जाति, बड़े समाज के आदमी ने कहा–अरे गुजरों में भी वकील आने लगे। मैं उस समय आज एससी भले ही न हूँ। दलित समाज से मैं भी आता हूँ क्योंकि हम भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और उसकी हिम्मत इसलिए हुई कि उसे लगा अरे! अब इनमें भी बनने लगे हैं। क्योंकि

यहाँ कुछ लोग अपनी बपौती समझते हैं और मैं अपने और भाइयों से, इनसे एक और बात कह देना चाहता हूँ आज के दिन, कि जब–जब आप अपने आपको दलित समझते रहोगे, जो मैंने 1982 में उस वकील की बात को समझ के नहीं समझा। मैंने उस वकील को दिखाया कि मैं उससे ज्यादा इन्टेलीजेन्ट हूँ, उससे ज्यादा पावरफुल हूँ, उससे ज्यादा मजबूत हूँ मुकदमों में। इसी तरह इन भाइयों को भी जो हमारे भाई अपने आप को दलित, शोषित समझते हैं, उनको जरूरत है, उनके सामने खड़ा होकर अपना सीना चौड़ा कर कहने की कि हमें इस देश में बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। हमें उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकते, ना करना चाहते। ऐसे टाइम में अब जरूरत है वो सरकार जिसके वकील वहाँ ढीले पड़े। जिन्होंने इन लोगों के पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा। इस पक्ष को सही रखें और सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझाएं कि जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो केवल दिल्ली में नहीं रहते हैं। वो दिल्ली से दूर बहुत ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कभी उनकी परछाई से निकलने के बाद को आदमी नहा लेते थे और कभी उनकी परछाई देखने के बाद मन्दिर से उनको निकाल के बाहर कर देते थे। कुओं से पानी नहीं भरने देते थे। वो समय बदल रहा है।

तो मेरी एक रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो अपने आपको कमजोर समझते हैं। वो एक बार खड़े हों और खड़े होकर उन लोगों का मुकाबला करें। वो मुकाबला युद्ध करके नहीं करना है। वो मुकाबला अपने आपको उनसे ज्यादा ताकतवर, उनसे ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा सक्षम बनके करना है और आज के दिन मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ कई भाई, हमारी छोटी बहन उप सभापति हैं। हमारे बहुत सारे लोग, हमारे कई राष्ट्रपति, कई प्रधानमंत्री, हमारे कई चीफ मिनिस्टर या कितने अच्छी सोच के हैं और वो

दलित समाज से भी बहुत लोग आते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज राखी जी का, इन्होंने आज एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। अपने उन सभी साथियों का जो इसके बारे में चिन्तित हैं और आपके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं उन वकीलों को जरूर कि वो वकील अपना पक्ष अच्छी तरह रखें जिससे इस कानून में जो बदलाव करने की कोशिश की हो, वो न हो और कानून का बहुत अच्छी तरीके से पालन हो, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखो, मैं दो वक्ता बुलवा चुका हूँ। तीन मे... अब इतना नहीं होता। इतने समय में सबको थोड़ा बुलवा सकता हूँ। प्लीज। हाँ, विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आज एक महत्वपूर्ण मामले पर इस सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और पूरा सदन मैं समझता हूँ, इस पर एकमत है और हम सबको अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त करने का अवसर अगर मिल सके, अगर सम्भव हो तो मिलना चाहिए।

अध्यक्ष जी, 20 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है और अगर मैं इसको स्पष्ट भाषा में कहूँ तो ये डॉयल्यूशन है। डॉयल्यूट किया गया एससी/एसटी एट्रोसिटी प्रिवेन्शन ऐक्ट 1989 को। इस आदेश ने इस देश के अन्दर एक बार फिर से एक निराशा का वातावरण पैदा किया। लोगों के मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न हुई और जिस न्याय के लिए बरसों से...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्लाह जी, प्लीज। समझ रहे हैं उसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक व्यवस्था परिवर्तन का जो दौर एक शुरू हुआ, उसको कहीं न कहीं आघात लगा। महाराष्ट्र में एक डॉयरेक्टोरेट ऑफ टेक्नीकल एजूकेशन ने ये मामला कोर्ट में डाला था। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के लिए आया तो इसमें ये फैसला सुनाया गया। वास्तविकता में 1989 में प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटी ऐक्ट 1989 को जब बनाया गया, उसको और मजबूत करने का काम प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2015 और सिर्फ जाति सूचक शब्दों के कारण इस ऐक्ट में कोई कवर नहीं होगा बल्कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी किसी दलित के साथ की जाती है और जिससे उसके मन में हीन भावना पैदा की जाए तो भी सजा उतनी ही होगी जितना जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने से होती है, यानी कि एमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2015 में ये एमेन्डमेन्ट लाया गया और इसको और स्ट्राँग बनाया गया, इसको और मजबूत बनाया गया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी रिव्यू पिटीशन डाली है और सोशल जस्टिस एण्ड एम्पॉवरमेन्ट मिनिस्ट्री ने उस पिटीशन को तैयार किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। इस सदन में चर्चा हो रही है लेकिन सिर्फ चर्चा से बात नहीं बनेगी। दिल्ली की सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में इन्टरवीन करना चाहिए और इस फैसले के खिलाफ जब इस एसेम्बली में चर्चा हो सकती है तो ये एसेम्बली ये प्रस्ताव भी पारित करे, दिल्ली सरकार को आदेश दे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज चर्चा पर जिस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यहाँ बात हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर गौतम जी बैठे हुए है। कोई मंत्री यहाँ नहीं है क्योंकि बाकी मंत्री... क्या वो ये मानते हैं कि उनका इससे सम्बन्ध नहीं है। इस मामले से। यहाँ जितने सदस्य बोल रहे हैं, क्या ये सिर्फ उन्हीं का विषय

है। ये हममें से हरेक का विषय है और सरकार की तरफ से अगर बाकी मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी इस विषय पर यहाँ उपस्थित होते तो मैं समझता हूँ कि ये चर्चा और सार्थक होती। इसलिए इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए और जो लोग काँग्रेस का समर्थन कर रहे हैं आज यहाँ पर, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब देवरस, बाबा साहब जी का निधन,

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सेकेंड, एक सेकेंड, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब पुण्य तिथि है 1956 में, 1956 के बाद 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया, जब काँग्रेस सत्ता से बाहर हो गयी। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए उनको वो सम्मान नहीं दिया। लेकिन भाजपा समर्थित केन्द्र में जो सरकार थी, उन्होंने भारत रत्न देकर के बाबा साहब का सम्मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया, दलितों का सम्मान बढ़ाया और मैं समझता हूँ कि आज भी जो रिव्यू पिटीशन डाली गयी है, जो अमेन्डमेन्ट किये गये हैं, इस बात का प्रतीक है कि हम दलितों के साथ खड़े हैं और दलितों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हम सब एक साथ चलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद और आभार।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई सौरभ जी, अगर आमने–सामने बात करेंगे, माहौल खराब होगा। मेरा ये कहना है। नहीं, मैं किसी को एलाउ नहीं कर रहा हूँ। अब मंत्री जी, नहीं तो यही विषय रहेगा और विषय नहीं है। यही विषय रहेगा। मैं एक–एक को बुलवा देता हूँ। सारे विषय रह जाएंगे। सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद की आपने सुश्री राखी बिड़ला के उठाये गये मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। जब विजेन्द्र गुप्ता जी बोल रहे थे, तो जो अन्तरमन में था, वो छलक आया। अन्तरमन में था बाबा साहब देवरस और बोलना चाह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर पर। तो ये आरएसएस विचारधारा के लोग हैं।

माननीय अध्यक्षः जबान फिसल गई थी थोड़ी। कोई खास बात नहीं है।

श्री सोमनाथ भारतीः नहीं देखिए, सत्यता यहीं है। दिल में यही है चूँकि वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करने वाली पार्टी और मैं इस बात पर संकोच नहीं करूँगा कि इस मामले पर गाँधी जी भी पीछे हो गये थे। इस मामले पर गाँधी जी ने भी गलती की। वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करके, एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट एक बड़ी अच्छी किताब, एक बड़ी अच्छी स्पीच दी बाबा साहेब अम्बेडकर ने फॉरेन में। उस किताब को मैंने पढ़ा है। उसके प्रिफेस में अरूंधति रॉय बड़ी अच्छी कहानी लिखती हैं और बड़ा डिस्क्रिप्शन आज के माध्यम से देती हैं, आज के वातावरण के माध्यम से देती हैं तो गांधी जी का वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट... इसके माध्यम से कहा कि ये तो कर्मों का फल है कि कोई शूद्र है तो वो कर्मों का फल है। मैं इस बात पर गाँधी जी की भी निंदा करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जो ये साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातें रखीं जो 20 मार्च, 2018 को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया उसमें आने के पहले थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन कारणों से आया, उसमें एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि जो बैंच था; यू. ललित जी का और जस्टिस गोयल का, उनका बैकग्राउंड क्या है? मैं थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन

दे दूँ। क्योंकि वो अंततः ये होता है कि जज जो बनता है, वो आखिरकार, वो है तो ह्यूमन बींग ही। उसका बैकग्राउंड उस जजमेंट के जरिए इंटरप्रिएट होता है सर। अध्यक्ष महोदय, यू. ललित साहब... जब माननीय मोदी सरकार आई और जब ये चला कि भई, अब सबको क्लीन चिट देनी है तो अमित शाह जी के वकील थे ये। अमित शाह जी के सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में ये वकील थे। ये कैप्टन अमरिंदर साहब के करप्शन केस में वकील थे। ये वी.के. सिंह साहब जो बाद में मंत्री बने, उनकी डेट आफ बर्थ वाले मामले में वकील थे ये। तो ऐसे केस करने वालों, उनके पक्ष लेने वालों के वकील होने के नाते, पता नहीं, हो सकता है इसी रिवार्ड में उनको जस्टिसशिप मिली हो। लेकिन जब ये इस तरह की विचारधारा के लोग जज बनते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उनकी विचारधारा कहीं न कहीं रिफलेक्ट होगी और वो 20 मार्च, 2018 के जजमेंट में रिफलेक्ट हुई और जब हुई तो जैसे मेरे कई साथियों ने कहा, मदनलाल जी ने भी कहा कि जो वकील रिप्रजेन्ट कर रहा था स्टेट को, उसने इस बात को क्यों नहीं रखा कि एससीएसटी की हालत दिल्ली में सीमित नहीं देखनी चाहिए। दिल्ली से बाहर जाएं। एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट मेरे साथी गौतम जी हैं, जब हम लोग मिजोरम में गये थे हमने एक सोसायटी बनाने का प्रयास किया था, 'से नो टु कॉस्ट।' वो हालात ऐसी है, बद से बदतर है। आप दिल्ली से बाहर जाएं, महाराष्ट्रा में जाएं और जगहों पर जाएं। वहाँ पर राजस्थान के अंदर जाएं। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, उसको देखें। जो गुजरात में हुआ, उसको देखें। आज की तारीख में भी जिस तरह की घटनाएं हमारे एससी भाइयों के साथ हो रही हैं, बहनों के साथ हो रही हैं, वो बहुत ही निदंनीय है, अमानवीय है। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये 20 मार्च के जजमेंट के ऊपर जो पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं भले ही सवर्ण से आता हूँ लेकिन उनके साथ खड़ा हूँ और मैं साथ खड़ा

हूँ, मेरे साथियों को कहना चाहता हूँ, वो पूछ रहे थे... क्योंकि बात ये नहीं है कि सवर्ण हैं या आप किसी और कास्ट से आते हैं, बात ये है कि पीड़ा तो पीड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने इस बात की सुरक्षा देने का प्रयास किया कि भई सबके साथ न्याय हो। अगर उस वक्त को देखें कि किस तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ा डॉक्टर अंबेडकर को। उन्होंने अंततः हिन्दू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म का पालन किया क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था, ये विचारधारा हम उसके अपोजिशन में खड़े हैं आज।

अध्यक्ष महोदय, ये कह दिया बड़े प्यारे तरीके से कह दिया कि भई, अब हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे सुप्रीमकोर्ट के अंदर। ट्रेडर्स वाले मामले में भी वही हुआ। भई आपके पास सदन है, आपके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। आप अध्यादेश ला सकते हैं। कई बार इस देश के अंदर हुआ, जब जब ज्यूडिसरी ने कोई ऐसा फैसला दे दिया जिससे कि हमारी सरकार सहमत न हो तो सरकार के पास एक तरीका है सरकार अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो अध्यादेश ला सकती है और अगर सेशन में हो तो लॉ बना सकती है तो सरकार ने 12 दिन का इंतजार क्यों किया? मोदी सरकार को 12 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए था और जैसे ही वो जजमेंट आया तो पहली गलती आपने ये की, सुनिये, पहली गलती आपने ये की भई, जिसके पास पॉवर है वो लाएगा न। कौन लाएगा, हम लाएंगे? हमारे लाने से होगा वो काम!

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात मैं अपने साथियों को बोलना चाहता हूँ, सबसे पहली बात इन्होंने वहाँ पर केस ढ़ंग से प्रस्तुत नहीं किया, पहली बात। जज भी इनका एक तरह से कह सकते हैं मानसिकता इनकी, बाबा साहब देवरस की मानसिकता और ऊपर से कहते हैं अंबेडकर के साथ खड़े हैं। ये दिखाने वाले और हैं, करने वाले और हैं अध्यक्ष महोदय, और दूसरी

बड़ी बात अभी तक माननीय मोदी जी के मुँह से इसके सपोर्ट में ये जो चल रहा है, अपोजिशन... उसके सपोर्ट में एक भी शब्द निकला नहीं है। ये जो कह रहे थे कि हमारे केजरीवाल साहब से निकला के नहीं निकला। तो मन की बात इस मुद्दे पर नहीं हो पाई आज तक। और इनको चाहिए था कि इतनी बड़ी जब गलती हो गई माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तथ्यों के अभाव में अगर तथ्य पेश किये गये होते ढ़ंग से तो यहाँ पर मामला ठीक होता। तथ्यों के अभाव में जो कि वकील की ड्यूटी थी अगर गलती हो गई तो माननीय मोदी जी को तुरंत पार्लियामेंट सेशन में बुलाकर के या एक अध्यादेश लाकर के इसको ठीक करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। आज पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है मैं उस विरोध के साथ खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय इसमें परिवर्तन क्या कर दिया। देखिये, कहते हैं भई, जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई ऐसा कंप्लेंट आएगा तो उसके ऐप्वाइंटिंग अथॉरिटी से परमीशन लेंगे केस करने के लिए। अब न तो ऐप्वाइंटिंग अथॉरिटी परमीशन दे रहा, न केस होगा और जब भी कोई प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ कंप्लेंट आएगा तो जब तक क्षेत्र का एसएसपी या डीएसपी, डीसीपी परमीशन नहीं देता, तब तक केस नहीं होगा। इसका मतलब जो उत्पीड़न दलित समाज के व्यक्तियों का हो रहा है, वो होने देंगे, अध्यक्ष महोदय। और मैं खुद ही इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि आज भी इस समाज के भाई–बहनों के पास उनको, हम उतनी हैसियत नहीं दे पाए हैं, मतलब देश का दुर्भाग्य रहा है ये कि इस देश के अंदर आज भी इस वर्ग के साथ वो नहीं मिल पाया, उस तरह की आजादी का फायदा नहीं मिल पाया जो बाकी वर्णों को मिला। मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मालूम पड़े कि दिल्ली की विधानसभा अपने विचार इस तरह से व्यक्त कर रही है और कुछ लोगों ने कहा भई, एब्यूज ऑफ लॉ हो रहा है तो एब्यूज

ऑफ लॉ पर भी एक फैक्ट रहा है मेरे सामने कि एब्यूज ऑफ लॉ कैसे हो रहा है। जब इसमे जो रेट ऑफ प्रॉसीक्यूशन है, वही बहुत कम है। बताया गया है कि जो डेटा दिखा रहे हैं कि एससीएसटी ऐक्ट 1989 के अंतर्गत 77 परसेंट तो चार्जशीटिंग रेट है लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 15.4 परसेंट है तो अगर तथ्य ये कहते हैं तो कहाँ से दुरुपयोग हो रहा है और अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो पुलिस विभाग है, उसकी भी ऐसी मानसिकता है कि एससीएसटी वर्ण के साथ जो न्याय करने की एक प्रक्रिया संसद से निकली है, उसके साथ वो खड़े न हों।

अध्यक्ष महोदय, कांचा इलाइयाह हैं जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं, ***"It is not easy for the lower caste to get justice because the one at the top are also reluctant to investigate SC/ST Act cases efficiently.'***

अध्यक्ष महोदय, इस बात से हम सब सहमत हैं कि जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो गलत हुआ है और विशेष रवि भाई ने बड़े तरीके से समझाने का प्रयास किया कि सेक्शन–3 जो ऐक्ट का है, उसने बकायदा एक एक करके उन सारे कामों का उल्लेख किया है जो एससीएसटी लोगों के खिलाफ होता रहा है और क्यों इस ऐक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, वो बड़ी डिस्क्रिप्टिव है और डिस्क्रिप्शन के बाद लगता है कि अगर 1989 में इन कारणों के कारण बनाया गया था, ये एससीएसटी ऐक्ट तो मुझे लगता है कि आज वो खत्म नहीं हो गये। जैसे मैं एक पढ़ना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाने के लिए, कहता है किः

"Forces a member of a scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any in-edible or abnoxious substance…' अगर ऐसी घटनाएं

आई थीं उनके संज्ञान में तभी तो लिखा गया है इसमे कि जो खाया न जा सके, उसको खिलाया जाना। मुझे लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीति न करके हम सबको एक मत होकर के इस पर बताना चाहिए कि एक तो पहली चीज सेन्ट्रल गवर्नमेंट ये जो रिव्यू पिटिशन लाने का प्रयास कर रही है, उसके बजाय अगर वो आर्डिनेंस ले आए, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो... या कानून का जो भी परिवर्तन करना है, वो कर दे। मुझे लगता है, ये बहुत बड़ी जरूरत है आज के लिए और मैं अपने सारे भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और आप अलग नहीं हैं हमसे। आप इस बात को कहकर के आप शर्मिंदा मत करिए हमें। हम बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों के साथ खड़े हैं। मुझे मालूम है, किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं देश के अंदर। हम सबको पता है, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री महोदय श्री राजेन्द्र गौतम जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया।

ये जो विषय है ये बेहद गंभीर है। मैं अपनी बात को दो भागों में बांटकर रखने का प्रयास करूंगा। पहला भाग, ये एससीएसटी एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटी ऐक्ट क्यों बना, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी और दूसरा भाग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जो स्थिति पैदा हुई। उससे पहले की भी सीधी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं। दो बाँटकर मैं अपनी बात को रखूँगा। पहली ये, हमारे देश के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये

पाते हैं कि हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग लोग विदेशों से भारत में आए। कुछ लोग भारत के मूल निवासी थे जैसे कि द्रविड़, नागवंशी, तमिल ये भारत के मूल निवासी थे और लगभग चार हजार, साढ़े चार हजार साल पहले भारत में आर्यन्स आए। लगभग दो हजार साल पहले भारत में कुशाण आए उनके कुछ दिन बाद शक आए उनके कुछ दिन बाद हूण आए। इसी तरह भारत में विश्व के अलग अलग हिस्से से आकर कुछ लोग आक्रमण करने की नीयत से आए और उसके बाद यहीं बस गए। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति की नीयत से आए चूंकि भारत में बौद्ध काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र विश्व की प्राचीनतम युनिवर्सिटीज में से नालंदा युनिवर्सिटी थी जो आज बिहार में स्थित है, तो कुछ लोग वहाँ शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा ज्ञान अर्जित करने की दृष्टि से आए और भारत में बस गए। समझने की बात ये है कि जो लोग इस देश के मूल निवासी थे, उनका सब कुछ छीना लेकिन उस समाज की महानता देखिये, उस समाज ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमें चूंकि इस देश में जो कुछ है, सब हमारा था, वो हमें ही मिलना चाहिए बल्कि उन्होंने बाहर से आने वालों का भी सम्मान किया और धीरे धीरे सब मिल जुलकर आगे बढ़ते रहे और हमारी सभ्यताएं संस्कृति बीच बीच में बदलती रहीं, भाषाएं बदलती रही। भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में 50 किलोमीटर चलते ही भाषा बदल जाती है। रीति रिवाज बदल जाते हैं। संस्कृति बदल जाती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मूल निवासी है, उसके पास खेती की भूमि नहीं है। वो चंद लोगों के हाथ में है। इस देश के जो उद्योग धंधे हैं, उसमे इतने बड़े समाज की कोई हिस्सेदारी–भागीदारी नहीं है। देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं जहाँ लाखों करोड़ों रुपया पैदा होता है। खनिज पदार्थ का उत्खनन होता है, उसमे उसकी कोई हिस्सेदारी–भागीदारी नहीं है। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया

के अंदर इतने लंबे समय तक कोई दूसरी कौम आज तक गुलाम नहीं रही, जितना ये समाज रहा। लगभग चार हजार साल की गुलामी झेली है इस समाज ने और उसका सबसे बड़ा जो कारण था, वो हमारे हिन्दुओं के धर्मशास्त्र में अछूत लोगों के ज्ञान अर्जित करने पर बंदिश और संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश की वजह से लगातार ये समाज चार हजार साल से शिक्षा से वंचित रहा और संपत्ति अर्जित करने से वंचित रहा जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पिछड़ गया और इसका इतना ज्यादा शोषण हुआ है कि पूरी दुनिया में किसी कौम का इतना शोषण नहीं हुआ। और जब भारत आजाद हुआ और डॉ. बाबा साहब अंबेडकर के बनाये संविधान की वजह से उसको कानूनी रूप से समानता का हक मिला, संपत्ति का हक मिला, सभी प्रकार के न्याय की बात सुनिश्चित हुई, तब इतना सब भारत के संविधान में हो जाने के बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, शोषण की घटनाएं जिस वजह से देश में... संसद में ये बार बार डिमांड उठ रही थी कि इस समाज के साथ हजारों साल से जुल्म हुआ है और आज आजाद होने के बाद भी जुल्म हो रहा है। इसलिए इनके ऊपर होने वाली एट्रोसिटीज को रोकने के लिए कोई स्पेशल प्रोवीजन बनाया जाए, स्पेशल कोई कानून बनाया जाए। उससे पहले प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स के तहत मुकद्दमे दर्ज हुआ करते थे लेकिन उसके बाद भी एट्रोसिटीज नहीं रुक रही थी तो संसद में काफी लंबी चर्चा के बाद 1989 में 'द एससीएसटी प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटी ऐक्ट 1989' भारत के लोगों को मिला लेकिन उसके लागू होने के बाद भी देश में अनेकों घटनाएं लगातार होती रही। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, दिल्ली में नहीं है। ऐसा लगता है, जैसे आपने दिल्ली की स्थिति को कभी पढ़ा ही नहीं है। दिल्ली में भी, नीचे छोड़िये, सर्वोच्च लेवल तक जातिगत उत्पीड़न और अत्याचार बदस्तूर आज भी जारी है। ये मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूँ

और ये रिकार्ड पर आज दर्ज हो। माता प्रसाद जी सन् 2002 के आसपास जो सीनियर आईएएस थे, जो अनुसूचित जाति समाज से थे, वो सीनियर मोस्ट आईएएस थे भारत के और उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनना था भारत का लेकिन भारत के इतिहास में ये काला अध्याय मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कहीं एक दलित कैबिनेट सेक्रेटरी न बन जाए जो भारत के इतिहास में कभी नहीं बना, इसीलिए जो पहले से कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए मिस्टर सुब्रहमण्यम, उनको छह महीने का एक्सटेंशन दे दिया और इस छह महीने में माता प्रसाद रिटायर हो गये। ये अपने आप में ऑन रिकार्ड बहुत बड़ा उदाहरण एट्रोसिटीज का बहुत ऊपर के स्तर का है।

दूसरी बात, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होता है देश का। ये दलित राष्ट्रपति कहकर पुकारना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहां की काबिलियत है? के. आर. नारायणनन, आप याद कीजिए, उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नोटिस को लीक कर दिया। लीक होने का देश बन गया हमारा देश। जब वो लीकेज हुई, जो नोटिंग की थी राष्ट्रपति ने, जो कुछ जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना था, हाईकोर्ट का जज बनाया जाना था, तो उस वक्त के. आर. नारायणनन जी राष्ट्रपति थे, जब उनके पास फाइल गई, उन्होंने देखा कि उसमें किसी भी महिला को स्थान नहीं मिला, किसी बैकवर्ड को स्थान नहीं मिला। किसी शेड्यूल कास्ट को स्थान नहीं मिला जबकि उस वक्त तीन तीन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शेड्यूल कास्ट के थे। एक केरला हाईकोर्ट के थे, एक गुजरात हाईकोर्ट के थे और एक और किसी कोर्ट के थे। मेरे को ध्यान... रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तीन तीन चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के अनुसूचित समाज के थे, तो उनको दो को तो ये कहकर नहीं किया कि भई ये एफिसियेंट नहीं हैं। चीफ जस्टिस हो सकते हैं अनएफिसियेंट लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जब

नंबर आता है तो एक तगमा दे दिया जाता है कि ये एफिसियेंट नहीं है। दो को तो ये कहकर रोक दिया और एक को ये कहकर रोक दिया कि ये एफिसियेंट तो हैं लेकिन इनकी उम्र अभी 53 साल है जबकि उसके बाद 53 साल के सुप्रीम कोर्ट के जज बने। ऑन रिकार्ड है ये! उसके बाद वो जज जो तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने थे, वो उसके दो तीन साल बाद जस्टिस के जी बालाकृष्णनन जी सुप्रीम कोर्ट के जज बने और वो लगभग साढ़े तीन साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। तो ये मैं निचले स्तर का छोड़िये, ऊपर स्तर पर भी जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो सदस्यों के सामने मैं रखना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से जनता तक भी ये बात जानी चाहिए। रोहित वेमुला एक एग्जाम्पल नहीं है जिनको उत्पीड़न का शिकार करके होस्टल से बाहर निकाल दिया और इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि मजबूर होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया या इसको कहेंगे इंस्टीट्यूशनल मर्डर और इंस्टीट्यूशनल मर्डर का एक अकेला केस रोहित वेमुला का नहीं है। अगर आप भारत की प्रोफेशनल कोर्सेज की युनिवर्सिटीज के आँकड़े निकालें, उसमे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जो बच्चे जान–बूझकर फेल किये जाते हैं, उसके आँकड़े निकालें तो आप पाएंगे हर साल सौइयों बच्चे सुसाइड करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में।

एक एग्जाम्पल अध्यक्ष जी, मैं सदन के बीच में देना चाहता हूँ। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर कुछ बच्चों को लगातार सात साल तक... 25 बच्चों को लगातार फेल किया। उसके बाद वो लोग कोर्ट गए। संसद में भी आवाज उठी और कोर्ट के ऑर्डर से उनकी कॉपी बाहर चैक कराई गई। आपको जानकार ताज्जुब होगा, 25 में से 25 बच्चे बाहर पास हो गए। ये जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली भारत की राजधानी के इतने बड़े हॉस्पिटल, सफदरजंग के अंदर 25 बच्चों को किस तरह एक्सप्लॉयेट किया

गया। उससे पहले हर साल किया जा रहा है। कितने ही बच्चे सुसाइड करते हैं। गुजरात में ऊना में आपने देखा, भावनगर में आपने देखा। तमिलनाडु में तुसंदूर कांड, यूपी के आगरा में पनवाड़ी कांड, यूपी के मेरठ, हस्तिनापुर में कांड, नोएडा के गेंदा कांड, राजस्थान का कुमेर कांड। हरियाणा का झज्जर का दुलिना कांड, जिसमें पाँच दलितों को इस तरह पटक–पटक कर मारा गया जैसे कपड़े धोते हैं। मैं वहाँ गया था, उस वक्त। पूरे थाने के अंदर नरेन्द्र कुमार डीएसपी के नेतृत्व में उसकी कस्टडी में पाँच दलितों को पुलिस की कस्टडी में डीएसपी की कस्टडी में वहीं थाने के अंदर मार दिया गया। दुलिना चौकी के अंदर झज्जर में। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। ये 2002 की घटना है। मैं उस वक्त वहाँ गया था एक प्रतिनिधि मंडल के साथ। दूसरा जो हस्तिनापुर कांड हुआ, छः दलितों को काट दिया गया और वो भी किस तरीके से? उन छः लोगों को बांध लिया, सात लोगों जिसमे तीन सगे भाई थे और एक–एक को भेजा कि चल अब तेरा नम्बर है। दाव से पीसेज करके काटा गया। ऐसी घटनाएं जो पुरानी नहीं है मेरठ का हस्तिनापुर में पाली और इक्वारा गाँव की घटना है ये। मैं वहाँ भी गया था उस वक्त। तो कोई ये ना समझे कि पूरा परिवर्तन हो गया है। सब कुछ ठीक हो गया है। इसी देश के अंदर एक कोर्ट के एससी का एक जज रिटायर होता है और जो दूसरा जज आता है, वो गोमूत्र छिड़कर फिर उस कोर्ट रूम को पवित्र करता है। अगर एक जज की मानसिकता ऐसी है, उससे न्याय की क्या उम्मीद करें! जयपुर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर मनु की मूर्ति लगी है। जिस मनुस्मृति को डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसम्बर मेरे ख्याल में 1930 में जलाया था। एक–एक करके जब घटनाक्रम को स्टडी करते हैं तो लगता है अगर न्याय के पद पर बैठा व्यक्ति या कोई मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बन जाए, मैं समझता हूँ किसी

को भी अपने आप को खुदा नहीं समझना चाहिए। पहले वो इन्सान है। उसका भी एक सवैंधानिक दायित्व है। वो दायित्व ईमानदारी से निभाया जाएगा तो कोर्ट पर भरोसा बढ़ेगा। दायित्व अगर प्रिज्युडिशस होकर निभाया जाएगा तो भरोसा घटेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो साल पहले सिविल सर्विसेज के अंदर हमारी एक बेटी टीना डाबी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने आईएएस को टॉप कर दिया पूरे देश में। फर्स्ट अटेम्प्ट में! अभी पिछले साल हमारे एक मि. सोनकर का बेटा था। उसके बेटे ने जेईई मेन में 360 में से 360 नम्बर लेकर टॉप कर दिया। ये एक तो मैं आँकड़े बता रहा हूँ। अदरवाईज ऐसे आपको बहुत से आंकड़े मिलेंगे जिससे ये पता लगेगा कि काबलियत योग्यता किसी की गुलाम नहीं है, सिर्फ अवसर की जरूरत है। अवसर मिले तो कोई भी बच्चा मेहनत करके आगे निकल सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, 2013 में 100 साल हुए डॉ. अम्बेडकर को कोलम्बिया युनिवर्सिटी गए। चूंकि वो 1913 में गए थे पढ़ने के लिए। कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में 2013 में एक सर्वे हुआ कि यूनिवर्सिटी को बने हुए 300 साल हो गए इन 300 साल के अंदर इस यूनिवर्सिटी से जो पूरे विश्व के छात्र पढ़े, उनमें उत्कृष्ट सबसे बेहतरीन बेस्ट स्टूडेंट कौन सा रहा। तो उसमें पूरे सर्वे के बाद डॉ. अम्बेडकर को नम्बर वन चुना गया और उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने वहाँ उसके गेट पर डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके नीचे एक वो दिया स्लोगन ''सिम्बल ऑफ नॉलेज'' यानि ज्ञान का प्रतीक। मैं समझता हूँ, अवसर मिला है हमारे लोगों ने उस अवसर का लाभ उठाकर अपनी योग्यता साबित की है। भारत का संविधान डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा तो पाकिस्तान का संविधान जोगिन्द्र प्रसाद मंडल ने लिखा। ये भी इतिहास में दर्ज है। तो एक पहलू ये था और दूसरा पहलू अब मैं आता

हूँ। जजमेंटस पर। ज्यादा टाइम नहीं लूँगा अध्यक्ष जी। दो तीन मिनट में कोशिश करूँगा खत्म करने की। ये जो 1989 में ऐक्ट बना, इस ऐक्ट का इम्पलीमेंटेशन कमजोर था। कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा लो था और तो और ये भी आँकड़े निकल कर आ रहे थे कि एट्रोसिटीज तो हो रही है, बढ रही है लेकिन मुकद्दमे दर्ज नहीं होते। तो उसका इफैक्टिव इम्पलीमेंटेशन कराने के लिए संसद में अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट पास हुआ और 2016 में अमेंडमेंट लागू हुआ जिसमें सैक्शन–4 मे एक व्यवस्था दी गई कि अगर किसी ऑफिसर की नोटिस में कोई एट्रोसिटी लाई जाती है और वो आफिसर उस एट्रोसिटी पर कार्रवाई नहीं करता है तो उस अफसर के खिलाफ भी एट्रोसिटी ऐक्ट के सैक्शन–4 के अंदर कार्रवाई की जाएगी और उसको भी सजा मिल सकती है। लेकिन दुःख की बात ये है, जैसा हमारे साथी सोमनाथ भारती कह रहे थे, जो एडवोकेटस कोर्ट में रिप्रजेंट कर रहे थे, उस केस में सुभाष कांशी राम महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा, उसमें जो रिप्रजेंट कर रहे थे, उन्होंने उन तथ्यों को रखा ही नहीं कि कन्विक्शन रेट कम क्यों है। वो कोर्ट के सामने ***miserably they failed*** कि भई केस दर्ज क्यों नहीं होते और हो जाते हैं तो कन्विक्शन क्यों नहीं होती। जब कानून के अंदर व्यवस्था है, एट्रोसिटी ऐक्ट के अंदर कि अगर कोई कम्पलेंट करता है तो कम्पलेनेंट को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट करके सरकार देगी लेकिन रेअरली देती है। कानून में व्यवस्था है, गवाह को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी, न के बराबर मिलती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर 2016 में अमेंडमेंट आया ताकि इफैक्टिव इम्पलीमेंटेशन हो सके। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोर्ट के सामने उन माननीय वकीलों ने जो केन्द्र सरकार को रिप्रजेंट कर रहे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रजेंट कर रहे थे, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, उन लोगों ने तथ्यों को कोर्ट के सामने ठीक से नहीं रखा। एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जजमेंट

है, ये दो जजमेंट का जजमेंट है। जो 20 मार्च 2018 को आया। इसमें दुःखद बात ये है कि कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे इस पूरे ऐक्ट की जो मूल भावना, जैसा विजेन्द्र जी बोल रहे थे, इस ऐक्ट की मूलभावना को ही खत्म कर दिया। मूल भावना की हत्या कर दी। चूंकि अगर जो एम्पलॉयर है, अगर कम्पीटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिये बिना उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कम्पीटेंट अथॉरिटी देगी नहीं और वो अपने आप डॉयल्यूट हो जाएगा। और अगर कोई प्राईवेट आदमी है तो उसमें एसएसपी से प्रॉयर परमिशन चाहिए अरेस्ट करने के लिए। जबकि मुझे दुःख के साथ, साथियों आप से ये सब शेयर करते हुए आज मुझे दुःख हो रहा है, ये जो जजमेंट है, ये टू जजमेंटस हैं जो अभी 20 तारीख को आई है। इससे पहले एक जजमेंट ललित कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी; ये जजमेंट 2013 में आई। पाँच जजमेंट की जजमेंट है ये। और ये जजमेंट कहती है,

"Registration of FIR is mandatory under section 154 of code if the information discloses commission of cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in suchA situation."

इस परजेंट जो दो जजमेंट्स की जजमेंट जो प्रिलिमनरी इन्क्वायरी की बात कर रही है जब कि इस सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजमेंटस की जजमेंट ने 2013 में प्रिलिमनरी इन्क्वायरी केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में बोला है। उसने पाँच विशेष परिस्थिति बताई है, जिसमें प्रिलिमिनरी इन्कवायरी चाहिए। हरेक केस में नहीं चाहिए। अगर केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, तो वो बाध्य है उसमें मुकद्दमा दर्ज करने के लिए। वो पाँच कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्रिलिमिनरी इन्कवायरी जरूरी है; वो पाँच में पहला है; मैट्रिमॉनियल डिस्प्यूट/फेमिली डिस्प्यूट यानी अगर किसी

एससीएसटी का लड़का लड़की किसी दूसरे से शादी कर ले जाति में और तब इस तरह के एलीगेशन लगते हैं तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होनी चाहिए। नम्बर दो, कमर्शियल ऑफेंसेज, जो पैसे के लेन–देन के ऊपर अगर लगते हैं, तब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होनी चाहिए। नम्बर तीन, करप्शन केसेज अगर कोई करप्शन पकड़ा गया, तब इस तरह के आरोप आ रहे हैं तब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होनी चाहिए। और लास्ट है इसमें जिस केस में तीन महीने के बाद अगर कोई कम्पलेंट पुलिस में दी जा रही है, तब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होनी चाहिए। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की व्यवस्था तो पहले ही पाँच जजों की बेंच 2013 में दे चुकी है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को जो यहाँ कोर्ट में दी, उसमें यहाँ तक दिया है कि अगर केस में कोई डिस्कलोज नहीं हो रहा है ऐसा केस और फाइल बंद करनी है तो उसको रिकॉर्ड पे लाया जाए, उसकी रिकॉर्डिंग लिखी जाए और उसकी कापी सात दिन के अंदर डिसीजन ले के उसकी कापी कंप्लेनेंट को भी दी जाए। तो ये व्यवस्था ऑलरेडी पाँच बेंच की जजमेंट में आ चुकी है। उसके बाद एक जजमेंट आती है, नेशनल कैम्पेन ऑफ दलित हयूमन राइटस वर्सिस युनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट आई है 2016 में। ये तीन जजेज बेंच की जजमेंट है। इसमें चीफ जस्टिस और दो कंपनी जजिज ने इस बात पे चिंता जाहिर की है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटस इस कानून को ढंग से पालन करवाने में फेल हुई हैं। वो अनुसूचित जाति जनजाति का शोषण रोकने में फेल हुई हैं और उसने भी जो गाईडलाइंस दी, कोर्ट ने कि ये इफेक्टिव तरीके से इंपलीमेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद ये तीसरी जजमेंट आई है, अब जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक पाँच जजेज बेंच की जजमेंट, एक तीन जजेज बेंच की जजमेंट है और ये जजमेंट दो बेंच की जजमेंट है जिसमें जो व्यवस्था दी गयी है, एक तो अरेस्ट वाली और एक दूसरी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी वाली। साथ में कोर्ट ने लास्ट में एक

लाईन ऐसी डाल दी जिससे पूरे ऐक्ट का एक तरीके से समझ लीजिए पूरा ऐक्ट ही डॉयल्यूट हो गया। इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जायेगा अब। वो लाइन बड़ी खतरनाक है। उसमें कोर्ट ने कहा है लास्ट में, ***"Any violation of direction 3 and 4 will be actionable by way of disciplinary action as well as contempt'*** यानी वो पुलिस अधिकारी जो तीन और चार में जो व्यवस्था कोर्ट दे रही है, उसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्पट होगी, डिस्पिलिनरी एक्शन होगा। इसका मतलब फिर तो कोई भी अधिकारी एक बार मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। वो इस दो की वजह से पहले ही डर जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये दो चीज क्या हैं? वो बड़ी खतरनाक हैं जो अभी बता रहा था। ये बात मैं करके अपनी बात को खत्म करूँगा मुश्किल से आधा मिनट।

थर्ड और फोर्थ। थर्ड पढ़ता हूँ:

"In view of acknowledged abuse of law for extreme cases under the atrocities act, arrest of a public servant can only be arrested after the approval of appointing authority and of a non-public servant after approval of the SSP which may be granted in appropriate cases if considered necessary for reasons recorded.'

तो एक तो ये हो गया और दूसरा हो गयाः

"To avoid false implications of an innocent, a preliminary inquiry may be conducted by the DSP concerned to find out whether the allegations make out a case under the atrocity act and that the allegations are not frivolous or motivated.'

यानि ये दो परिस्थिति, दो चीजें फोलो करनी पड़ेंगी इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अब इन दो की वजह से जो तीसरी बात कह दी कि अगर उसने नहीं किया यानी वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। और तो अब आसानी से मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। एक तरीके से जो थोड़ा बहुत डर रहता था शोषणकारी व्यक्ति के अंदर, वो डर इस जजमेंट की वजह से बिल्कुल खत्म हो गया है और ये दो जज बेंच की जजमेंट दो जजिज, सुप्रीम कोर्ट के पाँच जज बेंच की जजमेंट को ओवररूल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ संवैधानिक व्यवस्था में तो लीगली ये संभव नहीं है लेकिन ये जो हो रहा है, ये अफसोसजनक है और इसके खिलाफ जो आज सदन में हमारी साथी सदस्या डिप्टी स्पीकर साहिबा ने जो आज रखा है, मैं उसमें उनके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार के पास ये बात जानी चाहिए वो जो रिव्यू डाल रहे हैं, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत के जाने माने वकील एंगेज होने चाहिए और वो पूरे तथ्यों को सामने रखें कि यह ऐक्ट क्यों बना, क्या वजह थी, इसकी बनने की, क्या परिस्थितियां थीं और इंपलीमेंटेशन में दिक्कतें क्या हैं।

लास्ट बात कह के खत्म करूँगा। ऑलरेडी 182 आईपीसी है। मैं मान सकता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलत केस भी बना देते होंगे। लेकिन उनके लिए ऑलरेडी कोई प्रावधान है कानून में प्रोविजन है 182 में। उसके खिलाफ 182 में प्रोसिक्यूट करो, उसको सजा दो जिसने झूठा केस बनाया है। लेकिन एक आध परसेंट ऐसे लोग हैं कि भई जिनकी वजह से...

जो मूलभावना जिसकी वजह से ये कानून बना, उस कानून को बिल्कुल खत्म कर देना, ये न्यायोचित नहीं है। आपने मुझे इस अवसर पे बोलने

का अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद। आधे घंटे का चाय ब्रेक।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही आधे घण्टे चायकाल के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 5.05 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अल्पकालिक चर्चा (नियम 55)

माननीय अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा नियम 55 के अंतर्गत श्री सौरभ भारद्वाज जी, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों विशेषकर आईएएस, दानिक्स कैडर के अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों तथा विधायकों के सरकारी मामलों से संबंधित मीटिंग, फोन कॉल, मैसेज को अटेंड न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में' चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री अमानतुल्लाह खानः अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज जो दिल्ली का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बीजेपी वाले और आरएसएस वाले पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करा रहे है हिंदु–मुस्लिम के नाम पर तो दिल्ली में तकरीबन 4–5 दिनों में 10 से ज्यादा विधान सभाओं में 'राम नवमी' के नाम पर इन लोगों ने जो है, जुलुस निकालते हैं, नंगी तलवारें लेकर के, कल जैसे मनीष जी की विधान सभा में कोशिश की गई, बादली में की गई, ओखला में की गई, बल्लीमारान में की गई, जामा मस्जिद पर की गई, शाहदरा में भी ये कोशिश हुई तो...

माननीय अध्यक्षः मेरी विधान सभा में भी हुई...

श्री अमानतुल्लाह खानः हां, पूरी दिल्ली का इस वक्त ये माहौल खराब करना चाहते हैं तो हम इस पर रूल–54 के तहत इस पर हम चर्चा चाहते है और ये आज दंगा पूरे...

माननीय अध्यक्षः आप नियमानुसार लिखकर दीजिए।

श्री अमानतुल्लाह खानः ठीक है।

श्री अजेश यादवः अध्यक्ष महोदय, कल इतना वहाँ माहौल खराब हो गया था क्योंकि वहाँ बराबर आबादी है और जिस वक्त नमाज अदा की जा रही थी, वो ही जगह चुनी गई।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजेश जी, इस पर चर्चा के लिए नियमानुसार समय माँगिए।

...(व्यवधान)

श्री अजेश यादवः तलवार लेकर इकट्ठे हुए हैं। तलवार लेकर कौन सा जुलुस निकल रहा है इनका!

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजेश जी इस पर नियमानुसार चर्चा माँगिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नियमानुसार इस पर लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अजेश यादवः ये दिल्ली का, पूरे देश का माहौल खराब करने की साजिश है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, सौरभ जी, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष महोदय, ये...

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंदः दंगा कराएंगे। अभी बिहार में दंगा करा रहे हैं, इतिहास रहा है दंगा फसाद का।

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंदः ये और कुछ नहीं है, इनका सारा जुमला फेल हो गया है। अब ये केवल दंगा कराकर के...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा जी, नियमानुसार नोटिस देकर...

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंदः इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा जी, मैं ये, रितुराज जी मेरी बात सुनिए...

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंद: ये भाजपा वाले...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऋतुराज जी, ये चर्चा...

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंद: इनका जुमला फेल हो गया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऋतुराज जी, मैं कुछ कह रहा हूँ ना। ऋतुराज जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऋतुराज जी, मैं कुछ कह रहा हूँ, प्लीज। ये चर्चा पोस्टपोन हुई थी। ये बहुत गम्भीर है और इसका आप विधिवत नोटिस दीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, विधिवत नोटिस में लाइये इस चीज को। चलिए, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस बात पर बोलने के लिए और आज इस विषय पर, जिस पर आज हम चर्चा शुरू कर रहे है, ये विषय किसी... मेरा अपना विषय नहीं है, ये विषय पूरी की पूरी विधान सभा का विषय है और अगर इसको ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखा जाए तो ये पूरे देश की अलग–अलग विधान सभाओं, लोकसभा और राज्यसभा की पॉवर्स, शक्तियों का विषय है। पिछले दिनों हमने देखा कि विधायकों ने सवाल लगाए। राइट टु इन्फॉर्मेशन ऐक्ट भी 2005 में आया है अध्यक्ष जी, जो सदन के अंदर सवाल लगाने की परम्परा रही है, ये बहुत पुरानी परम्परा रही है और इसलिए रही है ये परम्परा ताकि

कोई भी सरकार तानाशाह ना बन जाए, ताकि कोई भी विधायक या सांसद सरकार के विषय में, सरकारी अफसरों के विषय में, सरकारी प्रोजेक्टस, सरकारी पॉलिसीज, सरकारी पैसे, इसके विषय में सवाल लगाए और उसको सरकार के द्वारा सवालों के जवाब दिए जाएं।

मैंने पिछले हफ्ते 28 मार्च को कुछ सवाल लगाए गए थे अध्यक्ष जी, जिसके अंदर मैंने सरकार किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक सवाल लगाए। मेरे सवाल ये थे कि इस सरकार के अंदर अगर कोई अफसर है, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी कर रहा है, मान लीजिए जिसका काम पेन्शन बनाना है, वो पेंशन नहीं बना रहा। जिसका काम राशन की दुकान खोलकर, रोज दुकान खोलकर राशन को बाँटना है, वो आदमी राशन नहीं बाँट रहा या जिसका काम अनऑथोराइज कॉलोनियों के अंदर सड़क बनाना है, वो आदमी या वो अफसर उन सड़कों के लिए टेंडर नहीं लगा रहा, वो उस टेंडर के ऊपर बैठ गया है तो उस अफसर के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। क्या इस सरकार का मंत्री या मुख्य मंत्री उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता। उसको ट्रांसफर कर सकता है या उसको सस्पेंड कर सकता है या उसके ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई, कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरे ये सवाल थे। मेरे ये सवाल थे कि यदि दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी अक्षम है, नालायक है या जान–बूझकर जनहित के कार्यों में विलम्ब करता है, काम को डिले करता है तो क्या इस सरकार के मंत्री उसका स्थानांतरण या निलम्बन कर सकते है अथवा उसे कारण बताओ नोटिस, क्या जारी कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते है। इसका कोई जवाब नहीं आया अध्यक्ष जी।

मेरा दूसरा सवाल था अगर कर सकते है तो इसकी प्रक्रिया बताई जाए कि क्या प्रोसस है जिससे किसी भी अफसर के ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ छोटी–छोटी चीजें होती हैं पीडब्लूडी का अफसर है, सड़क बनानी है, वो टेंडर नहीं कर रहा या टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है, वो सड़क बनानी शुरू नहीं कर रहा या उसने सड़क बनाई है तो आधी अधूरी बनाई है, पैसे खा गया तो मेरा एक बिल्कुल बेसिक सवाल ये है कि विधायक तो चलो छोड़िए, हम तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते उनके ऊपर, मैं भी यही कहूंगा न कि मैं मंत्री को लिखूँगा कि मंत्री जी, आपका फलाना भ्रष्टाचारी अफसर जो है, वो खुलेआम पैसे खा रहा है तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या इस सरकार का मंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, नहीं कर सकता और कर सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसस क्या है, मैंने इसमें पूछा कि इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी दें, इसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूछा 1 जनवरी, 2016 से लेकर 28 फरवरी, 2018 तक की अवधि में जिन विभागाध्यक्षों के विरूद्ध, इस दिल्ली की सरकार के मंत्रियों ने अक्षमता, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता आदि की शिकायतें की हैं, ऐसे अक्षम पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका विवरण दें, मतलब इस तरीके के ऑफीसर जिन्होंने डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी की है, कार्यों में लापरवाही की है या अपना काम नहीं किया है अगर उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए? मेरा सवाल था 383, इसका कोई जवाब अध्यक्ष जी, नहीं आया।

पिछली बार जब हमारी विधान सभा लगी थी जनवरी में तो हमारी दो कमिटीज ने इस सदन के अंदर एक रिपोर्ट दी थी। अलग–अलग रिपार्टस दी थी। एक रिपोर्ट के अंदर हमने दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ

कोऑपरेटिव सोसायटीज के अंतर्गत आने वाले एक कोऑपरेटिव बैंक के विषय में रिपोर्ट दी थी कि इस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर करोड़ों रुपये की हेराफेरी हो रही है, घोटाला हो रहा है। इस दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के अंदर आपके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनके नाम हमने ये रिपोर्ट में दिए थे; श्री शूरबीर सिंह और श्री जे.बी. सिंह, लोगों के साथ मिलीभगत करके उन्होंने इल्लीगल वोटस बनाए हैं। उन इल्लीगल वोटस के ऊपर वो गलत लोगों को जीताकर लेकर आ जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए हैं, जहाँ पता चल गया कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे लोगों ने जिन्होंने इल्लीगल तरीके से, गलत तरीके से वोट बनाए हैं, वो भी सिद्ध हो रखा है कि इन्होंने कई हजार वोट हैं, वो अपने हिसाब से बना रखे हैं जो इल्लीगल है। उसके खिलाफ कम्पलेंटस हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरसीएस में कम्पलेंट हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने रिट के अंदर, रिट इशू की कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री को लिखा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमिटी के अंदर कम्पलेंट हुई, कमिटी ने जांच की, पता किया, ये तो गड़बड़ी कर रहे हैं, इनके अधिकारी। कमिटी ने सरकार को कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर बताया कि देखिए, आपके अफसर ये गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा हाँ जी सर, गलत हो रहा है, मैं कुछ करूँगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हीं भ्रष्टाचारी बैंक के डायरेक्टर्स जिनके ऊपर गबन के मुकदमें सिद्ध हो गए, दिल्ली सरकार की इंक्वायरी रिपोर्टस में सिद्ध हो गये कि इन्होंने करोड़ों रुपये की हेराफेरी की, उन्हीं बैंक डॉयरेक्टर्स का रिश्तेदार, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी की मां वो ही हूबहू वही 11 बैंक डॉयरेक्टर्स जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए और भ्रष्टाचार के कारण उनको

कहा गया कि आप इस चुनाव को नहीं लड़ सकते, उन्हीं के बाप, बेटा, दामाद, बहू, माँ चुनाव में जिताके दोबारा से उसी बैंक के डॉयरेक्टर्स बना दिये गये। मिली भगत किसकी? श्री शूरवीर सिंह, आईएएस आफिसर श्री जे.बी. सिंह, आईएएस आफिसर। हमने कमेटी की रिपोर्ट सब्मिट की, हमने उसके अंदर बताया कि ये जो दो लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ देके ये पूरी की पूरी गड़बड़ी की है। ये रिपोर्ट थी अध्यक्ष जी हमारी 19 जनवरी, 2018 की। रिपोर्ट में कहा गया था कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो गलत तरीके से बैंक के अंदर इलेक्शन कराये गये हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद या जो भी कार्रवाई आप करते हैं, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट आप इस सदन के अंदर एक महीने के अंदर सब्मिट कीजिए। एक महीना पूरा हो गया 19 फरवरी, 2018 को, आज चल रहा है मुझे लग रहा है अप्रैल... 2 अप्रैल है, आज कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। अगर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ऐसे खुल्लमखुल्ला बैटिंग करेंगे हमारी अधिकारी तो इस देश का क्या होगा! इस राजधानी का क्या होगा! इस समाज का क्या होगा!

अब वक्फ की बात करते हैं, अध्यक्ष जी, जो दूसरी रिपोर्ट थी वो भी उसी दिन मुझे लग रहा है 19 जनवरी, 2018 को हमने दूसरी रिपोर्ट पेश की। उसके अंदर अध्यक्ष जी, एक दरगाह है चौदहवीं शताब्दी की। दरगाह की जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत से बेच दी गई। जिन लोगों ने कंपलैंट की कि देखो ये सरकारी जमीन बेच खाई, उन लोगों के ऊपर मुकदमे कर दिये गये। दिल्ली पुलिस ने कर दिये। हमनें इन्क्वायरी करायी, इन्क्वायरी के अंदर दिल्ली सरकार के अफसर कह रहे हैं; शुरू में उन्होंने नहीं माना, शुरू में उन्होंने कमेटी को भी गुमराह करने की कोशिश की, बताया कि नहीं साहब, ये जमीन है ही नहीं। बाद में कमेटी

ने खुद ऐसे मुकदमे ढूँढे जिसके अंदर ये साबित हुआ कि ये जमीन बाकायदा वक्फ बोर्ड की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से ये जमीन बेची गई। अधिकारियों ने मान लिया, अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी एसएचओ को चिट्ठी लिखी, डीसीपी को चिट्ठी लिखी। दो साल होने को आये अध्यक्ष जी, इसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक। डीएम... डीएम एरिया का चिट्ठी लिख चुका है अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, वक्फ बोर्ड चिट्ठी लिख चुका है अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। हमनें चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया था मुझे लगता है दिसंबर में वो आये थे। हमने सोचा, कि चीफ सेक्रेटरी साहब नये हैं, इस मामले को समझते नहीं हैं, हमने उनको बाकायदा पूरा का पूरा मामला समझाया, उनके साथ डिविज़नल कमिश्नर श्रीमती मनीषा सक्सेना भी थी। हमने उनको बताया कि भई ये–ये मामला है, ऐसा–ऐसा है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा देखिये ये जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा अलग तरीके का है। मैंने माना, हाँ अलग तरीके का है। यहाँ पे पुलिस के ऊपर हमारी डायरेक्ट ऑथोरिटी नहीं है। मैंने माना, नहीं है। इसके अंदर समय लगेगा मगर मैं बात करूँगा। हमने कहा, ठीक है, बात कर लीजिए। हमें लगा बात करी होगी। एक बाइज्जत चीफ सेक्रेटरी कमेटी को अगर यह कहके जा रहे हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो मुझे लगा कमिश्नर से शायद बात करेंगे जाते ही या एलजी साहब से बात करेंगे कि भई इसके अंदर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हो रहे। फिर हमने कहा कि इनसे मिलिये, ये जो कमेटी के अंदर बैठे हैं ये अफसर। उन्होंने बोला, कौन हैं। मैंने बोला, इनका नाम है मिस्टर के.ए.फारूखी, कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बात साबित कर चुकी है और कह चुकी है कि ये जो फारूखी है, ये चोर है, ये डाकू है इसने वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन बेच खाई और कमेटी के सामने डिविज़नल कमिश्नर

मनीषा सक्सेना के सामने वो आदमी तीन बार अपनी बात से पलटा। पहले वो बोल रहा था कि हमारे पास जमीन है ही नहीं ये। हम मुकदमें हारे हुए हैं। बाद में ये दिखाया गया कि आप मुकदमे जीते हुए हो। बाद में उन आदमियों को भी पेश किया गया कमेटी के अंदर जिन्होंने उस फारूखी को वो कागज दिये थे कि आप मुकदमे जीते हुए हो, आपकी जमीन है, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उस फारूखी को पूरी की पूरी दिल्ली वक्फ बोर्ड की कमान दे रखी है मनीषा सक्सेना जी ने। हमने उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब, अंशु प्रकाश जी को कहा, देखिये साहब, ये आदमी जो रजिस्टर्ड चोर है, जिसको असेम्बली की कमेटी बता चुकी है कि ये आदमी चोर है, भ्रष्टाचारी है, आपकी ही डिविज़नल कमिश्नर मनीषा सक्सेना कह रही हैं कि जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सीओ छुट्टी पे गये हुए हैं तो ये ही हैं सर्वे–सर्वा, इन्हीं के पास पूरी कमान है। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने थोड़ा सरप्राईज दिखाया, कि अच्छा ऐसा है! मुझे भी उम्मीद जगी, मुझे लगा एक आईएएस अधिकारी हैं, इनको हमने अपनी बात बतायी है, ये उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत दुःख की बात है, बाकी देखिये लड़ाई–झगड़े जो हैं, सरकार के और अफसरों के वो चलते रहेंगे। मगर सरकार के और अफसरों के लड़ाई–झगड़े के अंदर कमेटीज को घसीटना, विधानसभा को घसीटना, ये गलत बात है। इसके ऊपर अध्यक्ष जी, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये भी 19 जनवरी, 2018 को ये रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके अंदर हमने कोई किसी से जमीन नहीं माँगी, हमने कुछ नहीं माँगा किसी से। हमने बड़ी साधारण सी रिकमंडेशन दी थी, पहली रिकमंडेशन ये दी थी कि ये जो फारूखी है, इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स शुरू की जायें, क्योंकि इन्होंने खुद हमारे सामने इस तरीके के भ्रष्टाचारियों का साथ दिया जो सबके सामने है, कोई हमने बड़ी चीज नहीं

माँगी। दूसरा, हमने बोला, दिल्ली वक्फ बोर्ड यतीम है। इसका कोई माई–बाप ही नहीं है। डिविज़नल कमिश्नर के पास पता नहीं कितने चार्ज हैं, वो एक चार्ज है, उनके पास एडीशनल चार्ज है। वो उसको देख रही हैं। उनको मालूम भी नहीं है। फारूखी जैसे लोगों के ऊपर डिपेन्डेंट है। हमने कहा, इसको एक फुल टाईम इसके ऊपर चेयरपर्सन बनाया जाये, चाहे जैसे भी बने, जल्दी बने। इसको एक फुल टाईम सीओ दिया जाये दिल्ली वक्फ बोर्ड को क्योंकि जो सीओ थे, वो भी कह रहे थे, मेरे पास बहुत काम है। मेरे को दो–दो तीन–तीन चार्ज दिये हुए हैं। हमनें कुछ नहीं माँगा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं माँगा। अध्यक्ष जी, हमने कहा कि इस केस के अंदर एफआईआर तो दर्ज करा दो, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, अध्यक्ष जी। और ये सारी रिकमंडेशंस इस एसेम्बली के अंदर जनवरी 19 को रखी गई, इस हाउस ने उस रिकमंडेशंस को एडॉप्ट किया और पास किया और चीफ सेक्रेटरी आफ दिल्ली को आदेश दिया कि आप इन सब रिकमंडेशंस के ऊपर कार्रवाई करके एक महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दो। अब मुझे लग रहा है कि ढ़ाई तीन महीने हो गये, कुछ नहीं आया अगर आप एक अध्यक्ष के कहने पे एक सेक्शन ऑफिसर को भी नहीं निकाल सकते तो डूब मरो आप! अंशुप्रकाश जी, आप डूब मरो! शर्म आती है मुझे कि हम यहाँ पे आये हैं! क्यों आये हैं हम चुन के यहाँ पे? इसीलिए आये हैं कि एक सेक्शन ऑफिसर भी पूरी की पूरी दिल्ली सरकार नहीं हटा सकती। क्या फायदा है? बड़ी–बड़ी–बड़ी किताबें लिखते हैं, बड़े–बड़े ट्वीट करते हैं, बड़ी–बड़ी बातें करते हैं! हमारा सम्मान चला गया, हमारा आत्मविश्वास चला गया। इससे नहीं गया, चोरी चल रही है। पूरी दिल्ली में चोरी चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक–एक कमेटी की मीटिंग में हम पूरी की पूरी फाइल पढ़ के आते हैं। हमारा काम है वक्फ बोर्ड

की फाइलें पढ़ना? इनका काम है। हम फाइलें पढ़ते हैं, हम गवाहों को ढूंढ के लाते हैं, हम लोगों की गवाहियाँ लेते हैं, इनके नखरे सहते हैं। उसके बाद कमेटी रिकमंडेशन करती है और ये कहते हैं, कोई काम नहीं हुआ। एक सेक्शन ऑफिसर नहीं निकाल सकते ये लोग! डूब मरना चाहिए इनको! कैसे लेते हैं तनख्वाह!

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिये सौरभ जी, कन्क्लूड करिये।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि सरकार के साथ जो तनातनी है, वो तनातनी ये हमारी एसेम्बली पे भी उतार सकते हैं। मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ और सरकार के अफसरों को भी बताना चाहता हूँ; ये एसेम्बली जो है, ये सरकार के आधीन नहीं है, न सरकार के मंत्रियों के अधीन है, न एलजी के आधीन है, न किसी अफसर के अधीन है और ये जितने भी विधायक चुनके आये हैं, मैंने काफी सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अफसर कह देगा कि मैं विधायक से नहीं मिलूँगा। ऐसा कैसे हो सकता है! वो सरकार से मिले या ना मिले, अगर हमारा विधायक एक अफसर से मिलने जायेगा तो वो ड्यूटी बाउंड है अध्यक्ष जी, कि वो उससे मिलेगा भी और पूरा का पूरा प्रोटोकॉल भी देगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। ऑफिस डिलिंग्स बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैम्बर आफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑब्ज़र्वेंस ऑफ प्रॉपर प्रोसिजर्स 1 दिसम्बर, 2011 गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवान्सेज एण्ड पेन्शन्स, डिपार्टमैंट ऑफ पसर्नल एण्ड ट्रेनिंग, डीओपीटी गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की की ये ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसके अंदर सभी अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि अगर

मैंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग कर रहा है या कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मैंबर जैसे कि हमारे एमएलएज हैं, ये लोग इनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग कर रहे हैं तो इनके डूज और डोन्टस निर्धारित हैं कानून के अंदर कि इनको उसके साथ किस तरह से पेश आना है। अब मैं अपने विधायक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि सरकार की अफसरों से बने या न बने, मगर किसी अफसर की ये औकात नहीं है कि आप उससे टाइम माँगे और अफसर आपको टाइम न दे और क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरा का पूरा कानून है, ये कहता है कि अगर आप लोग किसी अफसर से टाइम माँगेंगे तो उनको आपको टाइम देना पड़ेगा और आज जब उसके दफ्तर में जाएंगे तो उसको अपनी कुर्सी से खड़े होके आपको वैल्कम भी करना पड़ेगा, आप जब अपनी बात कहेंगे, उसको वो बिना किसी जल्दबाजी के, ऐसा नहीं हो सकता कि साहब जल्दी–जल्दी बता दो, पूरे धैर्य के साथ उनको आपकी बात सुननी पड़ेगी, आपकी बात समझनी पड़ेगी और अगर आप जब उठके जाओगे वो अफसर दोबारा से अपनी कुर्सी से खड़ा होगा और वो आपको छोड़ने भी जाएगा, ये आपका हक है और ये हक किसी से मिला नहीं है, ये हक जनता का हक है जो आपको मिला है क्योंकि जनता सर्वोपरि है और अगर जनता का कोई चुना हुआ नुमाइंदा आपके पास आ रहा है, किसी अफसर के पास तो इसका मतलब ढ़ाई लाख लोगों का चुना हुआ आदमी आपके पास आ रहा है, ढ़ाई लाख लोगों की आवाज आपके पास आ रही है, कोई बाबू नहीं है वो, जिसने कोई एग्जाम पास किया जिंदगी के अंदर एक बार और अब उसकी वो नौकरी चलती रहेगी। आप वो लोग हो कि अगर आप काम नहीं करोगे तो जनता लात मार के आपको बाहर निकालेगी, तो आपकी ये एकाउंटेबिल्टी पाँच साल में हर बार

जनता तय करती है, तो आप लोग एक प्रोटोकोल तय करो, अफसर को चिट्ठी लिखो, उसको बोलो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा ये–ये टाइम है इसके अंदर से आप कोई टाइम बताएं। आपको अफसर टाइम देगा, आप अगर उनको अपना एजेंडा भी बताओगे तो बाकी अफसरों को भी बुला के रखेंगे, आपका काम पूरा होगा, आप उनसे मिनटस ऑफ मीटिंग भी माँगोगे, न दे तो लिखित में माँगोगे और तो ओर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का भी प्रोटोकोल है, अगर आपने किसी अफसर को टेलीफोन किया और उसने नहीं उठाया तो वो आपको कॉल करेंगे वापस, ये प्रोटोकोल है आपका प्रोटोकोल है, जनता के लिए प्रोटोकोल बनाया हुआ है और अगर उनसे आपकी बात नहीं होती तो आप उनके असिस्टेंट को बात करो, उनके पास अपना मैसेज छोड़ो कि विधायक जी, का फोन आया था जनता के... पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये बात मुझे करनी है। उनका फोन आपके पास आएगा, नहीं तो उनको आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ो। टेक्स्ट मैसेज के अंदर भी आपके पास रिप्लाई आएगा कि आपने मुझे फोन किया था या मुझे एसएमएस किया था, इस विषय में बात करनी है, इस दिन को हम मिलते हैं, मगर इसके अंदर आप सब को एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई बातों को ही आप डिस्कस करें वर्ना मौके बेमौके लोग कहेंगे, साहब, ये अपनी किसी पर्सनल काम से आए थे। क्या है, बातों को ट्विस्ट बहुत किया जा सकता है। तो आप जब एसएमएस करें तो उसमें लिख दें कि मुझे इस विषय के अंदर बात करनी है; नाले के विषय में बात करनी है, राशन के विषय में बात करनी है, सड़क के विषय के अंदर बात करनी है और इस ऑफिस मैमोरेंडम को स्पीकर साहब की मदद से हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भेज देंगे और वो अपने सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे अफसरों को, ये बता देंगे कि इस तरीके से विधायकों के साथ

उनको डील करना है। अगर विधायक चाहें तो सीधा मंत्री को भी लिख सकते हैं और साथ में अफसर को भी लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अफसर और मंत्री को मैं इस समय मिलूँ, हमें इनके झगड़े से कोई मतलब नहीं है, जहाँ झगड़ा करना है करें, मगर विधायक का और पब्लिक का काम सफर नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये तब भी न करें तो क्या करोगे? उसका भी जवाब है, ऐसा नहीं है कि अफसरशाही ने कोशिश नहीं की। जब–जब मौका मिलता है, जब–जब चुने हुए जो नुमाइंदें हैं, एक–दूसरे से लड़ते हैं, वो अपनी साख खोते हैं और उसका फायदा या तो अफसरशाही उठाती है या उसका फायदा न्यायपालिका उठाती है। ये तीनों जो पिलर थे डेमोक्रेसी के, इनके बीच में हमेशा एक दूसरे के रास्ते के अंदर आने की या एक दूसरे के स्पेस में एन्क्रोच करने की एक आदत चलती है, हमेशा से ऐसे चलती है तो हर व्यवस्था को अपने हितों को बचाने के लिए और अपने अधिकारों को बचाने के लिए हमेशा से कार्यरत रहना चाहिए। ये हाउस कई अलग–अलग... मुझे लगता है कि इस हाउस के अंदर कई अलग–अलग चीजें चल रही हैं मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्टी लाइन से उठके अपनी राइटस को और अपने अधिकारों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वर्ना अफसरशाही जो है, वो हमेशा ही ये चाहती है कि उनको कोई कहने वाला न हो, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी न हो, उनको कोई पूछने न आए। क्या होती है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ये नहीं होती कि आपका चुनाव हो गया, आप जीत गए आप यहाँ पे आ रहे हो, 280 उठा रहे हो, 54 उठा रहे हो फिर आप पाँच साल में दोबारा चुनाव लड़ रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर अखिलेश के यहाँ पानी नहीं आ रहा तो रात को दो बजे इसके घर लोग आ जाते हैं, सुबह छः बजे इसको उठा देते हैं कि पानी

नहीं आ रहा, ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अजेश भाई के घर आ जाते हैं लोग कि एक्सीडेंट हो गया फलाने रिश्तेदार का, अजेश भाई अपनी कार में लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराता है उसको और अगर हॉस्पिटल वाला एडमिशन नहीं देता तो एमएस को फोन करते हैं। अगर ये एमएस को फोन करेंगे और एमएस फोन नहीं उठाएगा तो किस बात की है डेमोक्रेसी! भई किसी को जरूरत है ऑक्सिजन सिलेंडर की और इनको लगता है कि उसकी जरूरत हॉस्पिटल का स्टाफ पूरी नहीं कर रहा तो इनको हक है, अजेश भाई एमएस को भी फोन करेंगे, एमएस नहीं सुनी करेगा तो हैल्थ सेक्रेटरी को फोन करेंगे, वो नहीं सुनेगा तो मंत्री को फोन करेंगे, यही तो डेमोक्रेसी है, इसमें कोई अफसर ये कैसे कह सकता है कि मैं एमएलए की बात नहीं सुनूँगा या एमएलए का फोन नहीं उठाऊँगा, या एमएलए से मीटिंग नहीं करूँगा, ये हो ही नहीं सकता। ये डेमोक्रेसी के विरूद्ध में है। तो ये सेम की सेम पोजिशन लोकसभा में भी आई थी। लोकसभा में भी ऐसा हुआ था कि कुछ अफसरों को इतना गुमान हो गया था कि हम मैंबर पार्लियामेंट को टाइम दें, न दें हमारी मर्जी। हम उसकी बात सुनें, न सुनें हमारी मर्जी। मैंबर ऑफ पार्लियामेंट चिट्ठी लिख रहा है, अपने लैटर हैड पे कह रहा है, मेरे यहाँ ये समस्या है, मैं जवाब दूँ न दूँ, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है, ऐसी मर्जी वाली बात नहीं चलेगी। इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर बताया हुआ है कि अगर विधायक या लोकसभा के अंदर जो मेंबर है... सांसद किसी डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखता है तो सेक्रेटरी को उसका जवाब देना पड़ेगा ये नहीं है कि सेक्शन ऑफिसर जवाब दे रहे हैं और 15 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा और न आए तो उसकी तरकीब भी मैं बताऊँगा, आज पूरी की पूरी तरकीब यहाँ पे बताके जांएगे। आपको 15 दिन के अंदर जवाब आएगा और अगर 15 दिन के अंदर जवाब

देना संभव नहीं है, समस्या लंबी है तो भी 15 दिन में जवाब देके ये बताना पड़ेगा कि 15 दिन के अंदर ये–ये–ये हो सका है, आने वाले दिनों में इस–इस समय तक हम ये काम करेंगे, ये सारा का सारा इसके अंदर दिया हुआ है। तो लोकसभा के अंदर जब ये समस्या आई कि कुछ अफसर सांसदों के साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीजी करते थे, आप पहुँच गए अफसर के पास, अफसर बैठा है अपनी कुर्सी पे। देखो बड़ा–छोटा कुछ नहीं होता इसके अंदर, ऐसा नहीं होता कि मैं मंत्री जी के साथ मिलने जाता हूँ तो कैलाश भाई बैठे रहते हैं! ये भी उठके हमसे मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये छोटे हो गए। मगर एक इज्जत होती है, आपके पास एक चुना हुआ रिप्रजेंटेटिव आया है और वो इज्जत हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। हमारा हक है उसके ऊपर। तो जब ये लोकसभा के अंदर दिक्कत आई तो लोकसभा के अंदर एक कमेटी बनाई गई उस कमेटी का नाम था ***'Committee on Voilation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Govt. Offiers with the Member of Loksabha.'***

तो मेरी अध्यक्ष जी से ये निवेदन रहेगी और पूरे हाउस से ये निवेदन रहेगी कि दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली विधान सभा के लिए भी इसी तर्ज पे एक कमेटी बनाई जो कि जो अफसर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर हमारे किसी विधायक भाई से, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो भाजपा का हो, तमीज से पेश नहीं आएगा, लेड डाउन प्रोटोकोल, प्रोसिजर या गाइडलाइंस का वॉयलेशन करेगा या उसका बिहेवियर जो होगा वो कन्टैम्च्युअस होगा, अपमानजनक होगा तो उसकी कम्पलेंट आप अध्यक्ष महोदय से कर सकते हैं और अध्यक्ष जी, वो कम्पलेंट आपकी इस कमेटी के अंदर रेफर करेंगे। ये कमेटी उस अफसर को बुलाएगी, उससे पूछेगी क्या हुआ। आपको बुलाएगी, आपसे पूछेगी क्या हुआ। साक्ष्य होंगे, तो साक्ष्यों के ऊपर बात होगी।

साक्ष्य नहीं होगी तो सर्कम्स्टांसिज पर बात होगी। कई जगह ऐसा भी तो हुआ है, जहाँ बिना साक्ष्यों के भी जेल हुई है। सर्कम्स्टांसिज पर बात होगी और इस कमेटी के पास उतनी ही पॉवर्स होंगी जितनी प्रिविलेज कमेटी के पास है मतलब सीधा... तो ये जो कमेटी है मुझे लगता है कि समय की माँग है कि ये कमेटी इस हाउस के अंदर गठित की जाए और इस तरह की बदतमीजी को आप लोग बिल्कुल बर्दाश्त न करें, एक बार भी बर्दाश्त न करें, ठीक है? क्या हुआ कि हमने बहुत कोशिश की, ताले खोलने की मगर उन्होंने हमारी सारी चाबियाँ खराब कर दीं, सरकारी जितनी चाबियाँ थीं, वो एलजी साहब ने खराब कर दी हमारी। हमने बड़ी कोशिश करी कमेटियों के थ्रू इनको निवेदन किया कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर कार्रवाई करा... तो वो चाबियाँ अब काम नहीं कर रही हैं। तो हमें अपनी मास्टर की से काम करना पड़ेगा। ये जो मास्टर की है असेम्बली की, इससे सारे ताले खुलेंगे और एक बात मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ कि हम किसी दुर्भावना के साथ, अफसरों के साथ काम न करें। मैं कई सारे अफसरों से मिला हूँ, प्राइवेटली वो अफसर कह रहे हैं कि यार! आप लोग अच्छा काम कर रहे हो! कहां चोर–उचक्के हुआ करते थे पहले! हर चीज में तो कमिशन माँगते थे! कोई पॉलिसी, कोई स्कीम सरकार में पास नहीं होती थी। जब तक पहले कमिशन तय न हो कि इसका कितना, मंत्री का कितना, मुख्यमंत्री का कितना। आप लोग किसी बिना कमिशनबाजी के पूरा का पूरा काम चला रहे हो सरकार का। क्या अफसर जानते नहीं हैं? अफसर रहे नहीं है, सरकारों के साथ? पुराने या अफसर गोवा नहीं गए या पुडुचेरी नहीं गए। अफसरों को सब मालूम है मगर उनको समझ में आ रहा है कि यार! आप लोग जो है, राजनीतिक–दलित हो। जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि इनके साथ अत्याचार आज भी होता है। क्योंकि जो पुराने

मनुवादी सोच के लोग हैं, वो ये पचा ही नहीं रहे कि ये राजनीतिक– दलित हमारे साथ आकर कैसे बैठ गए। ये कहाँ से आ गए ये लोग! इनको हम कैसे इज्जत दे दें! हम तो ग्रीन टी पीते हैं। ये पानी भी नहीं पी पाता। वो अफसरों को एक्चुअली ये लगता है अफसर, कुछ अफसर... मैं नहीं कहूंगा सारे अफसर और कुछ बड़े–बड़े एडिटर्स वो एक ही सामाजिक बिरादरी से आते हैं। जो अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। अमेरिका बच्चे सबके अमेरिका पढ़ते हैं इंगलिश खाते हैं, इंगलिश निकालते हैं। ये जो है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप लोग कहाँ से आ गए। बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो हमें प्राइवेटली ये कहते हैं कि जी, ये कुछ लोग हैं, ऊपर के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं मीटिंग करना मगर ये हैं कि हम मीटिंग करेंगे तो हमें मीमो पकड़ा देंगे, किसी न किसी बात पे हमें फंसा देंगे। ये ऊपर वाले मिले हुए हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कमेटी बनने के बाद उन लोगों को भी मौका मिलेगा देशहित में, समाज के हित में काम करने का और जो उनके सरगना हैं... सरगना मतलब ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में सरगना है। तो उनको ये सीख देते हैं, फलां विधायक से नहीं मिलना, फलां जगह नही जाना। उनको भी इस कमेटी में बुलायेंगे जल्दी। तो आप लोगों से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आप किसी दुर्भावना के साथ किसी अफसर के साथ मत कीजिएगा कि क्योंकि आपकी इससे नहीं बनती तो चलो इसकी कंप्लेंट कर दें। आप उससे पूरी इज्जत से बात कीजिएगा। अगर अफसर बदतमीजी से भी बात करें तो भी आप उससे बिल्कुल तमीज से बात कीजिएगा, अपमान का घूँट पीके घर आ जाइएगा। फिर चिट्ठी लिखकर स्पीकर साहब को दीजिएगा कि स्पीकर साहब मेरे साथ ये–ये काम किया इस अफसर ने और फिर उसको स्पीकर साहब डील करेंगे,

हम लोग डील करेंगे। मगर वो अफसर जो अच्छे अफसर हैं, ईमानदारी से आपके साथ काम करना चाहते हैं, उन अफसरों को आप पूरी इज्जत दीजिए, उन लोगों को पूरा साधुवाद दीजिए। क्योंकि वो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं।

इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को खत्म करने से पहले स्पीकर साहब से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि स्पीकर साहब, हमारी कमेटीज ने दो रिकमंडेशन्स दी थी, जनवरी के अंदर दी थी। एक्शन–टेकन रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से अभी तक हमें नहीं मिली है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके ऊपर आप विचार कीजिएगा और विचार के बाद जो आपको लगे आप उचित कार्रवाई कीजिएगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मैं समझता हूँ सौरभ जी ने इस विषय को बड़े अच्छे ढंग से रख दिया। मेरे पास नौ सदस्यों के नाम आए हुए हैं बोलने के लिए पंकज पुष्कर जी, मदन लाल जी, अलका लाम्बा जी, गुलाब सिंह जी, विशेष रवि जी, सोमनाथ भारती जी, ऋतुराज जी, प्रवीण कुमार जी और अजय दत्त जी। दो विपक्ष से आए हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ इनको फिफ्टी–फिफ्टी दोनों तरफ से कर दें मेरी प्रार्थना है। अगर सदन सहमत है तो विषय सौरभ जी बहुत अच्छे ढंग से रख दिया है और इस पर चर्चा में पहले मैं पंकज पुष्कर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। मैं तो प्रार्थना ये करूँगा कि इस पर बहस होने दें क्योंकि ये न केवल दिल्ली की जनता के भविष्य का सवाल है, ये देश के लोकतंत्र का भी सवाल है। पूरे देश के अंदर संघवाद की जो लड़ाई है, संघवाद बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना है कि देश के अंदर कोई चीन की तरह की

केन्द्र की सत्ता न रहे। हर राज्य को और हर राज्य के नागरिक को बराबर का सम्मान मिले। उस संघवाद का संघर्ष दिल्ली की विधानसभा लड़ रही है। देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को बचाने का संघर्ष दिल्ली की विधानसभा लड़ रही है। और दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली की जनता कहना ये चाहती है, वो कोई दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हैं। वो कुछ पुराने दलों के बीच की फुटबॉल नहीं है कि एक ने इधर से लात मारी, एक ने उधर से मार दी। अपने घोषणा–पत्र में तो ये लिखेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो और यहाँ पर किसी और के इशारे पर काम करेंगे। दिल्ली की जनता ये कहना चाहती है, वो अगर संसद में और विधानसभा में वो आवाज नहीं आई तो सड़कों पर आएगी, लॉ एण्ड आर्डर का सवाल पैदा होगा। इसलिए दिल्ली की विधानसभा कुछ ऐतिहासिक महत्व का काम कर रही है। इसलिए ये बात बहुत विस्तार से कही जानी आवश्यक है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय भी हैं, नेता विपक्ष भी हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, आप सबसे मैं दिल की गहराई से अपील करूँगा कि मैं बहुत ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज बीच–बीच में थोड़ी सी गंभीर होगी, ये सन् 1900... सौ ये हमारी पार्टी बनने से बहुत पहले की बात है कि एक नौजवान नगली रजापुर गाँव में आटो के पीछे एक पोस्टर चिपका रहे थे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता दिल्ली की मौहल्ला सभा तय करेगी कि मौहल्ले में क्या खर्च हो, कालोनी में क्या खर्च हो। वहीं पर एक बिल्डिंग के अंदर 1956 बैच के एक आईएएस हुआ करते थे डा. बी.डी. शर्मा जी जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के दलितों और आदिवासियों के नाम कर दी। उनका बनाया हुआ 'भारत जन–आंदोलन' मीटिंग कर रहा था। नीचे से खबर आई तो उन्होंने कहा बी.डी. शर्मा ने ये कौन, इनको बुलाइए कौन है ये व्यक्ति? उस व्यक्ति को बुलाया गया। उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल। वो उस समय एक कार्यकर्ता की तरह देश के

लोकतंत्र को बचाने और गहरा करने की लड़ाई आटो के ऊपर एक कार्यकर्ता की तरह पोस्टर चिपकाकर कर रहे थे। डॉ. बी.डी. शर्मा जिन्होंने राज्यपाल बनना बर्दाश्त नहीं किया, जिन्होंने केन्द्र का मंत्री बनना... उन्होंने उस दिन घोषणा की कि ये व्यक्ति जो है, मेरे सपनों को पूरा करेगा। वो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और स्वाति मालीवाल ये तीन लोग कम से कम बीसों बार उस देश के सर्वश्रेष्ठ आईएएस के साथ मिलकर उन्होंने गुरूमंत्र लिए और देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाने के सूत्र उनसे सीखे और उन सूत्रों पर चलकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम किसी नेता के पिछलग्गू बनकर राजनीति में नहीं आए हैं। हम इस देश के महानतम जो सेवक रहे हैं, चाहे वो आईएएस रहे हो या अन्य सामाजिक आंदोलनों में रहे हो, उनका अनुगमन करते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, स्वाति मालीवाल जी और मैं भी और मेरे जैसे यहाँ के सारे सिपाही उनसे सीखते हुए यहाँ आए हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सेकंड ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन 2005 में बना। उसमें कहा, ***"Inefficiency, corruption, delays have become a… in public perception the hall mark of public administration in India.'***

जब हम नौकरशाही में होते हैं तो हम को बड़ी ठेस पहुंचती है किसी ने ऊँची आवाज पर बात कर दी। लेकिन इससे ठेस नहीं पहुँचती कि देश की जनता में छवि क्या बन गई है! मैं जानना ये चाहता हूँ कि संजीव चतुर्वेदी एक आईएएस हुए जिनको कि 2005 और 2010 के बीच में उनको मतलब एन नंबर ऑफ ट्रांसफर झेलने पड़े। केवल इसलिए कि क्योंकि एक ईमानदार आईएएस था, वो देशभक्त आईएएस था। सत्येन्द्र दुबे, इंजीनियर इन सर्विसिज का एक आईएएस के दर्जे का नेशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया का वो महान अधिकारी जिसने पीएमओ को माननीय अटल बिहारी

वाजपेयी जी के समय में एक लेटर लिखा कि बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरा नाम डिसक्लोज न किया जाए और इस भ्रष्टाचार को रोका गया, रोका जाए। कैसे ये पीएमओ को लिखे हुए लेटर को लेटर वो लीक हो गया और वो शहीद हो गया वो सत्येन्द्र दुबे शहीद हो गया। आईएएस की एसोसिएशन को उसके लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे अफसोस हुआ दिल्ली के छोटे से मामले को बात का बतंगड़ बनाके मध्यम प्रदेश की आईएएस एसोसिएशन लिख रही है, रश्मी महेश एक आईपीएस नरेन्द्र कुमार, शानमुगम मंजुनाथ, सेल्स मैनेजर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के दो पेट्रोल पम्प में मिलावट को पकड़ा और रेड किया, सील किया। उसी रात मंजुनाथ की हत्या हो गई। क्या आत्मा हमारी नहीं झकझोरती! हम इस आजाद देश में रहने लायक हैं! यहाँ पर हम... कोई सपने देख के आईएएस बना इसलिए कि इस देश में योगदान देंगे और हत्या कर दी गई। ऐसे एक नहीं, बहुत हैं। बिहार में एक दलित डीएम बने, कृष्णैया जी। एक बिहार की जातिवादी सेना ने खुले आम सड़क पर उसकी हत्या कर दी। मैंने कहीं नहीं देखा कि हमारी पूरी आईएएस बिरादरी मोमबत्ती ले के सड़को पे इस बात के लिए उतरी हो कि कैसे एस ईमानदार आईएएस की हत्या कर दी गई!

मैं प्रार्थना ये करूँगा कि हमारी आत्मा तब भी नहीं झकझोरी कि जब एक वरिष्ठ आईएएस की बेटी हरियाणा में उसका सील हरण किया गया, छेड़खानी की गई। एक स्थापित राजनैतिक सत्ताधारी दल के राज्य के अध्यक्ष के सुपुत्र ने ये काम किया। हमारी आत्मा तब भी नहीं झकझोरी। मैं, सबके अंदर विवेक है, उस विवेक का सम्मान करते हुए हमारे जितने हमारे नेता विपक्ष भी, हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी भी, हमारे महामहिम उपराज्यपाल महोदय भी, मैं प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि दिल्ली विधान सभा... यहाँ पर कई

लोग ऐसे बैठे हैं जो कि आईएएस की नौकरी की तैयारी करने आए थे संजीव भाई हैं, अखिलेश भाई हैं। हम में से लोग कहीं ओर भी जा सकते थे, हम राजनीति में किसी मकसद के साथ आए हैं। उस मकसद में हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं, सबका सहयोग चाहते हैं और अगर प्यार से सहयोग नहीं मना तो हम तो संघर्षों के साथ पैदा हुए हैं, वो चीजें भी आगे बढ़ेंगी।

मैं केवल दो–तीन बातें आपके सामने रखूँगा कि ब्यूरोक्रेसी जो आईसीएस का मॉडल है, जो आईएएस का मॉडल है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो देश पे राज करने के लिए कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बना था। वो अपने मूलभूत ढाँचे में इसको माने। पुराने सारे प्रधानमंत्रियों ने दर्ज किया है कि वो ढाँचा बना हुआ है। उस ढाँचे में जिस मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, वो काम केन्द्र की सत्ता का है। लेकिन उसकी मांग करने का फर्ज दिल्ली की विधान सभा का है। दिल्ली की जनता का है, वो हम कहना चाहते हैं।

माननीय महोदय, एक समाजशास्त्री हुए मिशल उन्होंने कहा, 'ऑयन लॉ लॉफ ओलिगार्की', कोई भी शासन हो, कब्जा एक छोटे से वर्ग का होता है। हिन्दुस्तान की ज्युडिशयरी में हो रहा है। हमारे साथी अजय जी ने कहा कि ज्युडिशरी में क्यों नहीं हैं समाज के सभी वर्गों के लोग! दिल्ली पुलिस का एक डॉटा आता है। दिल्ली पुलिस में दिल्ली के नौजवान बच्चे क्यो नहीं हैं, मुसलमान बच्चे क्यों नहीं हैं। दिल्ली की झुग्गियों के बच्चे क्यों आईपीएस अधिकारी नहीं बनते, कोई इस सवाल का जवाब नहीं देता। दिल्ली की विधान सभा ये संकल्प लेती है कि हम एक नई तरह की हम ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोगों का दिल से सम्मान करते हैं। हम एक नई तरह की ब्यूरोक्रसी

बनाने का सपना देखते हैं। राजेन्द्र पाल गौतम जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जय भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की कि हम अपनी झुग्गियों के अन्दर से अपनी बस्ती, अपने कटरों के अन्दर से ऐसे आईएएस बना के दिखाएंगे जो अपने खून पसीने से इस देश को सींचेंगे। माननीय महोदय उत्तर प्रदेश की एक आईएएस एसोसिएशन है। संजीव भूसरेड्डी जी उसके महासचिव हुआ करते थे। वो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले किसी बात को लेकर। कुछ करप्शन के इश्यूज ले के माननीय उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा कि मुझे एक आप लिस्ट दो कौन हैं आईएएस लोग। उन्होंने बाकायदा सर्वे और वोटिंग करके 40 मोस्ट करप्ट आईएएस लोगों की सूची दी। अटल जी ने कहा कि थोड़ी छोटी करके लाओ वो 25 की सूची ले के गए। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, और छोटी करो तो संजीव भूसरेड्डी जी ने कहा कि इससे और छोटी हम नहीं कर सकते, आप किसी पर टिक करके इसपे कोई कार्रवाई कर दीजिएगा। कोई कार्रवाई उसपे नहीं हुई। लेकिन निश्चित रूप से यूपी की आईएएस एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखा कि हम ईमानदारों के साथ हैं और बेईमानों को बेईमान और ईमानदार को ईमानदार कहना चाहते हैं। लेकिन हमारी केन्द्र की सत्ता जिसमें कि अटल जी जैसा बड़ा व्यक्ति बैठा था, वो भी इस सत्ता के सामने इस जो एक 'ऑयन लॉ लॉफ ओलिगार्की' है, एक अंग्रेजों की बनाई हुई ब्योरोक्रेसी है, इसका पत्ता नहीं हिला सका। लेकिन हम यहाँ कहना ये चाहते हैं कि एक नई तरह की लोकतंत्र का दिल्ली की विधान सभा में प्रयोग चल रहा है। हम लोग संविधान की झूठी शपथ के साथ नहीं, हम मन प्राण में हमारे संविधान बसते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने बसते हैं।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए पुष्कर जी। कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः मैं कुछ आपके सामने तथ्य, तीन चार जरूर रखूँगा, बहुत ठोस तथ्य। ये कहना जरूरी है माननीय महोदय, मैं तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूँगा। माननीय महोदय, बहुत ही मैंने प्रेम से इस पर काम किया है, दिल की बात है, दिल्ली की जनता की आवाज है। केवल दो दिन पुरानी बात है और भी पुरानी बहुत सारे केस हैं। दो दिन एक मामला ऐसा आया ट्रांसपोर्ट विभाग का, बहुत छोटा सा मामला था। मैंने सबसे पहले एमएलओ को फोन लगाया। व्यक्तिगत दो मोबाइल फोन पे फोन लगाया, ऑफिस में फोन लगाया, फोन नहीं लगा। स्पेशल कमिश्नर को फोन लगाया, फोन नहीं लगा। सबको एसएमएस डाले, फोन नहीं लगा। मैंने अपने प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को फोन लगाया, पहली बार अपने फोन से फोन लगा रहा था 15 सैकेण्ड के अन्दर कॉल उठ गया। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें कि एमएलओ से बात करना मुश्किल है। जिसमें स्पेशल कमिश्नर से बात करना मुश्किल है और ये मंत्री जो है, तुरंत फोन उठाते हैं। मैं पूरी कॉल रिकॉर्ड के साथ आपको वो दस्तावेज दे सकता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ दिल्ली की जनता पानी के लिए तड़प रही है। उसमें जो अपराधी है, ईश्वर न्याय करेगा और सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा कि हरियाणा को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ अफसर हमारे कुछ गलत लोगों से तो मिले हुए नहीं हैं, वो न्याय होगा। लेकिन दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड के एक प्रवीण भार्गव नाम के हमारे अधिकारी हैं, मैं एक महीने से उनको मैसेज डाल रहा हूँ कि हमको कितना पानी मिल रहा है, कितना दे रहे हैं, ये मैसेज से बता दीजिएगा। वो जवाब नहीं आ रहे। दिल्ली की जनता तड़प रही है, पानी के लिए तड़प रही है। अपनी छोटी छोटी चीजों के तड़प रही है। लेकिन मैं प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि जब हमारे माननीय चीफ सैक्रेटरी महोदय अगर एक छोटी सी बात को एक बहुत बड़े आकार

की बात बना देते हैं तो उससे होता क्या है। उससे पूरी व्यवस्था के हर करप्ट आदमी को छुपने के लिए एक आड़ मिल जाती है। शिखंडी के पीछे से वार होने लगते हैं। हर सच्चाई को कुचलने की कोशिश होती है। जनता के मुद्दों को कुचलने की कोशिश होती है। विधायक को अपमान करने की कोशिश होती है। ये काम पीडब्ल्यूडी के एक असिस्टेंट इंजीनियर ने मेरे सामने किया। मैंने आपको लिख के दिया, विशेषाधिकार के हनन का मामला लिख के दिया। उसी एफआईआर का मैंने लिखके दिया। आज मैंने पीडब्ल्यूडी के मंत्री महोदय को लिख के दिया है। एक जेई और एई का मामला। वो आपकी आड़ में... आपके सवाल जायज हो सकते हैं। लेकिन उसकी पीछे कितने नाजायज काम होते हैं, ये आपसे अनदेखी हो जाती है। मैं ध्यान आपका चाहूँगा इस मामले पे।

मैं केवल आखिरी बात कहते हुए केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी पुरानी सी कहानी है, अब बहुत लोग अब वादों से मुकरने की कोशिश करेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी एक जुमला था, ये कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता अपने काम काज में लगता है, कई बातें भूल जाती है। लेकिन जो उनके दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको नहीं भूलती। दिल्ली की विधान सभा... मैं अपने भाई सौरभ जी के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करते हुए, दिल्ली विधान सभा अपने विधान सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली की विधान सभा ही नहीं पूरे देश की विधान सभाओं और सांसदों के स्वाभिमान को बचाने के लिए लोकतंत्र के, उसकी जो विधायिका... विधायिका का जो अधिकार है, उसको बचाने के लिए विधान सभाओं में संघर्ष करेगी और जरूरत होगी तो संसद विधान सभा से निकलकर सड़क पे करेगी। जरूरत होगी तो हम अपने राष्ट्रपति महोदय को गुहार लगाएंगे। जरूरत होगी न्यायालय को लगाएंगे। लेकिन लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता। उसको

पैर की जूती नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली की जनता ये कहना चाहती है और वो फर्ज हम निभाएंगे, जयहिन्द, जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, पहली विधान सभा का मैं सदस्य था 2013 का भी। उसके बाद 2015 में भी आई और 2015 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस सरकार में पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी विजिलेंस होने का। हालांकि वो बाद में हाई कोर्ट ने स्क्रेप कर दी। परन्तु जब हम विजिलेंस का काम देखने की सोच रहे थे तो हमारे मन में एक इच्छा थी। एक इच्छा थी, एक सपना था माननीय केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का। जिस उद्देश्य को ये लेकर आए थे कि हम करप्शन को खत्म करेंगे। उस समय दिल्ली पुलिस का एक हैड कांस्टेबल 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के चक्कर में गिरफ्तार किया एसीबी ने। एसीबी ने गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट में पेश किया। पूरी दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। न केवल दिल्ली पुलिस में बल्कि दिल्ली पुलिस के जो ऊपर बैठे बॉस थे, वो सारे घबराने लगे कि शायद अब हमारा नम्बर भी आएगा और मैं आप सबको याद दिला दूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि उस समय की दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही अपने यहाँ एक मुकदमा दर्ज किया, एसीबी के ऑफिसर्स के खिलाफ किडनेपिंग का कि हमारा वो हैड कांस्टेबल को कुछ लोग किडनेप करके ले गए, वो हैड कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया और जब पता चला वो किडनेपिंग का केस हुआ, तो कोर्ट ने बहुत लताड़ मारी और वो केस बाद में रद्द हुआ किडनेपिंग का। ये रिजल्ट था उन भ्रष्ट ऑफिसर्स की करतूतों का! जो लोग ये घबरा रहे थे कि अब ये सरकार आ गई है। तो अब

करप्शन पे लगाम लगेगी और आहस्ते आहस्ते उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। बचपन में सुनते आए थे, 'उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे' तो बड़ा अचरज से देखते थे, भई चोर कोतवाल को कैसे डाँटेगा! कोतवाल का तो बहुत रोब होता है। परन्तु पीछे जो कुछ होता चला आ रहा है, राजनीति जिन लोगों को करनी चाहिए, वो यहाँ बैठे हैं। जिन लोगों को काम करना चाहिए वो राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं। अभी पंकज जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि पूरे देश में कहीं कहीं आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा बद्तमीजियाँ हुई हैं, बहुत मर्डर हुए हैं, ईवन जजों के मर्डर हो गये और मर्डर किसने किये हैं, वो सबको पता है कि भ्रष्ट लोग होंगे, जरूर कानून के विरूद्ध जाने वाले लोग होंगे। परंतु कहीं भी आज दिन तक हमने ऐसा नहीं सुना, न दिल्ली में न कहीं बाहर कि कोई मोमबत्ती लेके जंतर मंतर की तरफ चल दिये हों। मोमबत्ती का क्या मतलब है, आपके साथ कोई घटना हुई, आप एलजी साहब के पास पहुँचे रात को, आपने अगले दिन मुकदमा दर्ज करा दिया, पुलिस ने दो लोग गिरफ्तार कर दिये, पुलिस ने उस दिन, पूरा दिन जिन जिन लोगों ने कोई दूसरी तरह रिटेलिएशन किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया परंतु एक्शन तो हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ कोई कार्रवाई न हुई हो और आज के दिन क्या होता है? मैं भी पीछे अपने एक ऑफिस में बैठा था। डेढ़ बजे सही, एक माइक से आवाज आई, सब लोग सावधान रहें। मैं बड़ा अचरज था, मैंने एसडीएम को पूछा कि भई ये काहे की सावधानी हुई। कह रहे हैं छोड़ो कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर भी क्या हुआ। कहे, सर वो दो मिनट का मौन रखना है बाहर। क्यों? सर आपको पता है कि वो चीफ सेक्रेटरी... अरे भाई, चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ अगर कुछ हो गया, उसपे एक्शन हो गया। आप राजनीति बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं है।

आप सरकार का काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों का काम कर रहे हो। भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा कहा कि आपकी सरकार के साथ तनातनी हो सकती है, परंतु आप राजनीति करने के लिए स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हैं। आज करप्ट ऑफिसर्स को मौका मिल गया है, अपने आप को बचा के रखने का। 40 सवाल अगर इस विधान सभा में एमएलए पूछें और आप ये कहो, चूँकि ये रिजर्व सब्जेक्ट है, सत्तरह का जवाब नहीं दोगे तो मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ कि अगर आज के दिन दिल्ली में जो सीलिंग हो रही है, जिसके लिए डीडीए ने मास्टर प्लान लाने की तैयारी थी, 2012, तो क्या हम डीडीए से न पूछ पायें कि वो मास्टर प्लान में क्या क्या चीज के बदलाव चाह रहे हैं, हम उसमें क्या क्या चाहते हैं, हम उसको डिस्कस न करें क्या? आज हम ये न पूछें कि दिल्ली पुलिस में जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है, तो रिजर्व सब्जेक्ट है। एमसीडी कौन कौन सा काम कर रही है, ये आज सुबह ही बात हो रही थी कि कितने लाख कुत्ते हैं, उनके लिए कितने करोड़ रुपये खर्च हो गये। पर कुत्तों पर कितना खर्च हो गया, कितने लोग... कितने कुत्ते स्टरलाइज हो गये और कितने लोगों को कुत्तों ने काट खाया? नहीं, ये आप पूछ नहीं सकते। ये केवल अपने आपको बचाने का ये साधन नहीं है, बल्कि सरकार को फेल करने की एक मंशा है कि किसी तरह ये सरकार काम न करे। चाहे वो राशन का मुद्दा हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे का मुद्दा हो, हर काम में... अब पिलग्रिमेज का है कि आप बीपीएल करो तो कहीं न कहीं जहाँ भी सत्ता को मौका मिल रहा है, वो इस गवर्नमेंट के काम को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऑफिसर्स काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। पर अपने आप से एक बात हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जो विधान सभा है, वो सरकार नहीं है, जो सरकार है, वो विधान सभा नहीं है। हमको ये भी

समझना पड़ेगा कि जितने सरकारी अधिकारी हैं। 70 के लगभग शायद आईएस ऑफिसर्स हैं, साढ़े चार सौ के करीब दानिक्स हैं, दास।

माननीय उपाध्यक्षा (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुईं।

श्री मदन लालः इन लोगों की सैलरी, लोगों की तनख्वाह, इस सरकार से नहीं जाती बल्कि इस ऑफिस से जाती है, इस विधान सभा से जाती है और यहाँ विधान सभा के लिए हर ऑफिसर उत्तरदायी है और उत्तरदायी भी कानून के दायरे में है। कानून में व्याख्या की गयी है। कानून में सबको बताया गया है कि उसके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं। आइपीसी की धारा में सब लिखा हुआ है। चोरी करना मना है फिर भी लोग चोरी करते हैं। डकैती करना अपराध है, उसके लिए तय सजा, फिर भी कर रहे हैं, ऐसे ही विधान सभा की पुस्तिका में लिखा है कि सब लोग जिनकी तनख्वाह यहाँ से जाएगी, वो इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। मैं पीछे प्रिविलेज कमेटी का चैयरमेन था, कुछ शिकायतें वहाँ आयीं, बड़ा अचरज होता था, जैसे ही किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आयी, वो भाग के तुरंत कोर्ट पहुँचता था। भाई, आपको विधायक... इतनी ज्यादा क्या चिंता होती है। प्रिविलेज कमेटी से आपको इतना खतरा क्यों हैं, आपको क्यों लगता है कि वो वहीं से जेल भेज देंगे आपको, आपको तो केवल पूछताछ करने के लिए बुलाया, अब आप इसका मतलब ये चाहते हो कि आपसे कोई पूछताछ न करें, आपसे कोई सवाल नहीं करें कि आपने ये काम किये तो क्यों किये और ये नहीं किये तो क्यों नहीं किये। आप हर बार... एक बार रास्ता सीधा हाई कोर्ट का पकड़ते हैं कि साहब स्टे कर दो, वहाँ मुझे पहुँचना ना पड़े। तनख्वाह इसी से लेनी है, इस विधान सभा से तनख्वाह लेनी है पर विधान सभा के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है, ये आपको लगता है।

इस सदन के माध्यम से एक मैसेज जरूर जाना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को कि आप लोग कानून के दायरे में कानून का पालन करते हुए इस विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी रहेंगे और आपकी सारी जवाबदेही रहेगी। मैं सौरभ भारद्वाज जी के उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ जब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की तर्ज पर यहाँ भी एक ऐसा कानून बने, जिससे सारे के सारे आईएएस आफिसर्स, सारे दास जितने लोग काम करते हों, वे राजनीति छोड़ सरकारी काम में जुटें, जिससे जनता का, लोगों का भला हो सके।

मैं आपके माध्यम से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को राजनीति से परे हटकर लोगों की भलाई के लिए काम करना है और जो ये दो मिनट का मौन है, ये मैं नहीं मानता कि ये अंशु प्रकाश जी करवा रहे हैं, मैं नहीं मानता इनका कोई साथी करवा रहा है, हम सब ये जानते हैं कि ये कहीं और का खेल का है। वो इस मामलें को जिंदा रखना चाहते हैं और अंशु प्रकाश जी को रोज पिटवाना चाहते हैं कि साहब, कभी लोग भूल न जायें और उसके पीछे मंशा साफ साफ है कि सरकार को काम नहीं करने देना, सरकार को लगातार चेताये रखना है कि आपका अंशु प्रकाश जी से झगड़ा है, आपका आईएएस ऑफिसर्स से झगड़ा है, आपका नौकरशाही से झगड़ा है और आपका काम ये करने नहीं देगें, आपका काम होने नहीं देंगे।

माननीय उपाध्यक्षः बस मदन लाल जी कंप्लीट कीजिए।

श्री मदन लालः इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद आपने इतना पेशेंसली सुना है।

माननीय अध्यक्षाः अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस मुद्दे के ऊपर आज सदन में चर्चा कर रहे हैं। सदन इसलिए बना कि लोगों की समस्याएं, उनके समाधान के ऊपर इस सदन में चर्चा हो और अधिकारी गंभीरता से लेते हुए, हम सब मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान खोज पायें, लेकिन आज चर्चा है; सरकार वर्सेज अधिकारी वर्सेज एलजी साहब वर्सेज ये चुनी हुई विधान सभा, जहाँ पर इस बार प्रश्न जो पूछे गये, उसके बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, जो बहुत गंभीरता के साथ जनता से जुड़े हैं, जिसका जवाब हमें नहीं मिला। कह दिया गया कि इसका जवाब नहीं देंगे, ये रिजर्व मैटर है। सदन में इसका जवाब अधिकारी लोग नहीं देंगे। ये बहुत ही बड़ा मैं कहती हूँ कि एक निराश कर देने वाला एक विषय है। जब दिल्ली के हमारी सरकार के वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे, उस समय हमारा हाई कोर्ट में मामला चल रहा था; हम विधायक रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम बाहर से बजट को सुन रहे थे और बहुत निराशा हो रही थी कि इस बार बजट में जो प्रश्न एक अधिकार मिलता है चुने हुए अधिकारियों को कि वो पूछ सकें, हम उससे वंचित रह गये। हम बीस विधायक बहुत निराश थे क्योंकि पिछले तीन सालों में जब जब हमने बजट में प्रश्न पूछे, इन्हीं अधिकारियों ने बहुत ईमानदारी के साथ हर एक प्रश्न का जवाब पिछले तीन साल के बजट में दिया है।

माननीय अध्यक्षाः एक सेकंड, सदन का समय एक घंटा सात बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों की सहमति चाहिए। (सामूहिक सहमति मिलने पर) जी, मैडम।

सुश्री अलका लाम्बाः मैं वही कह रही हूँ पिछले तीन सालों में कभी भी अधिकारियों ने बजट सत्र के दौरान जब पुस्तकों के माध्यम से लिखित

तौर पर प्रश्न पूछे, तीन साल तक हमें जवाब मिले। हम भी संतुष्ट थे, हमारी जनता भी संतुष्ट थी, आपकी भी, अधिकारियों की भी समस्याएं, उसे हम समझ पा रहे थे और जनता तक पहुंचा पा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ तीन साल बाद! क्या पहले कानून अलग थे, अब कानून हो गये? अलग हो गया कि आप जवाब नहीं देंगे और ऐसे गंभीर प्रश्न हैं जो पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, जो सर्विसेस से जुड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि... मदन लाल जी ने ठीक कहा कि ये अधिकारियों का फैसला होगा कि उन्हें जवाब नहीं देने या इन लोगों के पास जवाब नहीं हैं। बिल्कुल जवाब होंगे और ये देना भी चाह रहे होंगे क्योंकि इन्हें मालूम है कि एक एक जवाब दिल्ली की आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है और उनकी जिंदगियों को प्रभावित करने वाले प्रश्न है। बिल्कुल इसकी शक की सुई जाती है कि राजनीतिक हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और दुःख की बात है कि कुछ अधिकारी उस राजनीतिक हथकंडे में इस्तेमाल अपने आपको होने दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आरोप लगा कि दो विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हाथ उठाया है। इस तरह की किसी भी हिंसा का हम, ये चुना हुआ सदन पूरी तरह से निन्दा करते हैं। वो कहीं कुछ भी ऐसा पूरे देश में कहें, सदन में कहें, अधिकारी के साथ कहें, नेताओं के साथ हो, इमरान हुसैन जी के ऊपर भी हाथ उठे, हम हर तरह की हिंसा का जो है, वो विरोध करते हैं। यहाँ पर लेकिन सिर्फ एक आरोप लगा था। आरोप साबित नहीं हुआ, हमारे दो विधायकों के ऊपर... ठीक है, आप पुलिस थाने गये। आपकी एफआईआर हो गयी। कानून के तहत अपनी जो है, वो प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। एफआईआर के बाद जाँच अधिकारियों को बुलाना, मुख्यमंत्री के घर तक पुलिस घुस गयी। प्रक्रिया चल रही थी, क्या जरूरत थी आप लोगों

को कैण्डल मार्च करके राजनीतिक तौर–तरीके अपनाते हुए प्रोटेस्ट करने की! 15 दिन तक सिर्फ आरोप पर... साबित नहीं हुआ, आरोप पर 20 दिन दो विधायक जेल काटकर आये। जिस देश में हत्याओं पर, बलात्कार पर सजा नहीं होती, वहाँ एक थप्पड़ के आरोप में हमारे दो चुने हुए विधायक जो हैं वो जेल भेज दिये जाते हैं और वहीं एक ओर सदन के बैठे हमारे जो मंत्री हैं, इमरान हुसैन जी के सामने, सचिवालय में उन्हें घुसकर पीटा जाता है। क्या किसी भाजपा के नेता पर हाथ उठाया था दो विधायकों ने? जो आरोप लगे। क्या वो भाजपा के गुण्डे थे जो सदन में घुस के एक मंत्री के ऊपर हाथ उठाते हैं। वो कौन लोग थे। उन्हें किसने ये सब करने के लिए उकसाया था। आज बहुत दुःख का विषय है क्योंकि चाहे वो अधिकारी हो, एलजी साहब हों, यही दिल्ली भारत की राजधानी है जिससे उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में अगर तस्वीरें बदलेंगी, उदाहरण पेश किये जाएगें तो वो भारत की राजधानी दिल्ली और आप जैसे अधिकारियों से उम्मीद की जाती है। हमें भी बहुत दुःख हुआ जब ये खबर आई और इसके ऊपर पूरा राजनीतिकरण किया गया। एसडीएम आफिस गये तो पता लगा एसडीएम तो हैं, डीएम जो हैं, वो दफ्तर में नहीं है। वो तो कैण्डल मार्च में हिस्सा लेने गये हैं। इतनी गम्भीरता लोगों के कामों में दिखायी गयी होती तो कितना बेहतर रहता अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी! मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, हमारे साथी हैं श्री विशेष रवि जी। मैं ये बता रही हूँ कि इन प्रश्नों के जवाब नहीं आये। क्या सच में दिल्ली को हक नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि आपके सदन में खड़े होकर प्रश्नों के जवाब माँगते हैं, उसके जवाब नहीं मिलते। श्री विशेष रवि जी का प्रश्न क्या था। श्री विशेष रवि जी का प्रश्न 27 मार्च को लगा था। 27 मार्च को 132 नम्बर पर पूछा गया कि क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 2017–18 के दौरान सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट

में थाना लेवल कमेटियों की कितनी बैठक हुई। मैं भी उसी कमेटी में, मेरी विधान सभा भी उसी कमेटियों में आती है। सबसे पहले तो एलजी साहब ने ये फैसला किया कि जितने विधायक थाना स्तर की कमेटियों के चेयरमैन हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाए। सात सांसद है इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी का गठन होगा। हम सन्तुष्ट हैं। हमारी सुनवाई हो, कम से कम। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों में विधायकों ने जाना शुरू कर दिया। सांसद चेयर करते थे। आज उस प्रश्न को लेकर यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी कमेटियों की मीटिंग हुई। मीटिंगों के मिनट्स पर काम हुए या नहीं हुए। यहाँ जवाब आता है कि आपको बताया ही नहीं जाएगा। हमारे बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। वो हमसे बार–बार पूछती हैं कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है पुलिस? क्या कहें, इस सदन में खड़े होकर कि नहीं बताते अधिकारी या अधिकारियों के ऊपर दबाव है। वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं। उन्हें कहा गया है इस तरह से करने के लिए। मैं माफी चाहूँगी, वो आज किसी ओर की बेटियाँ, कल वो हमारी और आपकी बेटियाँ भी हो सकती हैं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इस चुने हुए सदन, अधिकारी और एलजी साहब की भी, सबकी, सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत की राजधानी को अगर दिल्ली को हम सुरक्षित नहीं बना पा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पा रहे हैं तो कौन से राज्य को हम दिल्ली का उदाहरण ...हम भारत के राजधानी का उदाहरण हम लोग दे पाएंगे। कितनी बैठकें हुईं। कितनी थाना लेवल कमेटियों में अपराध के कितने मामले दर्ज हुए हैं, उनके जवाब माँगे गये अध्यक्ष जी, कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद पंकज पुष्कर जी ने 19 तारीख को प्रश्न लगाया था, वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ प्रश्न था इनका भी कि कितने भ्रष्टाचार के मुकदमें जो हैं, वो दर्ज हुए हैं। कितने एफआईआर पर कार्रवाई हो चुकी, कितनी चार्जशीट, कितने लोगों को गिरफ्तार किया

गया। ये भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे थे। किसको बचाना चाहते हैं? ये जवाब न देकर इस सदन के अन्दर, किसे बचाना चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों को। उसके बाद श्री सोमनाथ भारती जी ने दोबारा पूछा। पंकज जी ने तो 1993 से... पूछ रहे थे कितने भ्रष्टाचार के मामले विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट में आये हैं। भारती जी ने तो 2015 का पूछा है। जब से हमारी सरकार आयी है तभी से बता दीजिए। कितनों पर भ्रष्टाचार के मुकदमें हुए, एफआईआर हुईं, चार्जशीट हुईं। सजाएं मिली हैं। 2018 आ गया। वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। आप हमें जवाब नहीं दीजिए। हमारी कोई औकात, हैसियत नहीं है लेकिन हमें जिस जनता ने चुनकर इस सदन में भेजा है, वो जनता हमसे जवाब मांग रही है। अलका लाम्बा विधायक नहीं रहेंगी, हम विधायक नहीं रहेंगे। आप हमें मत पूछिएगा। आप हमारे प्रश्नों का जवाब मत दीजिएगा लेकिन ये आवाज एक अकेले की आवाज नहीं है। अगर एक लाख लोगों ने मुझे चुना है तो ये मेरी चाँदनी चौक विधान सभा, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, चाँदनी चौक, सिविल लाईन्स, वहाँ के एक लाख लोगों की आवाज है। हमारी बेटियों की आवाज है। जमीन से जुड़े मामलों पर प्रश्न किया गया। डीडीए के ऊपर, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग के ऊपर। जगदीश प्रधान जी बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने पूछा कि जमीनें जो एलॉट की गयी, जमीनों पर कब्जे कर दिये गये। जमीनों पर जो काम के लिए जमीनें एलॉट की गयी थीं, काम उन जमीनों पर नहीं हो रहे हैं, इसका जवाब माँगा सरकार से। लेकिन सरकार ने इन्हें कहा कि अधिकारी हमें जमीन के ऊपर जो अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिस काम के लिए जमीन का आबंटन किया गया है, अगर उस जमीन पर वो काम नहीं हो रहा है, उनका हक है। चाहे विपक्ष में...

माननीय अध्यक्षाः थोड़ा सा शॉर्ट में अलका जी। थोड़ा शार्ट में करके।

श्री अलका लाम्बाः अध्यक्षा जी, आपसे मैं सिर्फ यही कहूँगी, हाथ जोड़कर कहूँगी। खुद को राजनीति का शिकार मत होने दीजिए। बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। ये दिल्ली, हमारी नहीं, आपकी भी है। ये भारत की शान है। भारत की राजधानी दिल्ली सबकी है। हम चाहते हैं बाकी बचे दो सालों में... खुद को राजनीति से ऊपर उठाइए। हमारी जब 2013 में पहली बार सरकार बनी थी 28 विधायक आए थे। एन्टी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास थी। आज एन्टी करप्शन ब्रांच एलजी साहब ने दिल्ली सरकार से खींच ली। खुद के पास ले ली। सोचा, चलिए, आप ही कर लीजिएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाईयाँ एलजी साहब। लेकिन आपने... हमने जब प्रश्न पूछा एलजी साहब ने जब से एन्टी करप्शन ब्रांच लिया है, बताइए, गृह विभाग बताए कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए। कितनी चार्जशीट, कितने गिरफ्तार। आप कहते हैं, जवाब नहीं देंगे। पहले एन्टी करप्शन ब्रांच ले ली। अब भ्रष्टाचार के मामलों पर कहते हैं, जवाब भी नहीं देंगे। देश देख रहा है। देश देख रहा है। बहुत उम्मीद से आपको देख रहा है। मदन लाल जी ने तो नाम तक लिया चीफ सेक्रटरी का। पर मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, आज आप हैं, कल कोई और होगा और आपसे पहले कोई और था। बात व्यक्ति की नहीं, बात पद की हो रही है। जिस पद पर आप बैठे हैं, जिसकी गरिमा और जिम्मेदारी की जवाबदेही आप लोगों की है। आज मैं यहाँ विधायक हूँ, कल हो सकता है चाँदनी चौक से कोई और विधायक होगा। उम्मीद विधायकों से, अधिकारियों से ही की जाती है। आज आप हैं कल कोई और होगा। आपका और हमारा पिछले तीन सालों में और 49 दिनों की सरकारों में बहुत अच्छा आपका और हमारा सम्बन्ध रहा। बहुत अच्छी अण्डरस्टैन्डिंग अधिकारियों की और 49 दिन की सरकार में 28 विधायकों के साथ में थी। अब ऐसा क्या हो गया? ये दिखता है

अध्यक्षा जी, मै सिर्फ लिस्ट पढ़ देना चाहती हूँ। मुझे आज भी नहीं लगता कि अधिकारी ऐसा करना चाहते हैं। मुझे आज भी इस बात पर यकीन है कि केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार ने जिन एलजी को पहले और अभी भेजा है, वहीं चाहते हैं कि इनका राजनीतिक जो है, वो शिकार किया जाए।

सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एलजी साहब ने हमारी विधान सभा में... लास्ट एक लिस्ट पढ़ रही हूँ, बस। सबसे पहला क्या प्रस्ताव था 17000 गेस्ट टीचर की नियुक्ति को जो है, पक्का किया जाए। एलजी साहब ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिल्ली देख रही है। कौन है चुना हुआ प्रतिनिधि। चीफ मिनिस्टर को चुना है, सरकार को चुना है या एलजी को चुना है। दूसरा न्यूनतम मजदूरी वेतन को इन्होंने बहुत समय तक रोके रखा। उसे हम लोगों ने कितने संघर्ष करके पास करवाया। हमारे मोहल्ला क्लीनिक इन्होंने आज तक रोके रहे। जहाँ दिल्ली में अभी तक 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनने थे, वहाँ 150 से 200 ही बन पाये। डोर–स्टेप डिलीवरी, राशन की डिलीवरी दरवाजे पर। सही कहा, अमीर आदमी घर के दरवाजे पर पिज्जा ऑर्डर कर सकता है, गरीब आदमी अपने घर पर राशन की उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरे दरवाजें पर मुझे समय पर राशन, साफ राशन, पूरा राशन मिलेगा। अध्यक्षा जी, इतना ही नहीं, हमारा जन–लोकपाल चुनी हुई सरकार ने पारित किया है। केन्द्र सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाला हुआ है। महिला सुरक्षा आयोग के गठन की बात कही थी, उसे देने की वजह यहीं पर चर्चा हुई थी। उल्टा दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर ताला एलजी साहब ने ठोक दिया! एसीबी आपने अपने अधीन ले ली। एमसीडी के भ्रष्टाचार का ये सरकार ऑडिट नहीं कर सकती है। ये सरकार एमसीडी के भ्रष्टाचार की जाँच नहीं कर सकती सिर्फ उसे पैसा देना, बजट में उसका है। थाना लेवल की कमेटियों को भंग कर दिया गया। ये वो काम हैं जो मैं आपको

बता रही हूँ, तीन साल में एलजी साहब जब यहाँ सदन में आतें हैं तो कहते हैं, मेरी सरकार। अभी मुझे लगता नहीं है। ये कहना चाहिए कि मैं शपथ लेता हूँ कि ये मेरी सरकार... जो कह रहा हूँ, वो असली मायनों में मेरी सरकार ने, इसे काम नहीं करने दूँगा। ये वचन लेता हूँ। मुझे लगता है जबान में कुछ और होता है और मन में यही था कि इस सरकार को काम नहीं करने दूँगा और ये साबित भी हो रहा है कि आप इस सरकार को काम नहीं करने देना चाहते। मैं हाथ जोड़कर वापस कहूँगी कि अब तक बहुत से विधायकों ने बहुत से प्रश्न उठाये हैं। ये पूरी एक सूची है। इस सूची में 36 प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे कानून व्यवस्था से, जमीन से, सर्विसेज से, राशन की जो समस्या है डिलीवरी, उससे, मोहल्ला क्लीनिक से। ये 36 प्रश्न ऐसे हैं अध्यक्षा जी, जिसके जवाब इस सदन में, बजट सत्र में उम्मीद की जा रही थी, मिलेंगे। 36 प्रश्नों के जवाब... लगभग 17 विधायकों के जवाब नहीं आये।/615/ 20 विधायक हमारे जैसे बाहर थे, इसलिए हम पूछ नहीं पाए तो 17 और 20 कम से कम 37 ऐसे विधायक हैं, जिनके प्रश्नों से 37 विधान सभा के कम से कम भी कहूँ, एक विधान सभा में एक लाख लोग हों, 37 लाख लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके जवाब नहीं दे पा रहे।

माननीय अध्यक्षाः बहुत–बहुत धन्यवाद। सिरसा जी।

सुश्री अलका लांबा (जारी): आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जयहिंद।

माननीय अध्यक्षाः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पिछले कई दिनों से यह चर्चा... पहले भी विधान सभा में इसी बात को लेकर आई, चुने हुए नुमाइंदों के सवालों के जवाब विधान

सभा में आने चाहिए, हर सूरत में आने चाहिए। यह विधान सभा एक प्रक्रिया के तहत् चलती है और जो हमारे अधिकारी हैं, वो उसी देश की प्रक्रिया के साथ चलते हैं। उसी संविधान की कसम वो खाते हैं जिस संविधान के तहत् यह विधान सभा चलती है। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को चुना है। चुनी हुई सरकार लोगों की नुमाइंदगी करती है। सरकार किसी की हो, किसी पार्टी से हो, हम आज विपक्ष में हैं लेकिन हम भी यह मानते हैं कि सरकार का यह हक है और खास तौर पर विधान सभा का पूरा हक है कि हर तरीके का सवाल का जवाब इस विधान सभा के पटल पर आना चाहिए जो दिल्ली से रिलेटिड हो। हो सकता है, इस सरकार के दायरे के अंदर जो कानून व्यवस्था की चीजें हैं, लैण्ड है, कई और ऐसे विषय हैं जो केन्द्र सरकार से रिलेटिड है। केन्द्र सरकार से संबंधित हो सकते हैं लेकिन हैं वो भी दिल्ली के लोगों से संबंधित। ऐसा कोई विषय नहीं है जो दिल्ली के लोग मानते हों या दिल्ली के विधायक मानते हों, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो या कोई विदेश से संबंधित हो। हम कम से कम अपनी दिल्ली से संबंधित सवाल पूछते हैं और इस विधान सभा को हर उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। यह अधिकार है इस विधान सभा का, लेकिन इस अधिकार से क्यों इस विधान सभा को रोका गया, क्या कारण है, यह मैं समझता हूँ इसके ऊपर आज हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता है। भारद्वाज जी ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, मुझे बड़ी खुशी है सौरभ जी ने, हमारी बहन अलका जी ने और सभी लोगों ने... विषय सब का एक है कि दिल्ली के लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। आखिरकार हमारी उनके प्रति जवाबदेही है। एक अफसर की जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति, उसकी जवाबदेही सरकार के प्रति थी, इस हाउस के प्रति थी लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमारी लोगों के प्रति जवाबदेही

है, हम तो अपनी जवाबदेही पर पूरे उतरते हैं लेकिन जिस अफसरशाही की जवाबदेही सरकार के प्रति है, उसको भी उस पर पूरा खरा उतरना चाहिए। लेकिन आज विषय किस बात का है? विषय सामने दो हैं; एक सरकार के साथ अफसरशाही का टकराव और दूसरा विधायकों के जवाब न देना। ये बिल्कुल दोनों अलग–अलग विषय हैं। सरकार के साथ टकराव का क्या कारण है, हम सब लोग जानते हैं। मैं उसकी गहराई में नहीं जाता पर मैं एक बात जरूर उसमें पूछना चाहता हूँ। हम विधायकों का क्या कसूर है, हम विधायकों ने तो कुछ नहीं किया और न ही हमारे विधायकों का किसी तरह का, किसी भी अफसर के साथ दोष–ब–दोष है, विरोध है। हमारा तो विरोध नहीं है किसी के साथ और हम तो अपने बच्चे भर्ती कराने के लिए नहीं जाते, अपने बच्चों की बदली कराने के लिए नहीं जाते, बच्चों को एडमिशन कराने के लिए नहीं जाते, हम काहे के लिए जाते हैं, जो लोग हमारे घर एक उम्मीद लेकर आते हैं गरीब आदमी है, बेचारे की और रिसोर्सेज तो है नहीं, उसको लगता है कि मैं एमएलए के पास जा रहा हूँ, एमएलए को भगवान के बराबर मानते हैं। इनके पास जाएंगे, इनके पास बहुत ताकत है, हमारे काम करेंगे। हमें भी बहुत रोना आता है जब उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। बहुत दर्द है इस बात का, किसी भी सूरत के अंदर, देश के अंदर आज नहीं, दिल्ली के अंदर आज नहीं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ पहले भी बनी होंगी लेकिन मैं तो अफसरशाही को भी यह बात कहना चाहता हूँ, हमारी बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन दिल्ली के लोगों की बात तो समझिये। एक माँ जिसके घर पानी नहीं आ रहा, वो पानी के लिए तड़पती है हमारे पास आती है। हम किससे बात करें? उसकी तो अगर अप्रोच होती हो तो हमारे पास आती ही क्यों और अगर हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही तो उस बेचारी की सुनवाई कौन करेगा!

इस बात में कोई शक नहीं है। देखिये, देश के लोग हमें जितना मर्जी नेताओं को बुरा बोलें। पूरा कोसे हमें, गालियाँ निकालें लेकिन दुनिया के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर, चुना हुआ नुमाइंदा ही एक ऐसा नुमाइंदा है जो रोज गाली सुनता है लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानता। हमारे बच्चे भी गालियाँ सुन–सुन कर थक चुके हैं लेकिन हम फिर भी बुरा नहीं मानते। लोग हमें मुंह पर भी गाली निकाल देते हैं लेकिन हम हँस कर, मुस्कराकर चल देते हैं। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ गालियाँ निकाली होती हैं, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ बूथ लगा कर हमें हराने की कोशिश की होती है, वो भी लोग जो हमारे घर चलकर आते हैं ना रात को, एक बजे भी, तो यह उम्मीद करते हैं कि हमने जितनी मर्जी इसको गालियाँ निकाली हों पर यह तो एमएलए हैं, हमारी बात का जवाब देगा, हमारी बात सुनेगा। हम उसको चाय पिलाते हैं फिर भी उसका काम करते हैं। यह कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, कोई जज नहीं कर सकता। किसी अफसर के घर में रात को बारह बजे कोई घण्टी बजा दे तो मैं समझता हूँ, इंसाफ लेने गए का, क्या होगा लेकिन उस पर और नया मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यह कोई नहीं कर सकता लेकिन सरकार का टकराव है ब्यूरोक्रेसी के साथ, उसका भी एक कारण है। अरे भाई, हमारा क्या कसूर है, हम गरीबों के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो?

मैं तो अध्यक्ष महोदया, दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। एक, सरकार को और एमएलए को अलग–अलग रखो। सरकार अलग है, विधायक अलग हैं। हम लोगों की अलग तरीके से नुमाइंदगी करते हैं, सरकार लोगों की नुमाइंदगी अलग तरीके से करती है। दोनों में बहुत सारा अंतर है और आज सभी का दुःख यही है। और दूसरी बात, यह कब तक टकराव चलेगा आखिर इसका कोई तो अंत होना चाहिए। दिल्ली के लोगों का जो

नुकसान हो रहा है उसका कारण क्या है। कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर, उप मुख्य मंत्री जी के मौजूदगी के अंदर कुछ एमएलएज के साथ जो भी झगड़ा होता है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। मैं फिर कहना चाहता हूँ, उसको लेकर तनातनी बनी...

...(व्यवधान)

श्री अमानतुल्लाह खानः टकराव नहीं हुआ...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं कहता हूँ, मैं जा ही नहीं रहा...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः एक मिनट, अमानत जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः विषय नहीं है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः देखिये, विषय पर ही रहिये सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मेरा विषय नहीं है उस पर।

माननीय अध्यक्षाः बिल्कुल, आप बहुत सही चल रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं केवल यह कहना चाहता हूँ, जो भी कारण हुआ हो लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पंजाब के एक मंत्री से माफी माँग सकते हैं, आज अरुण जेटली से माफी माँग सकते हैं, गडकरी से माफी माँग सकते हैं, उनको तो दिल्ली से कोई लेना–देना नहीं है, तो

फिर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से भी माफी माँगे और इस मामले को खत्म करें। विषय क्या है...

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंदः क्यों मांगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः बस, बस, बस। बस ऋतुराज जी, बैठिए आप।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः लड़ाई किस बात की है, लड़ाई यह ईगो की है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः आप खत्म कीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अगर ईगो की लड़ाई है, हम तो इस ईगो की लड़ाई को लड़ाई नहीं मानना चाहते। हम यह मानते हैं, इस ईगो की लड़ाई को क्यों लड़ाई बनाया जा रहा है। हम भी यह चाहते हैं कि दिल्ली चले, सरकार चले लेकिन अगर आप लिखित तौर पर कोर्ट के अंदर चार–चार नेताओं से माफी माँगने जाते हो, उनका तो दिल्ली से सरोकार कोई नहीं है तो फिर दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ाई किस बात को लेकर! तो हम भी आपके साथ खड़े होकर, यह चिल्ला–चिल्लाकर कहने वाले बनेंगे कि आप बतायें, जब आपने लोगों को अंदर दे दिया जिसने गलत काम किया, नहीं किया, वो इस बात को कहने को तैयार हैं, दिल्ली की सरकार चलाना मेरा फर्ज है। अरे, दिल्ली के मुख्य मंत्री का फर्ज है इसमें क्या लड़ाई है! क्या दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के मुख्य मंत्री को सरकार चलाने

के लिए नहीं चुना? चुना है। क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री का दायित्व नहीं बनता कि दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिले? बनता है। तो फिर लड़ाई कहाँ पर है? अरे! मैं फिर से यह कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात सब को बुरी लगे लेकिन अगर बात बुरी लगे तो मैं विधान सभा में क्या सब को खुश करने के लिए आया हूँ? नही। मैं अपने लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ। जिन ढाई लाख लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं उनको खुश करने के लिए इस विधान सभा में आया हूँ। पर मैं यह बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस ईगो को खत्म करना चाहिए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ जो ज्यादती हुई है, उसकी अपोलॉजी... अपील करनी चाहिए और फिर हम भी यह लड़ाई लड़ेंगे कि चलो...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। आप जा–जा कर कोर्ट में रोज माफियाँ मांगते हैं। मेरे भाई दिल्ली के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः ऋतुराज जी, बस। रितुराज जी, अपनी सीट पर बैठिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जहाँ आपको जेल जाने से डर लगता है, वहाँ माफी माँग लेते हो। यहाँ जेल कोई और जाता है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः सिरसा जी, बस।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं बैठ गया, पर यह लड़ाई...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः बस। सिरसा जी, बस बहुत–बहुत धन्यवाद। विजेन्द्र गुप्ता जी। ऋतुराज जी, आप अपनी सीट पर जायें। विजेन्द्र गुप्ता जी।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, बैठिये। ऋतुराज जी, बैठिए, दो मिनट। विजेन्द्र जी, एक मिनट बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, एक मिनट बैठिये। दो मिनट प्लीज। मैं सिरसा जी को अभी अपने चैम्बर में बैठे हुए सुन रहा था। जो एलजी का आदेश आया है, वो केन्द्रीय सरकार की ओर से आया है अधिकारियों की ओर से नहीं आया। हाँ, अधिकारियों ने उसका पालन किया है तो इस चर्चा को...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरा ऑब्जेक्शन है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप बीच में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। डायवर्ट आप कर रहे हैं। सिरसा जी, बैठ जाइये प्लीज। देखिये, बैठ जाइये आप। मैं खड़ा हूँ। आप बैठिए, पहले। अजय दत्त जी, बैठ जाइये। मैं अपनी पीड़ा को खड़े होकर व्यक्त कर रहा हूँ। सिरसा जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं इस सदन का अध्यक्ष हूँ, जनता द्वारा चुना गया हूँ लेकिन एलजी इतनी बड़ी ज्यादती करे और यहाँ चर्चा करते वक्त उसको डायवर्ट हम करें, सच्चाई पर से पर्दा डालें, यह उचित नहीं है और ईमानदारी से आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। ईमानदारी से आप विषय रखिये। सिरसा जी, मुझे अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सारी बातें ईमानदारी से...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं पूरी बात कर रहा हूँ। सिरसा जी, मैं खड़ा हूँ, आप बोल रहे हैं। मैं खड़ा हूँ, आप बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सबसे पहले एलजी माफी माँगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, बैठ जाइये आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये नीचे। आप लोगों ने बिगाड़ दिया है सारा, दिल्ली को बर्बाद करने की जिम्मेवारी बीजेपी की है। बीजेपी ने बर्बाद किया

है दिल्ली को। आज पूर्ण राज्य के दर्जे को आप बैक आउट कर गए। बीजेपी बैक आउट कर गई। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा जी, बैठिए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये। बैठ जाइये। झा साहब, बैठिए प्लीज। अजय दत्त जी, बैठिये। अजय दत्त जी, आप अपनी सीट पर जाइये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, पर्ची दी है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अभी एक प्रार्थना कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, माननीय सदस्य, देखिये गुलाब जी,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिये बैठिये, मैं करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंहः एक चिट्ठी वकील को भेजी थी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः करता हूँ, सुरेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। प्लीज, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, विषय को आप ऊपर तक नहीं जाने देंगे। बैठिए, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मौका देना, बैठ रहे हैं...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्लीज, बैठिये। सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ा लिया जाये। पहले छह बजे था, सात बजे तक कर दिया। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ। माननीय सदस्यों से, विजेन्द्र गुप्ता जी को जो बोलना है, बोलने दें। एक सेकंड रुक जाइये आप। मैं सुरेन्द्र जी, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बैठिये। जाएंगे, चले जाएंगे। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, इस पर सारी जो चर्चा है, इस विषय पर, जिसको लेकर कह रहे हैं, मैंने पूरा पढ़ा है, उत्तर नहीं आ रहे, दानिक्स कैडर के अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों तथा विधायकों के सरकारी मामलों से संबंधित मीटिंग/फोन कॉल/मैसेज को अटेंड न करने से उत्पन्न स्थिति। यह तब से ज्यादा हुआ है, जब से एलजी ने लैटर लिखा। उस विषय को लेकर के यह सारा विषय गड़बड़ हुआ है। हमने चर्चा करके छोड़ दिया था लेकिन पिछले चार–पाँच दिनों में सारा ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसलिए यह चर्चा सौरभ जी को लानी पड़ी। अब विजेन्द्र जी, जो मर्जी आए, उस पर कहें, सच्चाई पर पर्दा डालेंगे, दिल्ली की जनता देख रही है लेकिन मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो बिल्कुल डिस्टर्ब न करें।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आप इस पर कमेंट न करे...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं मौका दूँगा, चाहे रात को आठ बजे तक चलाना पड़े। मैं मौका दूँगा। वो उठ कर जाएं, जाएं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

मैं अंदर केवल जो पार्लियामेंट में, 2012 में बिल पास हुआ, कमेटी बनी बिल नहीं, कमेटी बनी उस कमेटी की सारी रूलिंग स्टडी करने गया था। 2012 में जो अभी मुझे दिया गया है, सौरभ जी द्वारा वो कमेटी का जो गठन हुआ है 2012 में, उसकी रूलिंग मैं पढ़ने गया था सारी, वो इससे बढ़िया रूलिंग हिंदुस्तान में 2012 में यानी आज़ादी के बाद 43 और 12, 55 साल बाद इस संविधान में अधिकारियों को लेकर के पार्लियामेंट को संजीदा होना पड़े। अरे! हम तो बहुत छोटे कण हैं। हम तो बहुत छोटे से कण हैं। हम तो आम आदमी हैं। 2012 में लोक सभा अध्यक्ष ने उसको मंजूरी दी है, वो आज आपको यहाँ पास करना है। उस कमेटी का गठन आपने करना है। इस चर्चा में मत जाइये, वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, हमने पिछले हफ्ते कहा था कमेटी बनाओ ये।

माननीय अध्यक्षाः ठीक है, विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो विषय रखा गया है वो है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों विशेषकर आईएएस, दानिक्स कैडर के अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों तथा विधायकों के सरकारी मामलों से संबंधित मीटिंग/फोन कॉल/मैसेज को अटेंड न करने से उत्पन्न स्थिति। मामला यह है कि फोन कॉल, मीटिंग अटेंड न करना, मैसेज आदि और मैं समझता हूँ कि अगर कोई अधिकारी जान–बूझकर किसी विधायक के सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है, जान–बूझकर फोन नहीं सुन रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है या मीटिंग में नहीं आ रहा है तो यह गम्भीर मामला है। लेकिन बहुत सारी चीजें आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल, एक दूसरे के सम्मान से, एक दूसरे के प्रति आदर से एक दूसरे के प्रति एक विश्वास

से उत्पन्न होती है। बहुत सारी चीजें इस कानून की किताब में लिखी हैं लेकिन यह कानून की किताब अगर मानवीय भावनाओं के बगैर है तो फिर यह सिर्फ एक टेक्नीकल डॉक्युमेंट बनकर रह जाएगा। क्या हम इस सरकार को, इस प्रशासन को, इस व्यवस्था को जो पिछले तीन साल से सरकार आई है, उसको तकनीकी आधार पर चलाना चाहती है या वास्तविकता में लोगों के प्रति जवाबदेह है। अभी जो पिछले दस दिन से यहाँ सदन में हो रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं गया अध्यक्ष जी, कि विषयों की पुनरावृत्ति न हुई हो। अध्यक्ष जी ने कोई रूलिंग पास न की हो, अध्यक्ष जी ने कोई बयान न दिया हो, सदन में कोई अधिकारियों के खिलाफ चर्चा न हुई हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दबाव बनाने का एक यह तरीका अपनाया जा रहा है। हम सब सदस्य हैं। पहले हम सदस्य हैं, उसके बाद हमारी अगली जिम्मेदारी है। लेकिन निष्कर्ष निकालिये कि जैसे–जैसे आप चीजों को चला रहे हैं, वैसे–वैसे हमारे अधिकार बौने हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं सरकार के काम करने के तरीके में, सत्तारूढ़ दल के काम करने के तरीके में बड़ी भारी कमी है। वास्तविकता यह है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको बोलने दीजिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लोगों का पेट आप अधिकारियों के गाली–गलौज करने से नहीं भर सकते। लोगों के काम आप, अखबारों में एक दिन खबर छपेगी आज सदन में दस लोगों ने गाली दी, दस लोगों ने विरोध में बोला, उससे लोग पढ़कर के क्षणिक भंगुर, हो सकता है कुछ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कुछ नहीं है, वो ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सुनो मैडम...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, मैंने आग्रह किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कुछ सांत्वना...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरे आग्रह को आप लोग टाल रहे हो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन अगर उनके काम नहीं होंगे, आज मुझे इस सदन में, चार बार मैं यह मामला उठा चुका हूँ और यहाँ के सदस्य भी उठा चुके हैं। रवि विशेष जी ने भी उसकी शुरूआत की थी, मैंने उनका समर्थन किया कि डूडा से यूडी के पास एमएलए फंड का हिसाब नहीं आ रहा। क्या एक बार भी अध्यक्ष जी ने इस बात की चिंता की। सदन ने इस बात की चिंता की कि क्या वजह है जो बात सामंजस्य से हल हो सकती है, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं लेकिन अगर किसी बात पर कोई लीगल डिपार्टमेंट अपनी राय दे रहा है तो उसको सरकारों से जोड़ना। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई दिल्ली सरकार। अभी मैं आज बयान पढ़ रहा था सौरभ भारद्वाज जी का। वो ऐसा है जी, वो पानी तो आ गया है, पानी तो आ गया है, पानी तो कोई कम नहीं है। अरे भैया, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दो। अगर पानी नहीं था तो खींचने दो हरियाणा सरकार को क्या फर्क पड़ता है। आज दिल्ली सरकार का वकील जल्दी–जल्दी जाते हैं कोर्ट में, जहाँ ...कोई ऑर्डर पास मत करना। कुछ ऑर्डर पास मत करना। इससे अध्यक्ष जी, इस सरकार

की क्रेडिबिल्टी पर फर्क पड़ रहा है। अगर आप पानी की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हो तो कोर्ट को फैसला देने दो। पानी अगर नहीं आ रहा था और आज आया है तो भी सामने आने दो और पानी अगर आ ही रहा था और सरकार की कुछ कमियाँ थी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को आर्डर में लिखने दो। फिर क्यों जाकर सुप्रीम कोर्ट को रोक रहे हो आप? क्यों आप बयान दे रहे हो, कोर्ट की तारीख से पहले कि पानी तो आ गया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा रही है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाती... अभी आपने पार्लियामेंट की कमेटी का जिक्र किया। बिल्कुल हर विधायक का सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मई 2014...

माननीय अध्यक्षः बिल पहले था, ये कमेटी...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिल कभी का हो लेकिन सरकार चाहे पहले की हो या मई 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। उसका कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कोई क्रेडिट लेने देने की बात नहीं कर रहा। लेकिन इसको संसद ने पारित किया, संसद ने बताया। अच्छी बात है! बहुत खुशी की बात है! लेकिन अगर इसका दुर्भावना से इस्तेमाल होता है। जिस तरह से कमेटियों के अंदर अधिकारियों को बुलाया गया। बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए कमेटी को लेकिन इसमें कहीं न कहीं दुर्भावना नजर आती है और अदालतें उस पर इन्टरवीन कर रही हैं तो उस पर आत्ममंथन होना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है कि हमारे फैसले अदालत रोक रही है। हमारी क्रेडिबिल्टी पर प्रश्न खड़ा हो गया है, इन तमाम चर्चाओं से, तमाम व्यवहार से। इस व्यवहार को बदलने की जरूरत है। कोई सामंजस्य स्थापित... क्योंकि दिल्ली की जनता की जवाबदेही सत्तारूढ़ दल

की और सरकार की है। अगर आप ये तैयारी कर रहे हो कि अब की बार चुनाव में जा करके ये कहने वाले हैं, हम आपको पानी इसलिए नहीं दे पाए, हम आपको बिजली इस लिए नहीं दे पाए, हम आपको स्कूल इस लिए नहीं दे पाए... तो इससे बड़ा एस्केपिज्म नहीं होगा। पाँच साल जनता ने सरकार को दिये हैं। 67 विधायक जीते थे और 66 हैं, आज भी 66। इस लिए जिम्मेदारी का... अगर उन्होंने कहा आज सरकार के मुखिया दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं केजरीवाल जी। अगर सिरसा जी ने ये कहा कि विवाद को निपटाने के लिए मुख्य मंत्री जी बड़ा दिल करें और कहें ठीक है, ये सारे विवाद को निपटाता हूँ। उन्होने कहा था कि विधायक तो गाली खाते हैं। क्या दिक्कत है, हम चुने हुए लोग हैं खाते हैं गाली। हम माफी मांग ले अगर वो चीफ सेक्रेटरी से, कोई उनका कद कम नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा और चीफ सैक्रेटरी को भी लगेगा कि मेरा सम्मान जो तार–तार किया गया था, वो उसका कहीं न कहीं मुखिया ने कॉग्निजेंस लिया है। आप जा करके राजनीतिक पार्टियों में माफी मांग रहे हैं। जहाँ आपको, जो आपने बात कहीं थी बड़ी जिम्मेदारी से कही थी जब भी। अब क्यों पीछे हट रहे हैं आप? अब क्यों पीछे हट रहे है? 67 सीटें जो आई थी, इन्हीं गालियों की वजह से आई थी। और आज आप माफी माँग रहे हो। एक नहीं, आपके संजय सिंह...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए अब।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः और एक नहीं आपके संजय सिंह जो अभी पंजाब वाले विषय पर कह रहे थे, मैं होता तो माफी ना माँगता... मैं होता तो माफी ना माँगता और आज उन्होंने भी माफी माँग ली। तो अरूण जेटली जी का तो सम्मान पहले भी था और आज और बढ़ गया।

माननीय अध्यक्षः चलो कोई बात... बैठो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः माफी देकर। लेकिन मुख्य मंत्री ने अपनी क्रेडिबिल्टी को जीरो कर लिया। इस सारे प्रकरण के बाद और मैं यही कहूँगा, मैं उनकी बात को आगे बढाते हुए कि मुख्य मंत्री चीफ सैक्रेटरी जी से माफी माँगे और पूरे विवाद को खत्म करें और दिल्ली की जनता के काम आगे बढ़ें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बस, दो माननीय सदस्य और बोलेंगे। अब नहीं बस, झा जी प्लीज। उसको कैसे ही कर लीजिए। बात वो ही है। श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज ये सदन बेहद गम्भीर मुद्दे पर और मैं कहूँ कि इतना गम्भीर कि अभी तक पिछले तीन साल के अंदर चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं, सारी चर्चाओं से मुख्य चर्चा, आज इस सदन के अंदर होना। हम सभी विधायक रोजाना अलग–अलग पब्लिक मीटिंग में जाते हैं और हम सब कुछ न कुछ कमिटमेंट करके आए थे कि ये काम छः महीने में हो जाएगा, ये काम तीन महीने में हो जाएगा, ये काम दो महीने में शुरू कर देंगे। कई सारे कार्य ऐसे हैं जो पिछले दो महीने के दौरान जो ये सारा घटना क्रम हुआ... कल मैं एक पब्लिक मीटिंग में था और एक व्यक्ति ने... और वो काम हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन एक व्यक्ति ने बडी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग काम नहीं करते हैं और उन्हीं कामों को लेकर हम रोजाना अधिकारियों को फोन करते हैं, अधिकारियों से मीटिंग के लिए समय माँगते हैं, अपने मंत्रियों से बात करते हैं। लेकिन 40 में से 17 सवालों का जवाब न आना, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से एक षडयंत्र चल रहा है दिल्ली के अंदर। जनता को कुचलने का षडयंत्र है। ये जनता को कुचलने का चक्र है और मैं यह कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, हम सब

अपने परिवारों तक को टाइम नहीं दे पाते। मैं खुद अपने परिवार की बताऊँ। मेरे वाईफ को ब्रेन टयूमर हुआ था आठ महीने पहले। डॉ. ने कहा कि आपके समय की बड़ी जरूरत है इसको। लेकिन सुबह 6 बजे निकलता हूँ। दिल्ली की सबसे बड़ी विधान सभा को रिप्रजेंट करता हूँ। बत्तीस किलोमीटर में एरिया फैला हुआ है। रात के 12 बज जाते हैं। जाता हूँ तो बच्चे सो जाते हैं। ये स्थिति हमारे घरों की है। अपने घरों को छोड़कर दिन रात जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज अधिकारी अगर ये सोचते हैं कि आप सवालों के जवाब नहीं देंगे, फोन नहीं उठाएगें तो मैं यह कहना चाहता हूँ, इस बात को आप समझ लेना कि इस देश के अंदर सिर्फ महात्मा गाँधी पैदा नहीं हुए इस देश के अंदर उधम सिंह भी पैदा हुए हैं। ऐसी स्थिति पैदा मत करो कि सदन से कोई उधम सिंह निकले। क्योंकि जनता के लिए जीने मरने की कसम खाकर आए हैं। इस जनता को वादे करके आए थे, प्रॉमिस करके आए थे और अब बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उस जनता के काम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। अभी विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे थे कि उनसे माफी माँग ली, उनसे माफी मांग ली। चीफ सैक्रेटरी साहब से भी माफी माँगनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ गुप्ता जी, कि सीएम साहब अगर माफी माँग लेने से आप सारे लोग गंगा नहा गए तो बहुत अच्छी बात है, वह देश देख रहा है। अभी सौरभ भाई अपनी बात रख रहे थे तो वो बता रहे थे कि हमने विधान सभा के अंदर छोटी–छोटी कमेटियाँ बनाकर इन तालों को खोलने की कोशिश की है। इन तालों को खोलने की कोशिश की है। पेटिशन कमेटी में जब भी किसी अधिकारी को तलब किया जाता है, उसके भ्रष्टाचार के मामले को खोला जाता है तो लोग ये, कोर्ट चले जाते हैं और दिल्ली सरकार के वकील ही इनकी वहाँ पर लडाई लड़ रहे हैं तो बड़ी अजीब सी स्थिति

बन गई है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय वो था, जब दिल्ली के मुख्य मंत्री के पास चाबी भी थी और ताला भी अपना ही था। वो समय था एंटी करप्शन ब्यूरो का। इस देश के अंदर डंडे के बगैर सरकार चलती नहीं है। ये हम सब जब चुनकर आए थे, दिल्ली की जनता ने ये सुनने के लिए वोट नहीं दिया था कि अधिकारी हमारे फोन नहीं उठाते हैं। दिल्ली की जनता ये कहने के लिए फोन नहीं किया था वो हमारी मीटिंग में नहीं आते हैं। वो ये सुनने को तैयार नहीं है लेकिन बैक डोर से जिस तरह की राजनीति की जा रही है, मैं अधिकारियों का कहना चहता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़ो। एक गाँव में एक राम लाल और श्याम लाल आमने सामने रहते थे। दोनों का झगड़ा हो गया। तीसरी गली से कोई घनश्याम आया बोला, चलो, इसके मजे लेता हूँ। राम लाल श्याम लाल बोले, अरे! हम तो दोनों आमने सामने रहते हैं हम तो फिर लड़ लेंगे, पहले इस घनश्याम को ही ठीक कर लें। तो उस घनश्याम की ऐसी तैसी करी पहले उन्होंने। तो जो हमारा राजनैतिक और हमारी विचारधारा का टकराव है, भाजपा और आम आदमी पार्टी का ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप राजनीति मत करो। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, कहीं आप रगड़ाई में मत आ जाना इस चक्कर में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाई, ग्यारह जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी अपने आप में एक मिनी गवर्नमेंट होती है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो अपने अधिकारियों को, सारे अधिकारियों को दिल्ली के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबको बुलाया जाता है उस कमेटी के अंदर कि भई हमारे मंत्रियों के ऊपर काम का जो बर्डन है, वो काम का बर्डन

कम हो। हम उसके अंदर सात–आठ एमएलए एक कमेटी के अदंर है। उसमें एक चेयरमैन हैं, सारे अधिकारी; डीएम एसडीएम सारे एसई लेवल के सारे अधिकारियों को बुलाने का उसके अंदर पूरा एक कैबिनेट है, सब कुछ निकला हुआ है लेकिन मुझे बताते हुए हैरानी है कि पिछले करीबन एक साल से तो मैं भी उसमें चेयरमैन हूँ। हमारे विधायक आते हैं, जेई लेवल के अधिकारी भेजते हैं, जेई लेवल के! उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कोई भी एसई लेवल का कोई भी चीफ लेवल का बंदा नहीं आता उन मीटिंग्स के अंदर। पिछले तीन साल का रिकॉर्ड उठा लो। डीडीसी मीटिंग जो एक महत्वपूर्ण काम कर सकती है लेकिन उसको पंगु बना के रख दिया, उसको पंगु बना के रख दिया। अधिकारी आते ही नहीं हैं, सीरियस ही नहीं हैं उस चीज को लेकर। उसके बाद एसटीएफ होता है। एसडीएम एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स होती है। एसडीएम उसका चेयरपर्सन होता है। एसडीएम उसका मालिक होता है। पूरी दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण चल रहा है, ढेरों चिट्ठियां लिख चुके हैं, कांउसलर जितने भी भाजपा वाले हैं, मोटा माल कमा रहे हैं पिछले 15–20 साल से। अब उनके बड़े बड़े माल बनवा देंगे, बेचारों से पैसा लेकर फिर बाद में सीलिंग ले आयेंगे। आज एसटीएफ एसडीएम के पास है। अगर वो चाहे तो इस तरह के अवैध निर्माण को रोक सकते हैं लेकिन बार बार डीडीसी मीटिंग के अंदर हमारे विधायक भाई सारे सवाल उठाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। कोई एक्शन नहीं होता है। और अभी साहब कह रहे हैं माफी माँग लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये सारा खेल आप देख रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं? इसको क्रमबद्ध से देखिएगा। इसको देखिएगा, सबसे पहले जो केन्द्र सरकार बनी तो आपका पहला एक हाथ काटा गया, आपसे एसीबी छीनी गयी। उसके बाद सर्विस छीनी गयी। उसके बाद थाना लेवल कमेटी भंग कर दी। ये सारी वो पॉवर थी, हम आपको कह रहे हैं भाजपा के साथियों से कि आपने 2014 के

चुनाव में... इससे पहले के चुनाव में जनता को बहुत बड़ा विश्वास दिलाया था। आप अपनी भी सोच लीजिएगा। जो बार बार आप मुख्य मंत्री की क्रेडिबिल्टी की बात करते हैं गुप्ता जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोदी साहब ने सेक्टर–14, द्वारका के मैदान में खड़े होकर और आपके सारे सांसदों ने खड़े होकर कहा था कि अगर हम जीत कर आये तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देंगे। पूर्ण राज्य का अधिकार देने से क्या फर्क पड़ता? सिर्फ आपकी लैंड और दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्य मंत्री के पास आ जाती। चलिए, आज वो भी रखिए। लेकिन जो मुख्य मंत्री के पास पावर थी, वही दे दीजिए। फिर देखते हैं, अधिकारी काम क्यों नहीं करते? फिर बताते, अधिकारी काम क्यों नहीं करते। इसलिए मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस पूरे षडयंत्र के पीछे अगर कोई एक पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और इस भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूँ कि

अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है,
बाजारों में राधा का तन बिक रहा है,
शहीदों के तन का कफन बिक रहा है
और बुरा न मानो यारों, कह दूँ,

इन भाजपाइयों के हाथों हमारा वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है।

बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी, एक सेकण्ड सौरभ जी, अभी दे रहा हूँ। दो मिनट।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, ये काफी गंभीर इश्यू है और अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली के अंदर आज हॉस्पिटलों का जो हाल मैंने देखा है

अपनी आँखों से आज मैं पूरा दिन जी.बी. पंत हास्पिटल में बैठा रहा। आपका भी एक पत्र लेकर एक आदमी गया था जिसको ऐसे फेंक दिया गया। एक विधायक का एक और भी एक बंदा चिट्ठी लेके गया था, उसको भी इसी तरह से वहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। आपका था, हाँ। वहाँ पे क्या चल रहा है मैं पहले अपनी कहानी बताना चाहूंगा जो अधिकारियों का जो झगड़ा दिखा के जो और लोग भाजपा के इशारे के ऊपर जो काम वहाँ पे हो रहा है, आप लोगों को बड़ा झटका लगेगा। आम आदमी पार्टी या दिल्ली की सरकार जिस तरह से हॉस्पिटलों के ऊपर खर्च कर रही है जिस तरह से पैसा दे रही है, वहाँ जाने वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से त्राहिमाम! त्राहिमाम! कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार कसाई का काम कर रही है और वहाँ कुछ जालिम डॉक्टर, डॉक्टर नहीं हैं, कसाई हैं वो, कसाईखाना उन्होंने वहाँ पे बना रखा है। मैं पहले फरवरी के महीने में गया था। मुझे एक बंदा... नार्मल आदमी मिला मुझे, जो है न, अपना इलाज कराना है हाथ का। मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा। उस बंदे को फरवरी से पहले की बात है, 1 फरवरी का टाईम दिया गया। मैंने उनको अपना फोन नं. दे दिया था उसका 1 फरवरी को जो टाइम दिया गया तो उसने पैसे जमा करने थे तो वहाँ पे जो सवा लाख रुपये जमा करता है, हमारा एक मंत्री भी यहाँ बैठा हुआ है। मुझे इंटर्नल पता चला है उस मंत्री जी ने भी किसी एजेंट के थ्रू सवा लाख रुपये देके एक आदमी का इलाज करवाया। आप कह रहे हैं इमरान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं... ये बैठे हैं मंत्री जी। सही लिया है आपने। आप सुनना आपको झटका लगेगा... अधिकारियों को भी झटका लगेगा। मैं इन्हीं का अधिकारियों का विधायक हूँ। मैं दुभार्वना से काम नहीं करता हूँ। मुझे रात को भी कोई घर से सर्वेंट भी फोन कर देता है तो मैं एक मिनट में दरवाजे पे खड़ा होके और कितना ही चाहे

तनाव रहा हो, सरकार का रहा हो चाहे किसी भी विधायक का रहा हो, चाहे कोई भी बात रहा हो, कोई फर्क नहीं करता। उसके बाद...

माननीय अध्यक्षः मैं समय की सीमा...

श्री सुरेन्द्र सिंहः सर, टाइम बढ़वा लीजिएगा। मैं पूरी कहानी बताऊँगा, कौन है आदमी, किसको आगे कर रखा है!

माननीय अध्यक्षः ये देखिए मेरी बात सुनिए कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैंने अधिकारी को भी इन्वॉल्व किया, आईएएस अफसर से बात किया मैंने वहीं बैठ के।

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुन लीजिए एक बार, समय की सीमा है, आपका नाम नहीं था, मैंने फिर भी आपको...

श्री सुरेन्द्र सिंहः दो मिनट में कर दूँ पूरा कहानी...

माननीय अध्यक्ष महोदयः हाँ, दो मिनट में पूरा करिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः हाँ, दो मिनट में कर देता हूँ, जल्दी जल्दी। तो उसके बाद जी उस को जब पैसे की बात आई मैं दिल्ली सरकार से पैसा दिलाऊँगा तो उसको उसका ऑपरेशन नहीं किया, उसका चेक नहीं किया, उसको 31 मार्च की डेट दे दिया। मैंने डाक्टर कीर्ति भूषण से कई बार बात किया। मैं हैल्थ कमेटी में हूँ। वो बोले, ठीक है जी, हो जाएगा 31 तारीख को। वो बंदा 31 तारीख को भी गया मार्च की, उसको बहुत हैरॅस किया गया और उसका कोई इलाज नहीं किया। सुबह से शाम तक, 75 साल की उम्र का बूढ़ा आदमी, ओम प्रकाश नाम का आदमी है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे काफी रिक्वेस्ट की तो उन्हें शाम के टाइम बोले, मेरे पास टाइम नहीं है, अगली डेट देने का भी। वहाँ पर एक संजीव कथूरिया नाम का

एडहॉक के ऊपर डाक्टर लगा हुआ है, जिसकी दादागिरी इस तरह से चल रही है उस आदमी ने 1031 के ऊपर कंप्लेंट की जब वो सीएमओ के पास बुलाया तो 103... सीएमओ को कह रही है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। आप मंडे को आ जाइएगा। उसके बाद में उस आदमी को 13 अप्रैल की डेट दी कि वो करूँगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं होगा।

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी इस घटना से...

श्री सुरेन्द्र सिंहः एक मिनट...

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। पहले मैं इसपे कुछ व्यवस्था दे रहा हूँ। इस सारी घटना को तिथिवाइज उस आदमी के साथ जो हुआ है, उससे कंप्लेंट लेके मुझे लिख के दे दीजिए। मैं विधान सभा में उसको बुलाऊँगा कमेटी के सामने। आप लिख के दे दीजिए मुझे पूरी तरह।

श्री सुरेन्द्र सिंहः एक लाईन और बोल देता हूँ। फिर उसके बाद आप बंद कर देना।

माननीय अध्यक्षः नहीं, इससे...

श्री सुरेन्द्र सिंहः जो लोग वहाँ सवा लाख रुपये दे रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जो आदमी कहीं से भी जा रहा, किसी भी... कहीं से भी जाए कथूरिया नाम के एडहॉक के डाक्टर को आगे किया गया है या तो मैं आपके माध्यम से और पूरे अधिकारी सुन रहे हैं, पूरे लोग सुन रहे हैं, उस एडहॉक के डॉक्टर को वहाँ से हटाया जाए नहीं तो मैं उधर धरना दूँगा और पूरे लोगों को ले के जाऊँगा।

माननीय अध्यक्ष महोदयः अरे भइया, मैंने कहा, आप लिख के दीजिए मैं उसको देखता हूँ, आप लिख के दीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई प्रवीन जी, अब नहीं प्लीज, देखिए नहीं ये मामले आ रहे हैं व्यक्तिगत। उसे चर्चा से डायवर्ट हो के हम व्यक्तिगत मामलों पे आ रहे हैं और व्यक्तिगत मामलों की चर्चा नहीं थी। हाँ सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः बहुत बहुत धन्यवाद।

क्योंकि हाउस इसके ऊपर लगातार चर्चा कर रहा था तो मैंने इस विषय के अंदर एक रेजॉल्यूशन भी बनाया है। जब मैं अपना विषय रख रहा था और विपक्ष के लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे एक उम्मीद हुई थी कि शायद विधायिका की राईट्स के लिए ये लोग थोड़ा सीरियस होंगे, संजीदा होंगे और इस चीज के ऊपर एक सीरियस चर्चा करेंगे। बड़े दुःख की बात है कि इन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को एक चीफ सेक्रेटरी से आप माफी माँग लीजिए, आप ये कर लीजिए। ये बहुत ओछी और छोटी चीज है। ये मामला चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश का नहीं है, वो एक साधारण आईएएस अधिकारी हैं जो अपनी उम्र और सीनियोरिटी से धीरे–धीरे, धीरे–धीरे चीफ सेक्रेटरी बन गए। उनका ये मामला नहीं है। अंशु प्रकाश से पहले कुट्टी साहब थे, उनको भी हम कई बार कमेटीज में बुला चुके थे। वो भी सर, सर, सर, सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, बोलते थे। और जब किसी भ्रष्टाचार के मामले पे कार्रवाई करने की बात होती थी या तो वो छुट्टी मार लेते थे या वो किसी बहाने से सर, 15 दिन दे दीजिए सर, मैं 15 दिन में कर दूँगा, 15 दिन दे दीजिए। 15 दिन दे देते थे। फिर आते थे। सर, वो हुआ नहीं। वो फाइव डेज मोर, फाइव डेज मोर सर, फेस्टिवल आ गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, संकल्प प्रस्तुत करिए प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाजः तो ये जो लोग अधिकारी हैं, ये सिर्फ मोहरे हैं। इन लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि ये इससे झगड़ा हो गया, इससे झगड़ा हो गया। इनसे ये मान लीजिए झगड़ा हुआ भी है कुछ, कहा–सुनी हुई भी है, उससे पहले जो एम.एम. कुट्टी थे, उनसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने भी भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उससे पहले थे उन्होंने भी नहीं की। ये मामला किसी अधिकारी का, किसी आईएएस अफसर का नहीं है, ये मामला राजनीतिक मामला है और गुप्ता जी जब कह रहे थे तो उनके मुँह से बात निकल गयी कि पाँच साल बाद दिल्ली वालों के आगे जाओगे तो क्या कहोगे कि इन्होंने काम नहीं करने दिया... इन्होंने काम नहीं करने दिया। ये इसी मंसूबे को दिल में बनाए बैठे हैं कि शायद ये जो विधायक हैं, जब वापिस अपनी जगहों पे जाएंगे, इलाकों में जाएंगे तो इनको जनता माफ नहीं करेगी। इनके दिमाग में यही है। मगर ये इस हिन्दुस्तान की प्रवृति को नहीं जानते। ये हिन्दुस्तान वो हिन्दुस्तान है जहाँ पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लाख सित्तम ढाए, मगर जब आपने उसको जेल में बंद कर दिया और उसको प्रताड़ित किया तो उस जनता ने उसको सर आँखों पे बिठा के दोबारा से प्रधानमंत्री बना दिया। ये जनता दूसरी तरह से भी सोचती है। ये सिर्फ एक तरह से सोच रहे हैं। ये जनता रोज देख रही है कि मैं अपने विधायक के पास जाता हूँ, विधायक कोशिश कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोशिश कर रहे हैं। जिन छोटे छोटे मकानों में रहते थे, उन्हीं में अभी भी रह रहे हैं। उनके ऑफिस आज भी वैसे ही है जैसे तीन साल पहले थे। तो ये जनता सारी चीजें देखती है। अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिजाइन है पूरा का पूरा, ये कह देना... हमारे मित्र या कुलीग कहूँगा, मैं मित्र नहीं कहूँगा, हमारे कुलीग सिरसा जी का कि हम भी आपके साथ हैं। ये विधायकों के साथ बुरा हो रहा

है। विधायकों के साथ कोई अफसर की कोई न औकात कि वो बुरा कर दे। न एलजी की है। एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी केन्द्र सरकार को। केंद्र सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ, इन... इन... इन... मामलों का जवाब आप मत दीजिए। इनकी सरकार ने किया ये। ये कैसे घड़ियाली आँसू बहा सकते हैं कि ये बुरा हो रहा है। अरे! तुम्हारी ही तो सरकार ने किया है। आपके ही तो मंत्री हैं लॉ मिनिस्टर श्री रवि शंकर प्रसाद जी। जिनके यहाँ से ये आया है तो इस बात को घुमा के कह देना कि जी, ये अधिकार जो है, ये बड़ा बुरा हुआ हमारे साहब के अधिकार खत्म हो गये, हम आपके साथ हैं। किस बात के साथ हो तुम? तुम यहाँ पर आकर ड्रामा करते हो। तुम साथ हो ही नहीं। हर चीज के अंदर छोटी राजनीति करना गलत है और ये पूरा का पूरा षडयंत्र है। मैं अपना रेजल्यूशन पढ देता हूँ। समय का अभाव है। मेरा मानना है अध्यक्ष जी, ये पूरा का पूरा षडयंत्र है!

This House in its sitting on 28.3.2018 resolves…

माननीय अध्यक्षः एक बात सौरभ जी, पहले परमीशन लीजिये।

सौरभ भारद्वाजः जी मैं एक मिनट अध्यक्ष जी, सॉरी अध्यक्ष जी, मैं इस विषय से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

संकल्प पारित हुआ

संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

सौरभ भारद्वाजः अब मैं संकल्प रखता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं ये संकल्प रख रहा हूँ:

"This House in its sitting on 02 April 2018 Resolves that :

Whereas the BJP has been using some of the officers of IAS/ AGUMT/DANICS as A tool for creating hurdles in the governance of Delhi.

Whereas there have been several instances where Assembly Committees had submitted reports holding Senior IAS officers guilty of dereliction of duty and alleged involvement in Corruption. Even after those reports being adopted by the Delhi Assembly, there has been not a single action against such errant officers.

Whereas there have been instances that IAS officers who have acted against the public interest, created hurdles in the projects of Delhi Govt and had been held guilty by Assembly Committees, such IAS officers have been rewarded by BJP's Central Govt with plum postings and promotions.

...(व्यवधान)

सौरभ भारद्वाजः आप वोट मत डालना...

माननीय अध्यक्षः बोल रहे हैं, उनको पूरा बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

सौरभ भारद्वाजः भई, इनकी वोट हमें चाहिए ही नहीं।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, दो मिनट बैठ जाइये।

Whereas the IAS Association and other associations have behave as Khap Panchayats to promote the political interests of BJP by stalling the works of elected Govt of Delhi.

Whereas some IAS and DANICS officers have been acting against their rules of conduct by not meeting the elected representatives of Legislative Assembly of Delhi.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने राजनीतिक अड्डा बना दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने राजनीतिक अड्डा बना दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं करिये। करिये, करिये आप। जो मर्जी आये, करिये। आप जो मर्जी आये, करिये। आप पढ़िये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड रुक जाइये झा साहब, आप बैठिए प्लीज। सौरभ जी, चलिये।

...(व्यवधान)

सौरभ भारद्वाजः ये जो रेजॅल्यूशन था, इसीलिये बनाया था मैंने ना।

माननीय अध्यक्षः हाँ, चलिये, चलियैं

(भाजपा के सभी माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

सौरभ भारद्वाजः तो ये रेजल्यूशन सही जगह जा रहा है।

This House strongly condemns the role of Chief Secretary Mr Anshu Prakash and BJP's Central Govt in creating and aggravating this situation in Delhi.

This House directs the Chief Secretary of Delhi Mr Anshu Prakash to ensure that the conduct of officers is strictly as per guidelines of official dealings between Administration and Member of Parliament/ state Legislatures as issued from time to time by Central Govt and the State Govt.'

अध्यक्ष जी मैं इसको हिंदी में एक बार और पढ़ दूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ठीक है, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं।

एक सेकंड भई, इस पर वोटिंग करवायें उस से पहले मैं बात कहना चाहता हूँ। जिस विषय को लेकर विजेन्द्र गुप्ता, विपक्ष ने वाक आऊट किया ...ये नौबत क्यों आई अगर केन्द्र सरकार की लॉ मिनिस्टरी एलजी को ये

सलाह नहीं देती, ये नौबत नहीं आती। राजनीतिक अड्डा तो बीजेपी ने एलजी हाऊस को बनाया हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ। इस सदन को मजबूरन अपने अधिकारों को बचाने के लिये इस सीमा तक जाना पड़ा। अगर विजेन्द्र गुप्ता जी जिस दिन सदन में लैटर मैंने पढ़ कर सुनाया, भारी मन से नेता विपक्ष कहते, अध्यक्ष जी, आप चिंता मत करिये। हम चलते हैं रविशंकर जी के पास, हम चलते हैं लॉ मिनिस्टरी के पास कि उन्होंने किस ढंग से ये इजाजत दे दी लैटर लिख दिया। तब तो मैं मानता कि ये राजनीतिक अड्डा नहीं बना हुआ है। तब तो मैं कहता, पीठ थपथपाता विजेन्द्र गुप्ता जी की और उनसे कहता विजेन्द्र जी, हाँ, ये राजनीति से ऊपर उठकर आपने अच्छी बात कही है। किस अधिकारी के अधीन अखाड़ा बना दिया है एलजी हाऊस को बीजेपी का, मैं बड़े दुःख से कह रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अब श्री सौरभ भारद्वाज माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

संकल्प स्वीकार हुआ।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी। अब नहीं सोमनाथ जी ये हो गया संकल्प। प्लीज हो गया सारी चीजें आ गईं। नहीं, मैं अब कुछ नहीं दे

रहा हूँ। प्लीज मेरी रिकवेस्ट आप मानिये प्लीज। मेरा मन बहुत भारी है मैं बैठने में भी थोडा सा...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैंने इस ढंग का कभी देखा नहीं। आपातकाल में भी इतनी आपत्तिजनक स्थिति मैंने नहीं देखी। नहीं, हो गया, बहुत एक्सपोज हो गया प्लीज।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय मैं इस विषय पर संबधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्षः सदन द्वारा माननीय सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय, ***Motion for constitution of House committees on violation, protocol, norms and contemptuous behaviour by government officers with MLAs.***

"This House agrees with the concerns raised by the Members regarding increasing incidences of defiance, discourteous behaviour

and violation of protocol norms by the Government officers towards the elected Members of this House;

This House also therefore, agrees to constitute a 'House Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour by Government Officers with MLAs';

The Committee shall consist of the following Members and the Hon'ble Speaker shall appoint one of the Members of the Committee as its Chairperson:

1. Shri Saurabh Bharadwaj

2. Shri Sanjeev Jha

3. Shri Akhilesh Pati Tripathi

4. Ch. Fateh Singh

5. Ms. Bhawna Gaur

6. Shri Som Dutt

7. Shri Vishesh Ravi

8. Shri Pankaj Pushkar

9. Shri Somnath Bharti

माननीय अध्यक्षः नौवां नाम श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री विशेष रविः चेंज हुआ है नाम?

माननीय अध्यक्ष महोदयः बोलिये बोलिये।

श्री विशेष रविः ***That the terms of reference of the Committee shall be:***

(a) Examine every complaint referred to it by the Speaker relating to –

I. violation of protocol norms laid down from time to time regarding official dealings with Members;

II. violation of instructions or guidelines issued by the Government regarding official dealings between Administration and Members; and

III. discourteous behaviour by Government servants withA Member during official dealings.

(b) Make such recommendations as it may deem fit.

(c) The procedure which shall be followed by the Committee for examining complaints referred to it shall be, so far as may be, the same as the procedure for inquiry and determination by the Committee of Privileges, insofar as it relates to any question of breach of privilege of the House or a Member.

(d) The Committee shall be free to enlarge the scope of issues under examination, if needed,subject to approval of Hon'ble Speaker.

(e) The Rules governing powers and functioning of the Committee on Privileges would also apply to this Committee, mutatis mutandis.

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः चलिये सोमनाथ जी, बोलिये।

सदन का समय और 15 मिनट बढ़ाया जाये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई प्रवीण जी प्लीज। नहीं, आप व्यक्तिगत मामलों पर जा रहे है, वो व्यक्तिगत पर गए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये नहीं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, ये दर्शाता है कि इस असेम्बली जिसके मैम्बर्स ***on an average 40 years*** के हैं और जो इस इच्छा को लेकर आए हैं, प्रबल इच्छा के साथ आए हैं कि दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। उस समाधान के दौरान जो अड़चनें आ रही हैं वो किस तरह की अड़चनें आ रही हैं और किस तरह की अड़चनें लाई जा रही हैं, उसकी चर्चा साथियों ने किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं फंडामैंटली बात करूँगा क्योंकि साथियों ने बड़े विस्तार से इस सब्जेक्ट को रखा है। जिस आर्टिकल के तहत दिल्ली को राज्य

का दर्जा मिला, दिल्ली को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला, उस आर्टिकल के आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में ये लिखा है कि ***it must be given an elected govt. capable of responding to the concerns of its reasons.*** जब बाकायदा मेंशन है। संविधान के अंदर इस आर्टिकल के इंसर्शन के वक्त इस बात का जिक्र किया गया कि इलेक्टिड गवर्नमेंट जो आएगा दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली के नागरिकों की चिंता के ऊपर काम कर पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, फिर आर्टिकल 239–ए का जो सब सेक्शन (4) है, उसके अंदर हैः ***"There shall be a council of ministers consisting of not more than ten percent of the total number of members in the legislative assembly with the chief minister at the head to aid and advice the Lt. Governer in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the legislative assembly has power to make laws.'.***

बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ***is supposed to be acting on aid and advice of council of ministers.*** लेकिन हो क्या रहा है। पहली बार इस बात को कब उठाया गया जब दिल्ली के अंदर एक करप्ट कॉंस्टेबल पकड़ा गया। एक करप्ट कॉंस्टेबल चाँदनी चौक, ये हैड कॉंस्टेबल पकड़ा गया था और वो ब्राइब लेते पकड़ा गया था। उस मुद्दे को हाई कोर्ट में लाया गया और कहा गया कि ***ACB is not a police station in the the sense of police station.*** और उस तरफ से कहा गया कि नहीं, ये तो पुलिस स्टेशन है, इसीलिए आपके पास नहीं है तो उस करप्ट हेड कांस्टेबल को पकड़कर जेल में डाला जाए कि नहीं डाला जाए, यहाँ से शुरूआत हुई है। ये सब जड़मूल जो है इसका, इसी मुसीबत में था कि एक करप्ट हैड कॉंस्टेबल पकड़ा गया, उस हैड कॉंस्टेबल को जेल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए।

पूरी की पूरी यूनियन गवर्नमेंट पड़ी हुई है उधर कि नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

आज भी मुझे याद है 49 दिन की सरकार में जो दहशत था दिल्ली में, वो इसीलिए था कि जब अनकन्वेन्शनल सरकार आई थी, जो अनकन्वेन्शनल लोग आए थे और जब उन्होंने अनकन्वेन्शनल तरीके से काम करना शुरू किया तो उसमें क्या हुआ? दिल्ली के अंदर एक दहशत फैली। जो ट्रेडिशनल पार्टियाँ हैं; भाजपा और काँग्रेस, और जो उनके साथ लगे हुए बाकी जो लोग हैं, उन सबके अंदर एक अंडरस्टेंडिंग है कि जब भी आओ, सत्ता में कोई भी हो, दुकानें सबकी चलेंगी। अब ये जो नए लोग आए सत्ता के अंदर, जिन्होंने ये फैसला किया कि दिल्ली के अंदर करप्ट और करप्शन को दूर करेंगे। जो 49 दिन की सरकार में एक दहशत का माहौल दिल्ली में आया था, इनको लगा था कि शायद अरविंद केजरीवाल के हाथ में जब सत्ता लगेगी तो हमारी तरह हो जाएंगे, वो हुआ नहीं। तो इनको लगा कि भई, इनके हाथ से छीनना पड़ेगा अगर एंटी–करप्शन ब्राँच इनके हाथ में रहा तो कहीं न कहीं मोर देन फिफ्टी परसेंट भाजपा के लोग, मोर देन फिफ्टी परसेंट काँग्रेस के लोग जेल जाएंगे तो अनिल कुमार वर्सेज जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का जो एक फैसला था हाई कोर्ट का, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि नहीं जी, ***ACB does not fall in the jurisdiction of Delhi Govt.*** इसीलिए इसका अधिकार क्षेत्र बाहर ले लिया जाता है। शुरूआत तो वहाँ से हुई और बढ़ते हुए यहाँ तक आ गई कि आज सदन के अंदर सदस्य सवाल नहीं पूछ सकते। हमने क्या सवाल पूछ लिया था उनसे? हमने सवाल पूछा था कि सर्विसिज डिपार्टमेंट के कार्यक्षेत्र का पूर्ण विवरण दें और उसकी आब्जैक्टिव यूटिलिटी के बारे में बताएं। क्या कभी कोई ऑडिट हुआ हो, वो बताएं। हमने ये पूछा कि क्या आईएएस

और दानिक्स कैडर के उन अधिकारियों का विवरण क्या है, जिनकी नियुक्ति, निलम्बन, टर्मिनेशन, स्थानांतरण, वर्ष 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के सत्ता में आने के बाद हुआ है। हमने ये पूछा कि भई दिल्ली सरकार के फैलेसी प्रोग्राम्स क्या हैं और इनको लागू करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन हैं और इसकी स्थिति क्या है। तो इसका जवाब न देकर के आपने कहा कि जी, ये सर्विसिज में आता है, इसका जवाब नहीं देंगे। तो आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते है कि दिल्ली की जनता जिस सरकार को चुनकर लाई है और जिस मंशा के साथ लाई है, वो मंशा फेल हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, जो आपने अपने वक्तव्य में कहा और आज बड़ा अच्छे तरीके से सौरभ भारद्वाज जी ने इस बात को शुरूआत में रखा और साथ में लगा कि आज शायद विजेन्द्र गुप्ता जी बोले कि भई हाँ, आज हम सबके साथ हैं। लेकिन बहुत दुःख हुआ जानकर के जब उन्होंने बात को मोड़ने का प्रयास किया...

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अरूण जेटली जी का जो बड़ाई कर रहे थे..

माननीय अध्यक्षः भई, अब...

श्री सोमनाथ भारतीः एक सैकेंड मैं रख लूँ अपनी बात को...

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड कर दीजिए प्लीज। कन्क्लूड कर दीजिए। हो गया है सारा।...

श्री सोमनाथ भारतीः कन्क्लूड कर दें...

माननीय अध्यक्षः नहीं, प्लीज। हाँ, कन्क्लूड कर दें। अब हो गया है, सारा डिस्कसन आ गई, सब चीजें आ गई...

श्री सोमनाथ भारतीः अभी कर देंगे या बाद में करेंगे, 19 में करेंगे.

माननीय अध्यक्षः नहीं।

श्री सोमनाथ भारतीः आज ही कर दें...

माननीय अध्यक्षः हाँ...

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, अरूण जेटली जी वही हैं जिन्होंने 2013 में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई तो हम सन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से। तो कहाँ हैं वो आज? कहाँ है वो? भई, कौन पीछे मुड़ा? अरविंद केजरीवाल जी की माफी पर ये बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी माफी उनके त्याग का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की माफी को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है विपक्ष, उनको भार्म आनी चाहिए कि दिल्ली की जनता के हित में

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अब एक बार कन्क्लूड कर दीजिए, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः आज विपक्ष अगर हमारे साथ खड़ा होता तो इतिहास में उनको हम कायर का दर्जा न देते लेकिन आज विपक्ष सदन से भागकर के इस बात को दर्शा रहा है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली जो चिट्ठी केंद्र सरकार से आई है, जिसको एलजी महोदय लेकर आए हैं, उसके साथ वो खड़े हैं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, बैठिए।

श्री सोमनाथ भारती: मैं इस बात की निंदा करता हूँ। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: विशेष रवि जी का जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, अभी पढ़कर भी सुनाया, पार्लियामेंट में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का मसौदा, उसके अधिकार, वो इंगलिश में है, मेरे ख्याल सब सदस्यों को मिले होंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हिंदी में भी आ गया है, उसको एक बार अध्ययन कर लें, विशेषकर सभी सदस्य उसका जरूर अध्ययन कर ले, उनके पास क्या–क्या अधिकार पार्लियामेंट ने दिए हैं और ये कमेटी का गठन आज हम कर रहे हैं। अब जो विशेष रवि जी का प्रस्ताव था, वो सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव स्वीकार्य हुआ। कमिटी का गठन हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं दो–तीन जानकारियाँ देना चाह रहा हूँ, कल सदस्यों तक हम पहुँचायें। कल पूरे सभी सदस्य रहें तो अच्छा है। कल मुझे लगता है शायद बिजनेस सीएजी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत होगी और माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने एक बात रखी थी कि मैं कोशिश करूँगा कौन सी फाइलें कब वापिस आयीं कौन सी फाइलों पर कितने दिनों में निर्णय लिया,

शायद उस पर भी कल माननीय उप मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे। तो कल जो मेरे पास अभी बिजनेस आया है, वो मैंने आपकी जानकारी में दिया है। तो कल सब प्रयास करके जगदीप जी, आप देखियेगा कि सब प्रयास करके माननीय सदस्य उपस्थित रहें। बहुत–बहुत सभी का आभार, धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही मंगलवार 2 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।